लोक-सभा वाद-विवाद

शुक्रवार,
१६ दिसम्बर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ७: १९५५

(२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक १ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खंड ७—२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५]

अंक १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६९५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ५ से २५, २८, २९, ३१ और ३२ . ३६९५–३७३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४, २६, २७, ३०, ३३ से ४५ . . ३७३९–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २४ . . . . ३७५०–६४

दैनिक संक्षेपिका ३७६५–७०

अंक २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ५१, ५३ से ६३, ६५ से ६९, ७१, ७२, ७४ और ७५ . . . . . ३७७१–३८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३, ७६ से ८३, ८५ से ९१ और ९३ से ९७ . ३८१४–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ५४ . . . ३८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका ३८४७–५०

अंक ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८ से १०५, १०८, १३६, १०७, १०९ से ११९, ११३, ११७ से १२२, १२४ से १२६, १२८ . . . ३८५१–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६, ११२, ११४ से ११६, १२७, १२९ से १३५, १३७ से १४७ . . . . . ३८८८–३९०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ६८ और ७० . . . ३९०४–१२

दैनिक संक्षेपिका ३९१३–१६

अंक ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१, १६३, १६४, १६७ से १७०, १७२, १७४, १७६ से १८३, १८५, १८७ और १८९ . . . ३९१७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५, १७५, १८४, १९०, १९२ और १९३ . ३९६१–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८१ और ८३ से ९० . . ३९६४–७८

दैनिक संक्षेपिका ३९७९–८०

अंक ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से १९६, १९८, १९९, २०१, २०४ से २०६, २०९ से २१७, २२० से २२५ . . . . ३९८१–४०२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २००, २०३, २०७, २०८, २१८, २१९, २२६ से २४० . . . . . ४०२२–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२६ . . . . ४०३६–५८

दैनिक संक्षेपिका ४०५९–६४

अंक ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २४६, २५१, २५२, २५६, २५८, २६०, २६२ से २६४, २६६, २६९, २४१, २४७, २५३, २५७, २५९, २६१, २६५, २६७, २४८, २५५ और २४९ . . . ४०६५–४१०५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४१०५–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५०, २५४ और २६८ . . . ४११३–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४८ . . . . ४११४–२६

दैनिक संक्षेपिका ४१२७–३०

अंक ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २७३ से २७६, २७८, २८४, २७९, २८२, २८३, २८५ से २९५, २९७ से ३०१ . . . ४१३१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७७, २८०, २८१, २९६, ३०३ से ३१० और ३१२ . . . . . ४१७४–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १७० . . . ४१८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ४१९७–४२००

अंक ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३२४, ३२७ से ३३०, ३३२ से ३३६, ३३८, ३३९, ३४१ से ३४३, ३४५ से ३४७ और ३४९ से ३५२ . . . . . ४२०१–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१४, ३१८, ३२१, ३२५, ३२६, ३३१, ३३७, ३४०, ३४४, ३४८ और ३५४ से ३७७ . . . ४२४५–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ से १७३ और १७५ से २१६ . ४२६६–९८

दैनिक संक्षेपिका ४२९९–४३०६

अंक ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३८१, ३८३, ३८५, ३८७ से ३८९, ३९१, ३९२, ३९४ से ३९९, ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०७, ४०९ से ४१५ ४३०७–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८२, ३८४, ३८६, ३९०, ३९३, ४००, ४०२, ४०५, ४०८, ४१६ से ४२६ और १२३ . . . ४३५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २३७ . ४३६१–७४

दैनिक संक्षेपिका ४३७५–८०

अंक १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४२९, ४३१, ४३३ से ४३६, ४३९, ४४३, ४४४, ४४६ से ४५१, ४५४, ४५५ और ४७६ . . ४३८१–४४२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३२, ४३७, ४३८, ४४० से ४४२, ४४५, ४५२, ४५३, ४५६ से ४७५, ४७७ से ४८४, १७१, १८८ और १९१ ४४२३–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २६३ . . . ४४४६–६०

दैनिक संक्षेपिका ४४६१–६६

अंक ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५, ४८८, ४९० से ४९२, ४९४, ४९५, ४९७ से ५०१, ५०४ से ५०६, ५१२, ५१४ से ५१६, ५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५३० और ५२६ . . . . . ४४६७–४५०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८७, ४८९, ४९३, ४९६, ५०२, ५०३, ५०७ से ५११, ५१३, ५१९, ५२०, ५२४, ५२७, ५२८, ५२९, ५३१ से ५३७ ४५०८–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ से ३०७ . . . ४५२३–५२

दैनिक संक्षेपिका ४५५३–५८

अंक १२—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४०, ५४४ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५९ से ५६३, ५६५ से ५६८, ५७० से ५७४, ५७७ से ५८३ और ५४७ ४५५९–४६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१, ५४२, ५४३, ५५०, ५५२, ५५५, ५५६ से ५५८, ५६४, ५६९, ५७५, ५७६ ४६०५–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ से ३३२ ४६१२–२८

दैनिक संक्षेपिका ४६२९–३४

अंक १३—बुधवार, ७ दिसम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ से ५८७, ५८९ से ५९८, ६०० से ६०४ और ६०६ . . . ४६३५–७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ४६७४–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९९, ६०५, ६०७ से ६३० और ३०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ से ३६२ . . . . ४६९३–४७१२

दैनिक संक्षेपिका ४७१३–१८

अंक १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३४, ६३५, ६३७, ६३९ से ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७ से ६४९, ६५१, ६५३ से ६५९, ६६१, ६६३, ६६४, ६८१, ६६६, ६६८ और ६६९ ४७१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३, ६३६, ६३८, ६४२, ६४६, ६५०, ६५२, ६६० ६६२, ६६५, ६६७, ६७० से ६८०, ६८२ से ६८७ . . ४७६४–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३९७ . . . . ४७८०–४८०४

दैनिक संक्षेपिका ४८०५–१०

अंक १५—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ से ६९०, ६९२, ६९४ से ६९७, ६९९, ७०१, ७०३, ७०५ से ७०८, ७११ से ७१३, ७१५ से ७१९, ६९८ और ७०२ ४८११–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७००, ७०४, ७०९, ७१० और ७१४ ४८५२–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४२० ४८५६–७०

दैनिक संक्षेपिका ४८७१–७४

अंक १६—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२२, ७२५ से ७३२, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४३ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७२४, ७३५ और ७२३ . . ४८७५–४९१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७२०, ७३३, ७३६, ७३७, ७४१, ७४२ और ७४७ ४९१६–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२१ से ४४० . . . . ४९२१–३६

दैनिक संक्षेपिका ४९३६–४०

अंक १७—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ से ७६१, ७६३ से ७७३, ७७५, ७७९, ७८०, ७८४ से ७८६, ७८८ और ७८९ . . . ४९४१–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . ४९८५–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७६२, ७७०क, ७७४, ७७६ से ७७८, ७८१ से ७८३, ७९० से ८०५ और ८०७ . . . . ४९८८–५००४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४८९ . . . . ५००४–३२

दैनिक संक्षेपिका ५०३३–४०

अंक १८—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९, ८१५ से ८१७, ८२०, ८२४, ८२५, ८२८ से ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८१४, ८१२, ८२३ और ८२७. ५०४१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ८१०, ८११, ८१३, ८१८, ८१९, ८२१, ८२२, ८२६, ८३३ और ८३७ . . . . . ५०७५–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९० से ५२२ . . . . ५०८१–५१०६

दैनिक संक्षेपिका ५१०७–१०

अंक १९—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४४ से ८४८, ८५०, ८५३ से ८५६, ८५८, ८५९, ८६१, ८६२, ८६४, ८६५, ८६७, ८७१, ८७३, ८७४, ८७६, ८७८ से ८८०क ५१११–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४१ से ८४३, ८४९, ८५१, ८५२, ८५७, ८६०, ८६३, ८६६, ८६८ से ८७०, ८७२, ८७५, ८७७, ८८१ से ९९८ और १७३ . . ५१५४–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५६१ . . . . ५१७०–९६

दैनिक संक्षेपिका ५१९७–५२०२

अंक २०--शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०५, ९११ से ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२१ से ९२५, ९२७ से ९३१, ९३३ और ९३५ से ९४० . ५२०३–४८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . ५२४८–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९२, ८९५, ८९८, ९०६ से ९१०, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२६, ९३२ और ९३४ . . ५२५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६२७ . . . . ५२६१–५३१२

दैनिक संक्षेपिका ५३१३–२०

अंक २१--शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ५३२१–२४

दैनिक संक्षेपिका ५३२५-२६

अंक २२--सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४३, ९४५ से ९४८, ९५०, ९५१, ९५३ से ९५५, ९५७ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७३ और ९७५ . . . . ५३२७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४१, ९४२, ९४९, ९५२, ९५६, ९६०, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७३, ९७४, ९७६, ९७७, ९७८ और ९७९ ५३६८–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६५५ और ६५७ से ६६६] . . ५३७६–९८

दैनिक संक्षेपिका ५३९९–५४०२

अंक २३--मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८४, ९८६ से ९८८, ९९० से ९९८, १०००, १००२ से १०११ . ५४०३–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९९, १००१, १०१२ से १०४४ ५४४६–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ७१४ और ७१६ से ७२३ ५४७०–५५०२

दैनिक संक्षेपिका ५५०३–१०

अंक २४--बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ से १०५२, १०५५, १०५७, १०५९, १०६१ से १०६७, १०७० से १०७२, ३५३, १०७४, १०७५, १०७७, १०७८, ११०६, १०७९ से १०८५. ५५११–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६८, १०६९, १०७३, १०७६, १०८६ से ११०५, ११०७ से १११९, ५१७ ५५५७–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ से ८२५, ८२५-क, ८२६ से ८४५, ८४५क, ८४६ से ८६३ ५५८१–५६७०

दैनिक संक्षेपिका ५६७१–८२

अंक २५--गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२५, ११२७ से ११३६, ११३९ से ११५१ ५६८३–५७२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११३७, ११३८, ११५२ से ११६२ ५७२९–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ९१४, ९१६ से ९३४ और ९३४-क ५७३६–८०

दैनिक संक्षेपिका ५७८१–८२

अंक २६--शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, ११६४, ११६८, ११७०, ११७२ से ११८३, ११८५ से ११९०, ११९३ से ११९५. ५७८९–५८३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७. ५८३४–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ से ११६७, ११६९, ११७१, ११८४, ११९१, ११९२, ११९६ से १२०७. . . ५८३८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९५, ९९५-क, ९९६ से १०१२ और १०१४ . . . . ५८५२–५९०२

दैनिक संक्षेपिका ५९०३–१०

GIPND—NSH—477 LSD—1-3-58—175

लोक-सभा

शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अन्दमान द्वीपसमूह में श्रम विधान

***८९१. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के सभी श्रम विधान अन्दमान द्वीपसमह में प्रवृत्त नहीं किये जाते ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्रालय के किसी अधिकारी ने इस वर्ष में इन द्वीपों का दौरा किया है, और यदि हां, तो क्या उसने कोई प्रतिवेदन पेश किया है, या कुछ सिफ़ारिशें की हैं ?

श्री आबिद अली : जी नहीं। मैं नहीं समझता कि श्रम मंत्रालय के किसीभी अधिकारी ने पिछले वर्ष के दौरान अन्दमान द्वीपसमूह का दौरा क्रिया है। लेकिन, अन्दमान द्वीपसमूह में मुख्यायुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा ये अधिनियम प्रशासित किये जाते हैं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या देश के श्रम मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों की भांति ही, मुख्यायुक्त के कर्मचारी भी कभी विभिन्न अधिनियमों को कार्यान्वित करने या उनके उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन भेजते हैं ?

श्री आबिद अली : अभी तक मुझे इस विषय पर कोई भी विशेष प्रतिवेदन नहीं मिला है, लेकिन औद्योगिक विवाद अधिनियम के छटनी से सम्बन्धित खण्डों के उपबन्ध को कार्यान्वित न करने के अतिरिक्त, अन्दमान द्वीपसमूह के श्रम-संगठनों से भेजी गई अन्य कोई शिकायत देखने में नहीं आई है। उस एक शिकायत को मुख्यायुक्त के पास भेज दिया गया है और उस पर उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं जानना चाहता हूं कि मुख्यायुक्त ने वहां कितने श्रम संगठनों को मान्यता दे रखी है ?

श्री आबिद अली : मेरे विचार में तो किसी भी संगठन को मान्यता नहीं दी गई है। वास्तव में, मेरी जानकारी के अनुसार वहां केवल तीन फैक्टरियां, और १,३०० श्रमिक हैं।

ढोर तथा फसलों के बीमे की योजनायें

८९३. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा सुझाई गई ढोर तथा फसलों के बीमे की योजनाओं पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). योजना आयोग ने ढोर और फसलों के बीमे की योजनाओं पर विचार तो किया था, लेकिन सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा, मुख्यतः वित्तीय आधार पर खर्च में हाथ बंटाने से हिचक दिखाने के कारण और राज्य सरकारों द्वारा आशंकित इसके संचालन की कुछ कठिनाइयों के कारण, उसने इसका अनुमोदन नहीं किया था।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य-सरकारों से यह भी कहा गया था कि पूरे खर्च के एक भाग का भार केन्द्र भी उठायेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां, पहली योजना के लिये हमने उनकी सहमति मांगी थी, पर वे सहमत नहीं हुई। फिर, पुनरीक्षित योजना में तो हम योजना पर होने वाले कुल खर्च का ५० प्रतिशत तक देने को तैयार हो गये थे। इस पर भी राज्य सरकारें योजना से सहमत नहीं हुईं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं कि १९४७ में माननीय खाद्य मंत्री ने संसद् में एक आश्वासन दिया था कि इस प्रश्न पर और अच्छी तरह से सोच-विचार किया जायेगा, और यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : १९४७ में उस समय के खाद्य और कृषि मंत्री—डा० राजेन्द्र प्रसाद—के आश्वासन पर ही इस प्रश्न की जांच करने और एक अग्रिम योजना तैयार करने के लिये श्री जी० एस० प्रिओलकर नामक एक पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। उसने १९४८ में एक अग्रिम योजना प्रस्तुत की थी हमने उसी योजना को विभिन्न सरकारों के पास भेज दिया।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सही नहीं है कि थोड़ी सहायता मिलने पर मैसूर सरकार इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये तैयार है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जहां तक मेरी जानकारी है, इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों ने अपनी असमर्थता प्रकट की है, लेकिन मैसूर के सम्बन्ध में मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

खाद्यान्न भाव

*८९४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज मूल्य परिवर्तन जांच समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री एम० एल० द्विवेदी : सरकार को समय-समय पर सूचनायें मिलती रही हैं कि विभिन्न प्रदेशों में खाद्यान्नों के मूल्यों में भारी अन्तर है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस विषय में प्रादेशिक सरकारों से विचार-विनिमय कर रही है ? यदि हां, तो खाद्यान्नों के मूल्य में समानता लाने के लिये क्या कारवाई की जा रही है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सरकार को मालूम है कि विभिन्न प्रदेशों में खाद्यान्नों के मूल्यों में बहुत अन्तर है। हम जो क्वेश्चनेअर बना रहे हैं, उसमें ये सब पाइन्टस आ गये हैं।

टेलीफोन और तार प्रणालियां

*८९६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त भूतपूर्व देशीय रियासतों की टेलीफोन तथा तार प्रणालियों का, जिन्हें केन्द्रीय डाक व तार विभाग ने ले लिया है, सुधार और विकास किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों में अभी भी टेलीफोन तथा तार प्रणालियों को ठीक स्तर तक लाना शेष है ; और

(ग) यह कार्य कब तक किया जायेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). जी, हां। यथाक्रम सुधार किया जा रहा है। जानकारी उपलब्ध की जा रही है और इसके प्राप्त होने पर, यह सामान्यतः लोक-सभा के पटल पर रखी जायगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आयी है कि यद्यपि टेहरी-गढ़वाल राज्य का विलीनीकरण हुए लगभग छः वर्ष हो चुके, लेकिन अभी तक वहां की टेलीफोन लाइन में कोई सुधार नहीं हुआ है और वह बड़ी दुरवस्था में है ? क्या इस विषय में कोई विशेष कार्रवाई की जा रही है ?

श्री राज बहादुर : इस सम्बन्ध में इस से पूर्व कोई शिकायत मेरे पास नहीं आयी। मैं इस ओर ध्यान दूंगा।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मंत्री महोदय को याद है कि मैंने पहले इस सम्बन्ध में प्रार्थना की थी कि हमारे यहां तार और टेलीफोन की बहुत बुरी हालत है ?

श्री राज बहादुर: मुझे स्मरण नहीं आता कि माननीय सदस्यों ने कभी यह बात मुझ से कही हो।

अध्यक्ष महोदय : ; मेरे विचार से उन्होंने इस पर एक प्रश्न भी पूछा था।

कोयले का एक सा दाम

*८९७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति के सुझाव के अनुसार सभी स्थानों के लिये कोयले के एक से दाम के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका निर्णय क्या हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे वस्तु-भाड़ा जांच समिति इस प्रश्न की जांच कर रही है और उसकी सिफ़ारिशें प्राप्त होने तथा उनकी जांच किये जाने के बाद ही इस मामले में कोई निर्णय किया जायेगा।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि और किन-किन वस्तुओं को पूल करने की बात चल रही है ?

श्री शाहनवाज खां : यह सवाल तो सिर्फ कोयले के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि और किन-किन वस्तुओं के पूल करने की बात चल रही है। अगर आप नोटिस चाहते हैं, तो वैसा कहिये।

श्री शाहनवाज खां : नोटिस चाहिये।

श्री चट्टोपाध्याय : मैं जानना चाहता हूं कि इन सिफारिशों के न माने जाने के क्या कारण हैं, और क्या रेलवे वस्तु भाड़ा जांच समिति के प्रतिवेदन के मिलने तक के लिये कोई अन्तर्कालीन व्यवस्था की जाने की सम्भावना है ?

श्री शाहनवाज खां : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि अभी भी रेलों में कोयला लाने ले जाने के लिये वस्तु भाड़े की वर्तमान दर (अधिक दूरी के लिये कम दर) की व्यवस्था चल रही है। पहले २०० मीलों के लिये ०.३ पाई प्रति मील प्रति मन की दर है, और २०० मील से अधिक के अन्तर के लिये ०.१ पाई प्रति मील प्रति मन की।

पंडित डी० एन० तिवारी : माननीय सभा-सचिव ने कहा है कि अधिक दूरी के लिए कम दर चलाई गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अधिक दूरी के लिए कम दर इस एक सी दर जैसी है या उससे भिन्न ?

श्री शाहनवाज खां : उसे अभी ही चालू नहीं किया गया है। वह काफ़ी समय से चल रही है। लेकिन एक सी दर, स्पष्ट ही, अधिक दूरी के लिए कम दर से बिल्कुल भिन्न है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हम रेलवे वस्तु भाड़ा जांच समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और समन्वय समिति रेलों के और समुद्री परिवहन के समन्वय करने के इस मामले पर भी विचार कर रही है ?

पटसन का उत्पादन

*८९९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या उस योजना में पटसन की किस्म अच्छी करने की भी कोई योजना सम्मिलित है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पटसन उगाने वाले राज्यों में केन्द्रीय सरकार पटसन विकास योजनाएं चला रही है। इसके उत्पादन को बढ़ाने और गुण को सुधारने के लिये इस योजना में, और उपायों के अलावा, नीचे लिखे हुए प्रमुख उपाय शामिल हैं ;

(१) उत्तम बीज, खाद, कीट नाशक आदि सब्सिडाईज्ड दर पर देना।

(२) नये तालाबों का निर्माण और पुराने तालाबों की मरम्मत करके रेटिंग की सुविधाएं देना।

(३) लाइन में बोने के लिये सीड ड्रिल और इन्टर्कल्चरल प्रयोजनों के लिये पहिये वाली कुदाली का प्रयोग करना।

(४) पटसन की उत्तम किस्मों का जनन, पटसन उगाने वाले राज्यों में इंडियन सेन्ट्रल जूट कमेटी के अधीन एक न्यूक्लस जूट सीड फार्म बनाने का और आठ जूट सीड मलटिप्लीकेशन फार्मस खोलने का प्रस्ताव है।

(५) प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के विचार से कृषि और खाद के सुधरे हुए प्रयोगों पर कृषि शास्त्रीय अनुसन्धान करना।

(६) विविध फुंगी और कीट पेस्ट्स की बायोलाजी पर अनुसन्धान तथा उनके नियंत्रण के उपाय करना।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन सूबों में यह पटसन होता है, उनमें सन् १९५४–५५ में कितने तालाब खोदे गए जिससे कि पटुए को सड़ाया जा सके ?

श्री ए० पी० जैन : पश्चिमी बंगाल में १३५३ नये तालाब जून सन् ५५ तक खोदे गए और १३६७ पुराने तालाबों की मरम्मत की गई। आसाम में १६७ नये तालाब खोदे गये और ९४ पुराने तालाबों की मरम्मत की गई। उड़ीसा में २३० नये तालाब खोदे गये और १२० पुराने तालाबों की मरम्मत की गई। उत्तर प्रदेश में १७० नये तालाब खोदे

गये और बिहार में ११४ नये तालाब खोदे गये।

श्री विभूति मिश्र : जिन क्षेत्रों में पटसन होता है और जिन के बारे में अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि इतने तालाब खोदे गये, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इतने तालाब उसके लिए यथेष्ट हैं या अभी और अधिक तालाब खोदे जायेंगे और मौजूदा तालाबों की मरम्मत की जायगी ?

श्री ए० पी० जैन : जूट एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ सिफारिश की थीं और उसके मुताबिक पश्चिमी बंगाल में ३ हजार नये तालाब खोदने हैं और ३ हज़ार पुराने तालाबों की मरम्मत करना है। बिहार में ४ हज़ार नये तालाब खोदने हैं और ५०० पुराने तालाबों की मरम्मत करना है। आसाम में १८० नये तालाब खोदने हैं और ३६० पुराने तालाबों की मरम्मत करना है। उड़ीसा में ७०० नये तालाब खोदना है और ३६० पुराने तालाबों की मरम्मत करनी है। उत्तर प्रदेश में ३२० नये तालाब खोदना है। जो मैंने पहले आंकड़े दिये थे और जो आंकड़े अब दिये हैं, इनके बीच का जो फ़र्क है, उतने तालाब खोदे जायेंगे या उनकी मरम्मत की जायगी।

श्री विभूति मिश्र : जूट की क्वालिटी बढ़े, इसके लिये सरकार ने क्या किया है ?

श्री ए० पी० जैन : अभी यह सब तो मैंने पढ़ कर सुनाया, अगर कहिये तो फिर उसको दुहरा दूं।

श्री विभूति मिश्र : क्वालिटी कहीं महज़ तालाब खोदने से थोड़े ही बढ़ती है। जब तक उसको यथेष्ट पानी नहीं मिलेगा और वह सड़ेगा नहीं तब तक उसकी क्वालिटी नहीं बढ़ती है।

अध्यक्ष महोदय : आप तो बहस करते हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार ने अच्छी किस्म की पटसन के लिये अन्तिम लक्ष्य निर्धारित किये हैं और यदि हां, तो वे अन्तिम लक्ष्य क्या हैं और सरकार कब तक उन अन्तिम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगी ?

श्री ए० पी० जैन : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पटसन की किस्म सुधारने की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

श्री एल० एन० मिश्र : अच्छी किस्म की पटसन की कितनी मांग है.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार ने इस प्रश्न पर अच्छी तरह विचार कर लिया है कि पटसन का उचित मूल्य निर्धारित किया जाये, ताकि लोग उसका उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित हों ?

श्री ए० पी० जैन : सरकार इस ओर सदैव ध्यान देती है कि पटसन उत्पादक को उचित मूल्य मिले और इसका विनियमन निर्यात शुल्क के विनियमन से किया जाता है।

उत्तर रेलवे पर यात्री सहायक

***९००. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक उत्तरी रेलवे के कितने स्टेशनों पर यात्री सहायकों की नियुक्ति हुई है ;

(ख) कितने स्टेशनों पर अभी इन यात्री सहायकों की नियुक्ति और की जायेगी ; और

(ग) उनके लिये न्यूनतम शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) १३।

(ख) २।

(ग) या तो वे मैट्रिक पास हों अथवा इसके बराबर की और कोई परीक्षा उन्होंने पास की हो।

श्री डी० सी० शर्मा : अन्य रेलवे खण्डों में ऐसे स्टेशनों की, जहां सहायक नियुक्त किये

गये हैं, जो संख्या है उसके मुकाबले में उत्तर रेलवे स्टेशनों की संख्या कम है या अधिक ? क्या यह सच नहीं है कि उत्तर रेलवे पर जो यात्री सहायक हैं, उनकी संख्या अन्य रेलों पर के सहायकों के मुकाबले में कुछ कम है ?

श्री शाहनवाज खां : मैं ऐसा नहीं समझता किन्तु ठीक उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री डी० सी० शर्मा : इन सहायकों में से कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष ?

श्री शाहनवाज खां : सारे पुरुष सहायक हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं को रेलवे स्टेशनों पर ज्यादा सहायता की आवश्यकता पड़ती है, और यदि हां, तो स्त्री पथ-प्रदर्शकों की नियुक्ति क्यों नहीं की जाती है ?

श्री शाहनवाज खां : मेरे विचार में माननीय सदस्य पुरुष सहायकों पर, जो कि सदा स्त्रियों की सहायता करने को तैयार रहते हैं, निर्भर रह सकते हैं ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मुझे खेद है कि जो उत्तर दिया गया है उसमें कुछ ग़लती हो गई है । स्त्री यात्री सहायक भी हैं । उनकी संख्या कम है और हम अनेक स्टेशनों पर उनकी संख्या नहीं बढ़ाना चाहते ।

जनता गाड़ी

***९०१. श्री वीरस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री २० अगस्त, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके बाद दिल्ली और हावड़ा के बीच कोई नयी प्रकार की जनता गाड़ी चालू की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस गाड़ी की विशेषतायें क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४४]**

श्री वीरस्वामी : मैं अंग्रेजी में उत्तर चाहता हूं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: : मैं भाग (ख) का उत्तर जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है ।

राष्ट्रीय बचत पत्र

***९०२. श्रीमती मायदेव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९५५ से प्रारम्भ होने वाले अर्धवर्ष के दौरान राष्ट्रीय बचत पत्रों और राष्ट्रीय योजना प्रमाण-पत्रों के द्वारा कितना विनियोजन हुआ ; और

(ख) इस विनियोजन को बढ़ाने के लिये जो अतिरिक्त उपाय किये जा रहे हैं, वे क्या हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।**[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४५]**

श्रीमती मायदेव : जो विनियोजन हुआ है, उसमें से कितना १०० रुपये के अथवा उससे कम कीमत वाले पत्रों से हुआ है और कितना ५०० रुपये के अथवा उससे अधिक कीमत वाले पत्रों से हुआ है, ताकि मैं यह जान सकूं कि कितना धन कम आय वाले वर्गों तथा ग्रामों से प्राप्त हुआ है और कितना धनी व्यक्तियों से ?

श्री राज बहादुर : खरीदे गये पत्रों की कीमत के अनुसार मैं आकड़े नहीं दे सकता क्योंकि बचत पत्र ५ रुपये, १० रुपये, १०० रुपये, ५०० रुपये से लेकर ५,००० रुपये तक की कीमत के होते हैं, और राष्ट्रीय योजना प्रमाण-पत्र ५ रुपये, १० रुपये, २५ रुपये से लेकर ५०० रुपये तक की कीमत के होते हैं।

श्रीमती मायदेव : इन राष्ट्रीय बचत पत्रों के प्रचार के लिये सरकार ने कितना धन खर्च किया है ?

श्री राज बहादुर : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय से उपलब्ध होगी।

श्रीमती मायदेव : स्त्रियों की समितियों के माध्यम से कितना धन एकत्र हुआ ?

श्री राज बहादुर : इसका विवरण भी वित्त मंत्रालय से उपलब्ध हो सकेगा।

श्री कासलीवाल : इस योजना के सम्बन्ध में १९५६ के लिये क्या सरकार ने कोई अन्तिम लक्ष्य निर्धारित किया है ?

श्री राज बहादुर : अन्तिम लक्ष्य निर्धारित हुआ करते हैं।

एयर इंडिया इंटरनेशनल

*९०३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मन एयर लाइन 'लुफथानसा' को पश्चिम जर्मन में एयर इंडिया इंटरनेशनल निगम का मुख्य अभिकर्ता बना दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह किस तिथि से किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) १-१०-१९५५ से किया गया है।

श्रीमती इला पालचौधरी : किन शर्तों पर तथा कितने समय तक के लिये यह जर्मन एयर लाइन समवाय एयर इंडिया इंटर नेशनल का अभिकर्ता नियुक्त किया गया है ?

श्री राज बहादुर : इंटरनेशनल एयर लाइन समवाय आम तौर से अन्य देशों में अपने जैसे एयर लाइन समवायों को बुकिंग अभिकर्त्ताओं के रूप में नियुक्त करते हैं। बहुत से मामलों में, एयर इंडिया इंटरनेशनल अन्य इंटरनेशनल एयर लाइन समवायों का बुकिंग अभिकर्त्ता है। परस्पर शर्तों के आधार पर ही ये अभिकरण एक दूसरे को दिये जाते हैं।

श्रीमती इला पाल चौधरी : जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा कि हमको प्रत्यक्ष व्यवहार करना चाहिए, तो इस बात को दृष्टि में रखते हुए क्या इसमें कम खर्च पड़ेगा यदि हम इस काम के लिये अपने कार्यालय स्थापित करें ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अपने देश में तो कार्यालय स्थापित करना सम्भव है, किन्तु अन्य देशों में जहां कि हमें केवल एक या दो बातों की ओर ही ध्यान देना है, उस देश में हर जगह अपने अभिकरण अथवा कार्यालय स्थापित करना न तो सम्भव है और न मितव्ययी ही। यदि हम उसी देश के एयर लाइन समवाय को अपना अभिकर्ता नियुक्त करते हैं, तो हमें उस समवाय की सम्पूर्ण देश में फैली हुई शाखाओं का लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है।

पटना में घाट

*९०४. **बाबू रामनारायण सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर पटना में एक स्थायी घाट बनवाने के बारे में केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार से कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : हां, श्रीमान्।

बाबू रामनारायण सिंह : उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री शाहनवाज खां : फिलहाल तो कोई पक्का घाट बनाने का इरादा रेलवे का नहीं है ।

बाबू रामनारायण सिंह : जब उसकी जरुरत है तो उसके लिये क्यों नहीं प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री शाहनवाज खां : पहले यह सवाल सन् ५५ में उठाया गया था । उस वक्त गंगा पटना की तरफ बहुत करीब से आती जाती थी, बाद में दरिया ने अपना रुख थोड़ा बदल लिया और इसलिये घाट के लिये जो पहली जगह छांटी गई थी, अब वह मुनासिब नहीं रही है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या मंत्री जी को पता है कि पटना साइंस कालिज के सामने से यह गंगा नदी कभी नहीं हटी है, तो क्या वहां पर एक पक्का घाट नहीं बनाया जा सकता है जिस से नार्थ बिहार से आने वाले मुसाफिरों को सुविधा हो ?

श्री शाहनवाज खां : फिलहाल तो रेलवे मिनिस्ट्री कोई पक्का घाट बनाने का इरादा नहीं रखती है क्योंकि दरिया मुख्तलिफ वक्त पर अपना रुख बदलता रहता है ।

अपग व्यक्तियों को काम के योग्य बनाना

***९०५. सरदार हुक्म सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपंग व्यक्तियों को काम के योग्य बनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं विशेषज्ञों को किसी प्रदर्शन के कार्य के लिये नियोजित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन विशेषज्ञों के क्या नाम हैं और वे किस किस देश के हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) (क) जी हां ।

(ख) **विशेषज्ञों के नाम राष्ट्रीयता**

१. मि० सिडनी राबिन्स, अमरीका
प्रशासन व्यवसाय विशेषज्ञ

२. मिले फ्रैंक्वईजे लैमोट, बेल्जियम
व्यवसाय जन्य रोग चिकित्सा
विशेषज्ञ

३. मि० राबर्ट मैकडाम, नार्वे
शारीरिक चिकित्सक

सरदार हुक्म सिंह : क्या वे उतने समय तक ही ठहरेंगे, जब तक के लिये उनका नियोजन किया गया है, अथवा वे उस समय तक ठहरेंगे, जब तब उनकी सेवाओं की आवश्यकता रहेगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : प्रथमतः, इन विशेषज्ञों की नियुक्ति केवल एक वर्ष के लिये की गई है । यह एक प्रशिक्षण केन्द्र है और हम आशा करते हैं कि उनके माध्यम से हमारे यहां के लोग प्रशिक्षित हो जायेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : इस समय इन विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण के लिये कितने व्यक्तियों को चुना है ?

राजकुमारी अमृत कौर : राज्य सरकारें क्या उत्तर देती हैं और वे कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिये भेजना चाहती हैं, यह सब देखकर ही उस बात का उत्तर दिया जा सकेगा ।

श्रीमती इला पालचौधरी : ये विशेषज्ञ मानसिक रूप से अपंग (असमर्थ) व्यक्तियों को काम के योग्य बनाते हैं अथवा केवल शारीरिक रूप से अपंग (असमर्थ) व्यक्तियों को ही काम के योग्य बनाते हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह केन्द्र केवल उन व्यक्तियों के लिये है, जो अंग विकार के कारण असमर्थ है ।

रेलों में भर्ती

९११. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन स्थानीय काम दिलाऊ दफ्तरों से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानों पर काम करने के लिये व्यक्तियों के नाम मांगते हैं ?

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल उसी प्रशासकीय जिले के काम दिलाऊ दफ्तरों से नाम मांगे जाते हैं जहां किसी रेलवे के जिले के मुख्यालय हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि किसी जिले के काम दिलाऊ दफ्तरों से नाम मांगने के कारण स्थानीय व्यक्तियों को उनके अधिकार नहीं मिल पाते; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जाने वाली है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ). चौथे दर्जे में जब कभी किसी दफ्तर में जगहें खाली होती हैं, तो उस दफ्तर के नोटिस बोर्ड और रेलवे स्टेशनों पर नोटिस लगा कर अर्जी मांगी जाती है । स्थानीय काम दिलाऊ दफ्तर को भी इसकी सूचना दी जाती है और नाम मांगे जाते हैं ।

अन्तिम चुनाव करते समय सीधी आयी हुई अर्जियों और काम दिलाऊ दफ्तरों से आये हुए नामों पर विचार किया जाता है ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या सरकार इस बात का आश्वासन दे सकती है कि भविष्य में जब चतुर्थ श्रेणी के मुलाजिमों की बहाली की जायेगी तो उन के नाम उन तमाम जिलों के काम दिलाऊ दफ्तरों से माँगे जायेंगे जहां पर कि बहाली हो रही है ?

श्री शाहनवाज खां : यही तरीका अब भी है कि उस इलाके में जितने एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्ज हैं उन सब को इत्तला दी जाती है और वह अपने यहां से नाम भेजते हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि अगर एक रेलवे जोन में बहुत से भर्ती के दफ्तर हों तो उन सब को सूचना दी जाती है या खास उसी डिस्ट्रिक्ट को सूचना दी जाती है जिस में भर्ती होनी है ?

श्री शाहनवाज खां : उस जगह के करीब के यानी उसी रीजन में या उसी इलाके में जो दफ्तर होते हैं उन्हीं को खबर दी जाती है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को मालूम है कि सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में गत दो महीने पहले जो बहाली हुई थी १०० एंजिन क्लीनर्स की, तो छपरा से भेजे हुए नामों में से आदमी नहीं लिये गये बल्कि दूसरे एक्स्चेन्जेज से भेजे हुए नामों में से लिये गये ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा मैं ने पहले अर्ज किया है कि जितने एम्प्लायमेंट एक्स्चेंजेज हैं उन से भी नाम आते हैं और रेलवे दफ्तर में सीधी भी बराहरास्त दरख्वास्तें आती हैं । अगर किसी की दरख्वास्त किसी एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्जेज के जरिये न आ कर सीधी रेलवे दफ्तर में आ जाये तो उस पर भी विचार किया जाता है ।

डा० राम सुभग सिंह : प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर स्पष्ट नहीं है । प्रश्न यह था कि क्या यह भी सच है कि केवल उसी प्रशासकीय जिले के काम दिलाऊ दफ्तरों से नाम मांगे जाते हैं जहां किसी रेलवे जिले के मुख्यालय हैं, और उत्तर यह था : "स्थानीय एम्प्लायमेंट एक्स्चेंज से नाम मांगे जाते हैं।" तो क्या सारे के सारे उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से हैं ?

श्री शाहनवाज खां : उसी हेडक्वार्टर्स से ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : सोनपुर का जो रेलवे का इलाका है उस में मुजफ्फरपुर, दरभंगा,

भागलपुर और छपरा, ये चार जिले पड़ते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सोनपुर इलाके में जो चतुर्थ श्रेणी के मुलाजिमों की बहाली होती है तो उस के लिये केवल छपरा जिले के एम्प्लायमेंट एक्स्चेंज से नाम मांगे जाते हैं या और जिलों से भी।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : ठीक तो मालूम नहीं है कि उसी लोकल एम्प्लायमेंट एक्स्चेंज से नाम लिये जाते हैं या सब जिलों से जो कि उस रीजन के आस पास होते हैं। लेकिन अगर माननीय सदस्य यह चाहते है कि और एम्प्लायमेंट एक्स्चेंजेज से भी मांगे जायें तो हम उस पर विचार करेंगे।

विवेकानन्द अनुसन्धान संस्था

*९१२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अलमोड़ा की विवेकानन्द अनुसन्धान संस्था को अपने नियंत्रण में लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या शर्तें होंगी ; और

(ग) अनुसंधान संस्था में किस प्रकार का अनुसन्धान किया जाता है ; और उस पर वार्षिक आवर्ती व्यय कितना होता है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां, यदि संस्था के मालिक इसे सरकार को दें।

(ख) (१) एक त्यागपत्र के द्वारा प्रयोगशाला सरकार को दी जाये।

(२) यदि वर्तमान मालिक प्रयोगशाला में अनुसन्धान कार्य जारी रखना चाहेगा तो उसे उचित सुविधायें दी जायेंगी।

(ग) जहां तक हमें मालूम है, अनुसन्धान कार्य प्लान्ट फिजिओलौजी, कैटोलोजी, हाइब्रिड मेंज और प्लान्ट इंट्रोडक्शन पर हो रहा है। आवश्यक आवर्ती व्यय अभी मालूम नहीं है।

श्री के० सी० सोधिया : इस के मालिक कौन हैं ?

श्री ए० पी० जैन : श्री बोशी सेन हैं।

श्री के० सी० सोधिया : क्या संस्था पर कोई आर्थिक संकट आ गया है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री बी० डी० पांडे : क्या सरकार ने यह त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है ?

श्री ए० पी० जैन : अभी उन्होंने त्यागपत्र दिया नहीं है।

गौनावरम हवाई अड्डा

*९१३. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि कलकत्ता से मद्रास और मद्रास से कलकत्ता आने जाने वाले हवाई जहाजों के लिये गोनावरम् (विजयवाडा) का हवाई अड्डा नियमित रूप से रुकने का स्थान बना दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) विजयवाडा, मद्रास, करनूल, और हैदराबाद के बीच सहायक हवाई जहाज चलाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). कलकत्ता से मद्रास और मद्रास से कलकत्ता आने जाने वाले

हवाई जहाजों के रुकने के लिये विजयवाडा का हवाई अड्डा एक नियमित स्थान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वहां पर इतना यातायात नहीं, किन्तु इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि मद्रास-विजयवाडा-हैदराबाद के लिये एक सहायक हवाई जहाज चला दिया जाये।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : ऐसा सोचने के क्या कारण है कि ऐसा सम्पर्क स्थापित करने के लिये विजयवाडा में यातायात की क्षमता अधिक नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उन्होंने यह कहा था कि वहां यातायात पर्याप्त नहीं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : उन्होंने यह नहीं कहा था ।

श्री राज बहादुर : मैंने यही कहा था ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : विजयवाडा पर कितने सामान व यात्रियों का अनुमान लगाया गया है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है, कि वहां हवाई जहाज नियमित रूप से नहीं रुक सकता ?

श्री राज बहादुर : यह अनुमान है कि एक बार हवाई जहाज के कहीं पर रुकने से ५०० रुपये खर्च होते हैं और उस स्थान पर, जहाँ कि हवाई जहाज रुके, इतना यातायात अवश्यक होना चाहिये जिससे सारा खर्चा पूरा हो जाये ।

टेलीफोन सम्पर्क (जिला अल्मोड़ा)

*९१५. **श्री बी० डी० पांडे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला अलमोड़ा के पिथोडा-ग्राफ कस्बे में भी टेलीफोन सम्पर्क का विचार किया जा रहा है ; और

(ख) क्या टेलीग्राफ लाइनों को, इस जिले में स्थित, कौसावी, गरूर, बागेश्वर, तथा कापकोपटे, तक ले जाने का विचार किया जा रहा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति के आधार पर बागेश्वर, कौसावो तथा गरूर के लिये तारघरों की मंजूरी हो चुकी है, कापकोपटे के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना नहीं ।

श्री बी० डी० पांडे : क्या सरकार को ज्ञात है कि ये क्षेत्र तिब्बत की सीमा पर स्थित हैं और वहां टेलीफोन तथा टेलीग्राफ की व्यवस्था एक आवश्यकता है न कि विलास की सामग्री ?

श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को अब निश्चिन्त हो जाना चाहिये क्योंकि कापकोपटे को छोड़ अन्य सभी स्थानों के लिये मंजूरी मिल चुकी है ।

श्री बी० डी० पांडे : क्या आगामी पंच-वर्षीय योजना में यह तैयार हो जायेंगे ?

श्री राज बहादुर : आगामी पंच वर्षीय योजना के समाप्त होने से बहुत पहले ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इन तारघरों के बारे में प्रान्तीय सरकार से जो गारंन्टी (प्रतिभूति) ली जा रही है, उसमें कितनी रकम मुकर्रर की गई है ?

श्री राज बहादुर : बिना नोटिस के मैं आप को रकम तो नहीं बता सकूंगा ।

श्री बी० डी० पांडे : अगर कोई घाटा होता है तो क्या वह सब घाटा प्रान्तीय सरकार को पूरा करना पड़ेगा ?

श्री राज बहादुर : जी हां ।

पोरबीलिया कोयला खान

*९१७. **श्री पी० सी० बोस :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबीलिया कोयला खान, जो गत वर्ष खान के अन्दर आग लग जाने से बन्द कर दी गई थी, फिर से खोल दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब वहां खुदाई हो सकती है ; और

(ग) जो मजदूर छटनी में आ गये थे, क्या उन को पुनः काम पर लगा दिया गया है या लगा दिया जायेगा ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं ।

(ख) अभी तक उस की स्थिति ऐसी नहीं हो पाई है कि काम फिर से आरम्भ किया जाये और अभी आगामी छः या आठ मास तक साधारण कार्य पुनः आरम्भ करने का कोई अवसर नहीं ।

(ग) प्राप्य जानकारी के अनुसार खान बन्द होने के समय काम पर लगे हुए लगभग ३,२०० मजूरों में से लगभग १,९०० इस समवाय की अन्य कोयला खानों में काम पर लगा दिये गये हैं और खान को पुनः चालू करने से सम्बन्धित ऊपरी धरातल पर होने वाले कार्य में लगभग ३०० मजूर लगा दिये गये हैं । आशा की जाती है कि लगभग ७५० व्यक्ति, जो अपने घरों को चले गये हैं, जब काम पर वापस आयेंगे तो वे समवाय की विभिन्न खानों में काम पर लगा दिये जायेंगे । लगभग २५० मजूरों को, हो सकता है कि निकट भविष्य में, इस समवाय के अन्तर्गत फिर से काम न मिल सके । खान के फिर से चालू होने पर उनको भी काम मिल सकता है ।

श्री पी० सी० बोस : जब खान खोली नहीं गई है तो यह पता कैसे चला कि उस के फिर से चालू होने में छः मास का समय लग जायेगा ?

श्री आबिद अली : खानों के मुख्य निरीक्षक का यही मत है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : आग लगने के बाद प्रथम वार जब खान का निरीक्षण किया गया तो मुख्य निरीक्षक ने कहा था कि छः मास के बाद खान खोली जा सकती है । अब कहा जा रहा है कि अब से छः मास का समय लगेगा । इस का क्या कारण है ?

श्री आबिद अली : जब तक आग जलती रहे और उनके भीतर मजूरों का जाना जोखिम से भरा हो, निश्चय ही खान को खोलना नहीं चाहिये, समय चाहे जितना लगे । वर्त्तमान स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार वे समय-समय पर अपना मत बदल सकते हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस अग्नि-काण्ड का कारण क्या था ?

श्री आबिद अली : कारण प्राकृतिक था ।

मनीपुर में डाक्टरों की भर्ती

*९१९. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में और १९५५–५६ में अब तक मनीपुर सरकार द्वारा कितने डाक्टर भर्ती किये गये हैं ; और

(ख) उन को किस क्रम से वेतन दिया जाता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) अब तक दो (तृतीय श्रेणी) १९५४–५५ में और छः १९५५–५६ में ।

(ख) १००—१०—१३० (जब तक वे दक्ष हों) —६—१९० (जब तक वे दक्ष हों)—१०—२५० ।

श्री रिशांग किशिंग : जो डाक्टर भर्ती किये गये हैं उनमें एल० म० पी० और एम० बी० बी० एस० कितने हैं और अन्य पड़ौसी राज्यों के वेतन के क्रमों की तुलना में उनके वेतन-क्रम कैसे हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : तुलनात्मक दृष्टि से उन के वेतन-क्रम अच्छे हैं । कठिनाई यह है कि अपेक्षित अर्हता के वहां के स्थानीय व्यक्ति पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं और दुर्भाग्यवश बाहर से आने के इच्छुक कम हैं । परन्तु हाल में हमने वेतन के क्रम बढ़ा दिये हैं और आशा की जाती है कि अब पर्याप्त संख्या में लोग आगे आयेंगे ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सच नहीं है कि मनीपुर में डाक्टरों को जो वेतन दिया जाता है, वह सारे भारत में न्यूनतम है, यदि हां, तो क्या सरकार उनको युक्ति-युक्त वेतन देने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार करती है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मनीपुर के डाक्टरों के वेतन का क्रम बढ़ा दिया गया है जिस से पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हों ।

रेल दुर्घटनायें

***९२१. श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री ५ अगस्त, १९५५ के १४१ डाउन मद्रास-पुरी यात्री गाड़ी की दुर्घटना सम्बन्धी २४ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हताहतों के आश्रितों के पास से प्रतिकर के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, कितने आवेदन पत्रों पर विचार किया गया और उनके सम्बन्ध में क्या किया गया ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक दो आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जो कि पहले प्रतिकर आयुक्त के विचाराधीन हैं ।

श्री संगण्णा : हताहतों में से कितने व्यक्तियों का जीवन-बीमा हो चुका था और क्या बीमा समवायों द्वारा दिये जाने वाला प्रतिकर रेलवे प्रशासन द्वारा दिये जाने वाले प्रतिकर में घटा दिये जायेंगे ?

श्री शाहनवाज खां : उन की बीमा पालिसियों के सम्बन्ध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री संगण्णा : प्रतिकर आयुक्त द्वारा दिये जाने वाला पंचाट अन्तिम समझा जायेगा या उस के विरुद्ध अपील की जा सकती है ?

श्री शाहनवाज खां : जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, वे अन्तिम हैं । यदि दावेदार प्रतिकर आयुक्त के पंचाट से संतुष्ट नहीं है तो वह उच्च न्यायालय के सामने अपना मामला रख सकता है ।

श्री संगण्णा : क्या माननीय उपमंत्री ने अपने दौरे में कोई पूछताछ की है ?

श्री शाहनवाज खां : माननीय उपमंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं ।

अखिल भारतीय चिकित्सा कालिज अध्यापक सेवा

***९२२. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अखिल भारतीय चिकित्सा कालिज अध्यापक सेवा को अस्तित्व में लाना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) और (ख). राज्य सरकारों के परामर्श के साथ-साथ इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस सेवा के लिये, लोक सेवा आयोग द्वारा, वैसे ही भर्ती करने का विचार किया जा रहा है जैसे कि आई० ए० एस०, आदि के लिये की जाती है ?

राजकुमारी अमृत कौर : समूचा विषय-विचाराधीन है, फिर भी मैं समझती हूं कि ऐसी सारी नियुक्तियां लोक सेवा आयोग द्वारा होंगी ।

मद्रास-रंगून जलयान सेवा

***९२३. श्री सी० आर० नरसिंहन् :** क्या **परिवहन** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २ दिसम्बर, १९५५ के "मेल" , के इस संवाद की और आकर्षित किया गया है कि मद्रास और रंगून के बीच की जलयान सेवा भंग हो गई है तथा दोनों स्थानों के बीच एक संतोषजनक सेवा को बहाल करने के लिये अभ्यावेदन भेजे जा रहे हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में कहां तक ध्यान दिया जा रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध सख्या ४६]**

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या सरकार को ज्ञात है कि मद्रास और रंगून के बीच निश्चित समय पर उपलब्ध होने वाली नियमित सेवा के अभाव के कारण भारी कठिनाई हो रही है और 'सोनवती' नामक छोटी सी नाव इतना रुक रुक कर चलती है कि यात्रियों को आराम नहीं मिलता ?

श्री शाहनवाज खां : हमें इसका ज्ञान अच्छी तरह से है और परिवहन मंत्रालय द्वारा एक आयुक्त जहाज प्राप्त करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन : मैं निश्चित समय पर उपलब्ध होने वाली सेवा की आवश्यकता के सम्बन्ध में पूछ रहा था ।

श्री शाहनवाज खां : निस्संदेह वहां आवश्यकता है । हम एक उपयुक्त जहाज प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : एक बार की सेवा की व्यवस्था हो सकती है, परन्तु यात्री इसी बात को अच्छा समझते हैं कि तारीखों की सूचना पहले से मिले ।

अध्यक्ष महोदय : उस के उत्तर में वे कह चुके हैं कि जहाजों की संख्या पर्याप्त नहीं है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : जो कुछ भी है, उन्हें वे निश्चित समय के अनुसार चला सकते हैं । क्या इसका प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री शाहनवाज खां : जो जहाज—सोनवती इस मार्ग पर चल रहा था वह कुछ जांच और मरम्मत के लिये वापस ले लिया गया है । फरवरी, १९५६ से वह फिर से चलने लगेगा । हम आशा करते हैं कि उसके बाद से सेवा नियमित हो जायेगी ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मद्रास से रंगून जाने वाला जहाज मलाया के अन्य बंदरगाहों को भेज दिया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : जी नहीं ।

पूर्निया में टेलीफोन एक्सचेंज

***९२४. श्री पी० जी० सेन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्निया में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की व्यवस्था पूरी की जा चुकी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ११-८-५५ को पूनिया में एक टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया था, अब उस की क्षमता में और वृद्धि करने का विचार किया जा रहा है ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री पी० जी० सेन : क्या यह सच है कि वर्त्तमान व्यवस्था के अनुसार शनिवार तथा रविवार को प्रातःकाल दस बजे के पूर्व टेलीफोन नहीं किया जा सकता है ?

श्री राज बहादुर : यह एक नियिमित एक्सचेंज है । काम के घण्टे आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किये जा सकते हैं । मैं ठीक से नहीं कह सकता कि इस एक्सचेंज विशेष के काम के घण्टे क्या हैं ।

कांगड़ा और कुलू घाटियों में विमान स्थल

*९२५. **श्री हेम राज :** क्या **संचार** मंत्री २२ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १३३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा और कुलू घाटियों में विमान स्थल निर्माण हेतु सर्वेक्षण पूर्ण हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अभी तक किये गये सर्वेक्षण के आधार पर कुलू घाटी का केवल भुन्टार क्षेत्र उपयुक्त प्रतीत होता है और उसको हेरॉन यान के उतरने के प्रयोग के लिये ठीक बनाया जा रहा है। कांगड़ा घाटी में सर्वेक्षित कोई भी स्थान उपयुक्त नहीं पाया गया । फिर भी ऐसे स्थानों की खोज जारी है जहां इसका उतरना संभव हो सकता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हेम राज : कांगड़ा घाटी का सर्वेक्षण कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री राज बहादुर : मैं ने कहा कि हमने प्रारंभिक सर्वेक्षण पहले ही कर लिया था और जो स्थान हमको बताये गये थे वे एक विमान क्षेत्र के निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये । जब कभी भी हमें कोई अन्य स्थान मिलेगा, जो ठीक मालूम हो, हम उस पर विचार करेंगे ।

भारतीय खान अधिनियम

*९२७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **श्रम** मंत्री २९ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत आपात विनियम कब प्रख्यापित किये जायेंगे ;

(ख) वे लागू कब किये जायेंगे ; और

(ग) उनके कार्यान्वयन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). कोयला खान (अस्थायी) विनियम, १९५५ नामक आपात विनियम प्रख्यापित कर दिये गये हैं और ५ नवम्बर, १९५५ से वे लागू हो गये हैं ।

(ग) खान निरीक्षकालय, जो भारतीय खान अधिनियम, १९५२ के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है, इन विनियमों के कार्यान्वयन की भी देखभाल करता है । जिन मामलों में इन विनियमों का उल्लंघन पाया जायगा, उनमें बाद की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : ये आपात विनियम हैं । मैं जानना चाहता हूं कि खान

अधिनियम के अन्तर्गत सोचे गये विनियम कब प्रख्यापित किये जायेंगे ?

श्री आबिद अली : यह प्रश्न राज्य सरकारों और खान बोर्ड को पहले ही निर्दिष्ट किया गया था । वे उस पर विचार करेंगे और उनसे क्रमशः जनवरी व फरवरी १९५६ में उत्तर प्राप्त होगा । फिर अन्य प्रक्रिया अपनाई जायेगी, और मैं समझता हूं कि उसमें कुल एक वर्ष का समय और लगेगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : माननीय उप मंत्री ने कहा कि ये विनियम एक खान बोर्ड को निर्दिष्ट किये गये थे ; तो कितने खान बोर्ड निर्मित किये गये हैं ?

श्री आबिद अली : सही संख्या बताने के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : माननीय उपमंत्री ने अभी अभी कहा कि वह मामला राज्य सरकारों को निर्दिष्ट कर दिया गया है ? क्या मैं जान सकता हूं कि अभी तक कौन कौन सी राज्य सरकारों ने उत्तर भेजे हैं और किन किन राज्य सरकारों ने कोई भी उत्तर नहीं भेजा ?

श्री आबिद अली : कोयला खान अधिनियम के सम्बन्ध में उत्तर १५ जनवरी, १९५६ तक माँग गये हैं और राज्य सरकारों को कोयला खानों से उत्तर विनियमों के सम्बन्ध में १५ फरवरी, १९५६ तक उत्तर भेजने हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : खान अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत खान बोर्ड में मजदूर संघ के प्रतिनिधि होने चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस केन्द्रीय संघ ने अपने प्रतिनिधि इस खान बोर्ड में भेजे हैं ?

श्री आबिद अली : यह प्रश्न विनियमों से सम्बन्धित है । यदि माननीय सदस्य खान बोर्ड की रचना के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना चाहते हैं तो निश्चय ही मुझे पृथक सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री वासप्पा : क्या सरकार को खान अधिनियम के अन्तर्गत दोषपूर्ण संपूर्ण नियमों की जानकारी है जिनके कारण सरकार और खानमालिकों के बीच बड़ी गलतफहमी हो गई और जिसका परिणाम यह हुआ कि मैसूर सरकार को मैंगनीज की खानों की बहुत बड़ी आय से हाथ धोना पड़ा ?

श्री आबिद अली : हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि खान बोर्ड कब बनाया गया था ?

श्री आबिद अली : खान बोर्ड के सम्बन्ध में मैं पहले ही पूर्व सूचना माँग चुका हूं ।

यंत्रों द्वारा खेती (प्रशिक्षण)

***९२८. श्री झूलन सिंह :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस वर्ष एफ० ए० ओ० के तत्त्वावधान में यंत्रों द्वारा खेती एवं कारखाने की समस्याओं के एम्पराय (लंका) स्थित प्रौद्योगिक सम्पर्क एवं प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण हेतु कोई कर्मचारी भेजे हैं ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : इस केन्द्र में प्रशिक्षण पाने के लिए दो पदाधिकारी भेजे गये थे ।

श्री झूलन सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि ये दो पदाधिकारी देश के किस भाग के थे और क्या ऐसे प्रशिक्षण के देश के अन्दर ही दिए जाने का कोई कार्यक्रम है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां, । एक पदाधिकारी केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन का है । हमने एक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से चुना और एक हैदराबाद से । उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी को वहां की सरकार द्वारा छुट्टी

नहीं दी गई क्योंकि उसकी सेवाओं की राज्य में बहुत आवश्यकता थी और हैदराबाद का पदाधिकारी हमारे पदाधिकारी के साथ गया ।

रेलों में चोरियां और डकैतियां

*९२९. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री १६ नवम्बर, १९५४ को अतारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर में दी गई सूचना के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे रक्षा पुलिस को समस्त गाड़ियों में रखने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : नहीं, श्रीमान् ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार की सूचना में यह बात आई है कि सब चोरियां और डकैतियां उन्हीं गाड़ियों में होती हैं जिन में कोई रेलवे रक्षा दल नहीं रहता ?

श्री शाहनवाज खां : ऐसी बात नहीं समस्त चोरियां व डकैतियां जो होती हैं, वे केवल उन्हीं गाड़ियों में नहीं होतीं जिन में रक्षा दल का प्रबन्ध नहीं होता ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी रेल-गाड़ियों में, जिन में रेलवे रक्षा पुलिस थी, कितने प्रतिशत चोरियां हुईं और ऐसी गाड़ियों में कितने प्रतिशत चोरियां हुईं जिन में कोई रक्षा पुलिस नहीं थी ?

श्री शाहनवाज खां : १९५४ में रेलवे रक्षा दल वाली गाड़ियों में चोरी की संख्या ४४६ थी और बिना रक्षा दल वाली गाड़ियों में हुई चोरियों की संख्या ३०२० थी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं माननीय सभा-सचिव को सुन नहीं सका । क्या उन्होंने यह कहा कि रेलवे रक्षा दल युक्त गाड़ियों में हुई चोरियों की संख्या ४००० थी ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं; उन्हों ने वह संख्या ४०० से अधिक बताई है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या माननीय सभा-सचिव ४०० और ३,००० की असमानता को नगण्य समझते हैं और क्या वे उन गाड़ियों में, जिन में इतनी चोरी व डकैतियां होती हैं, यात्रियों की रक्षा के लिये कोई प्रबन्ध करने जा रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खां : रेलवे रक्षा पुलिस नामक संगठन, जो गाड़ियों की रक्षा करता है, अस्थायी संगठन है । उस को युद्ध के उपरान्त कुछ राज्यों में चालू किया गया था जैसे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा । श्रीमान्, हम आशा करते हैं कि जैसे ही साधारण परिस्थितियां हो जायेंगी, इस दल की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी ।

श्री चट्टोपाध्याय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री राजभोज और राज्य-सभा की सदस्या श्रीमती पार्वती के सामान की चोरी के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उस से क्या क्या पता चला ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति । जांच करना तो पुलिस का काम है ।

नलकूप

*९३०. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों का अनुसन्धान कर रही है जिन को भविष्य में नलकूप कार्यक्रमों का आधार बनाया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी, हां ।

(ख) मद्रास, आन्ध्र, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, भोपाल, बम्बई, कच्छ, सौराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आसाम, त्रावनकोर-कोचीन, राजस्थान और पेप्सू राज्यों के उपयुक्त क्षेत्र ।

श्री विभूति मिश्र : इस सम्बन्ध में क्या सरकार उन स्थानों का भी ख्याल रखती है, जो कि स्टेशन से दूर होते हैं और जहां नेता इत्यादि नहीं जाते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : तीन मेम्बरों की एक कमेटी जगह का चुनाव करती है । हाइड्रोलोजिकल और जियालोजिकल सरवे करने के बाद जिस स्थान से पानी मिलने की रिपोर्ट आती है, उस का चुनाव कर लिया जाता है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार लोक-सभा के सदस्यों से पूछेगी कि आप के यहां कौन सा एरिया (क्षेत्र) पड़ता है, जहां ट्यूबवैल लगाया जा सके ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अपना प्रश्न फिर से पूछिये ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (पंजाब)

*९३१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में अभी तक कुल कितने कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये हैं और वे कहां कहां स्थित हैं ;

(ख) इन केन्द्रों के लिये १९५४-५५ में पंजाब सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ग) क्या वहां और केन्द्र खोलने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ;

(घ) यदि हां, उन की संख्या क्या है और वे कहां कहां खुलेंगे ?

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार को इन केन्द्रों के कार्यकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं ; और

(च) यदि हां, तो अन्तिम प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ था ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) छः, जो कि निम्न स्थानों पर हैं :—

१. सरकारी पशु फार्म, हिसार ।
२. सरकारी गव्यशाला, चण्डीगढ़ ।
३. पशु चिकित्सालय, फिल्लौर ।
४. पशु चिकित्सालय, लुधियाना ।
५. रेवाड़ी गोशाला, रेवाड़ी ।
६. खालसा कालेज, अमृतसर ।

(ख) ५३,३९२ रुपये ।

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में अधिक केन्द्र खोलने के लिये प्रबन्ध विचाराधीन हैं ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा कालान्तर में इस बात का निर्णय किया जायेगा ।

(ङ) जी हां ।

(च) १ अक्तूबर, १९५५ ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार समस्त भारत में इन केन्द्रों पर कितना रुपया खर्च कर रही है और उसमें से कितना पंजाब को मिल रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : पंजाब में १९५४–५५ के लिये हमने ५३,३९२ रुपये दिये और १९५५–५६ के लिये ७७,००० रुपये का प्रावधान किया गया है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि इन केन्द्रों के होशियारपुर, कांगड़ा और गुरदासपुर में न खोलने के क्या कारण हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ये क्षेत्र अगली पंच वर्षीय योजना में चुने जायेंगे। चुने गये ६ फार्मों में अच्छा कार्य चल रहा है और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उसको अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में ले जाने का प्रस्ताव है।

श्री डी० सी शर्मा : क्या यह सत्य नहीं है कि भारत सरकार के विचाराधीन एक ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत ये केन्द्र प्रत्येक तहसील में खोले जायेंगे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : : अन्ततः मैं समझता हूं कि इसका समस्त सामुदायिक परियोजनाओं में विस्तार करने का प्रस्ताव है।

बाबू रामनारायण सिंह : क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में रिपोर्ट पहुंचती है या नहीं ? अगर पहुंचती है तो क्या सरकार बतायेगी कि सैंकड़े में कितने केस सफल होते हैं और कितने असफल ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं और ६० से ७० परसेंट केस सक्सेसफुल होते हैं।

कैन्सर

***९३३. श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २८ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि कैन्सर के लक्षणों और खतरों के सम्बन्ध में ग्रामीण जनता को शिक्षित बनाने के लिये क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालय २२ सितम्बर, १९५५ को ही निर्मित किया गया था और राजपत्रित कर्मचारियों की भर्त्ती अभी तक नहीं की गई है। कैन्सर के लक्षणों और खतरों के सम्बन्ध में ग्रामीण जनता को शिक्षा देने के लिये कदम तब उठाये जायेंगे जब उक्त कार्यालय अपने पूरे कर्मचारीवर्ग सहित कार्य करना आरम्भ कर दे।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या सरकार ग्रामीण जनता को श्रवण और दर्शन के तरीकों से शिक्षा देने के लिये वृतान्त चलचित्र दिखाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : मूलतः ग्रामीण जनता की शिक्षा का विषय राज्य सरकारों का है, परन्तु जब यह कार्यालय चालू हो जायेगा तो हम अनेक प्रकार के चलचित्र बनाने का प्रयत्न करेंगे और कैन्सर सम्बन्धी चलचित्र भी उन विषयों में से एक होगा।

कोयला खान कर्मचारियों के लिये मकान

***९३५. बाबू रामनारायण सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान मजदूर कल्याण निधि से बनवाये गये कुछ मकानों में वहां के कर्मचारी नहीं रह रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मकानों की लागत और उनकी संख्या क्या है और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां।

(ख) भूली नगर में लगभग ३० लाख रुपये की लागत से बनवाये गये लगभग ७०० मकान अभी तक खाली पड़े हैं। इस मामले को सुलझाने के लिये सम्बन्धित नियोजकों और कर्मचारियों से बातचीत की गई है ; इस बस्ती में सहायक सड़कें बना दी गई हैं ; परिवहन सुविधाओं का प्रबन्ध कर दिया गया है ; किराये में रियायत कर दी गई है और विशेष कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है।

बाबू रामनारायण सिंह : उन घरों में मजदूर लोग क्यों नहीं जाते ? इसकी क्या वजह है ?

श्री आबिद अलीः एक वजह तो यह है कि खुद कामगार किराया नहीं देना चाहते हालांकि मजदूर को सिर्फ दो रुपये देने पड़ते हैं और एम्प्लायर को ६ रुपये । दूसरी शिकायत यह है कि ये मकान कुछ दूर हैं । इसके लिये सवारी का भी इन्तजाम किया गया था, लेकिन मजदूरों की यह कुछ आदत हो गयी है कि वे कोयला खदान के आस पास ही रहना चाहते हैं । फिर भी कोशिश की जा रही है कि उनको वहां से ले जाया जाये ।

बाबू रामनारायण सिंह : क्या कोशिश की जा रही है ?

श्री आबिद अली : जैसा मैंने अर्ज किया, वहां हर किस्म की सहूलियतें दी जा रही हैं और उम्मीद है कि वर्कर्स वहां जायेंगे ।

श्री राम चन्द्र रेड्डी : खान क्षेत्र और इन मकानों के बीच कितनी दूरी है और क्या मजदूरों के रहने लायक बनाने के लिये इन मकानों में सभी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है ?

श्री आबिद अली : सभी संभव सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है । इन मकानों और खान क्षेत्र की कम से कम दूरी २ मील है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों के लिये क्वार्टर बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है क्योंकि ६ मास पूर्व मंत्री महोदय ने बताया था कि खान के मजदूरों के लिये क्वार्टर बनाने की एक नई योजना विचाराधीन है ।

श्रम मंत्री (श्री खंडुभाई देसाई) : एक नई योजना योजना आयोग के सामने पेश कर दी गई है और इस नई योजना के अन्तर्गत हम आगामी पंचवर्षीय योजना में मकान बनवाने का उपबन्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इस नई योजना के अनुसार, उन विशेष खानों के कर्मचारियों और नियोजकों से परामर्श करने के बाद क्षेत्रों के निकट २० से ३० मकानों झुंड बनाये जायेंगे । मैं समझता हूं कि इससे खान क्षेत्रों की आवास समस्या काफी हद तक सुलझ जायेगी ।

उड्डयन कर्मचारियों का प्रशिक्षण

***९३६. श्री के० सी० सोधिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "उड्डयन कर्मचारियों का प्रशिक्षण" योजना के अधीन १९५५–५६ में कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है और १९५४–५५ में कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दी गई थी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : चालू वित्तीय वर्ष में इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने लगभग २७४ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की हुई है । सन् १९५४–५५ में जिन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया उनकी संख्या २५४ थी ।

श्री के० सी० सोधिया : इस स्कीम में किस दरजे के कर्मचारो लिये जाते हैं, और यह कहां प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण के बाद ये कर्मचारी जो सीख कर लौटते हैं उनको कहां रखा जाता है ?

श्री राज बहादुर : वायुयानों के मुख्य चालकों, सब चालकों और दूसरे अधिकारी लोगों को यह प्रशिक्षण दिया जाता है ।

श्री के० सी० सोधिया : यह प्रशिक्षण कहां दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रशिक्षण कहां दिया जाता है और उसके बाद उनको कहां भेजा जाता है ?

श्री राज बहादुर : यह प्रशिक्षण इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के भिन्न भिन्न स्थानों पर दिया जाता है ।

श्री के० सी० सोधिया : यह प्रशिक्षण पा कर आये हुये कर्मचारियों को कहां लिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : प्रशिक्षण का क्रम तो बराबर चलता रहता है। कर्मचारियों को समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है और रिफ्रेशर कोर्स आदि भी दिया जाता है ।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को भी प्रशिक्षण मिल सकेगा ?

श्री राज बहादुर : यदि महिलायें चालक, सहचालक या चालक वर्ग के सदस्य हैं तो उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाता है ।

केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था

***९३७. श्री संगण्णा : :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २६ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९० जो केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था, कटक के सम्बन्ध में था, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके बाद से केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था के संस्थापन और सामान की पर्याप्तता के सम्बन्ध में जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार या कार्यान्वित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कौनसी सिफारिशें हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). कृषि संस्थाओं के संगठन के बारे में विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति लोक-सभा के पुस्तकालय में रख दी गयी है । विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लगभग स्वीकार कर लिया गया है । कार्यान्विति का कार्य शुरू होने वाला है ।

श्री संगण्णा : क्या यह सच है कि समिति की सिफारिशों में एक प्रशासनिक पदाधिकारी नियुक्त करने का सुझाव भी है और यदि हां, तो प्रशासनिक पदाधिकारी की क्या अर्हतायें होंगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति लोक-सभा के पुस्तकालय में रख दी गयी है । सिफारिशों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है । हमें सम्बन्धित विभागों से कर्मचारियों के समायोजन करने के सम्बन्ध में परामर्श करना है और इसी कारण इसके कार्यान्वित करने में कुछ विलम्ब हो गया है ।

श्री संगण्णा : क्या समिति ने फल उद्योग के विकास के लिये एक संस्था स्थापित करने का उपबन्ध करने की भी सिफारिश की है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : प्रतिवेदन लोक-सभा के पुस्तकालय में रख दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रतिवेदन में देख लें कि क्या क्या सिफारिशें हैं ।

ज्वार बाजरा और मक्का की खेती

***९३८. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामों में कमी हो जाने के कारण वर्तमान वर्ष में ज्वार बाजरा और मक्का की खेती पहले की अपेक्षा कम भूमि पर की गयी ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वर्ष में इन फसलों की खेती अनुमानतः कितने एकड़ में हुई है ; और

(ग) १९५४–५५ में इनकी खेती कितने एकड़ में हुई थी ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) :(क) यद्यपि ज्वार बाजरा और मक्का की खेती कम भूमि पर की गयी है पर यह बताना संभव नहीं है कि यह केवल मूल्यों में कमी होने के कारण हुआ। राज्य सरकारों ने बताया है कि इन फसलों की खेती कम भूमि पर इसलिये हो रही है कि फसल बोते समय मौसम उपयुक्त नहीं था और वर्षा भी देर से हुई।

(ख) और (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनबन्ध संख्या ४७]**

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस वर्ष इन फसलों के अन्तिम प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अभी तैयार नहीं हो पाये हैं।

श्री हेडा : गत एक वर्ष के दौरान इन तीनों फसलों के मूल्य में क्या कमी हो गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : पिछले डेढ़ वर्ष में, दो वर्ष पहले के मूल्यों की तुलना में, इन फसलों के मूल्य में ३५ प्रति शत तक की कमी हुई है।

श्री बंसी लाल : क्या ज्वार बाजरा और मक्का की फसल के लिये राजस्थान को किसी मान्य प्रकार के बीज दिये गये हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : राजस्थान में भारत में सब से अच्छे किस्म का ज्वार पैदा होता है।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय उप-मंत्री ने अभी बताया कि राजस्थान में भारत में सब से अच्छे किस्म का ज्वार पैदा होता है। उनका कहना कहां तक सच है क्योंकि अभी उन्होंने बताया है कि राज्य सरकारों ने भारत सरकार को बताया है कि इन फसलों के कम क्षेत्र पर किये जाने का मुख्य कारण खराब मौसम था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : माननीय सदस्य श्री बंसीलाल ने पूछा था कि क्या राजस्थान को किसी अच्छे प्रकार के ज्वार के बीज दिये गये हैं। मैंने उत्तर दिया कि राजस्थान में देश का सब से अच्छा ज्वार पैदा होता है।

अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (खान विवाद)

***९३९. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय औद्यो-गिक न्यायाधिकरण (खान विवाद) ने अपना पंचाट दे दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही किस स्थिति में है ; और

(ग) सरकार को कब तक पंचाट मिल जाने की आशा है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, नहीं।

(ख) साक्ष्य पूर्ण हो चुका है और १२ दिसम्बर, १९५५ को बहस की अवस्था प्रारम्भ होने की आशा थी।

(ग) लगभग फरवरी, १९५६ के अन्त तक।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस बात को ध्यान में रख कर कि यह न्यायाधिकरण लगभग दो वर्ष पूर्व बनाया गया था, सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है कि पंचाट ज्योंही सरकार को प्राप्त हो सरकार उसके सम्बन्ध में अपना निर्णय तुरन्त घोषित कर दे ? मैं यह प्रश्न इसलिये पूछ रहा हूं कि इस न्यायाधिकरण के क्षेत्र में ९०० खानें और ३,१५,००० कर्मचारी हैं।

श्रम मंत्री (श्री खंडु भाई देसाई) : यह सच है कि न्यायाधिकरण लगभग दो वर्ष

पूर्व बनाया गया था । पर, दुर्भाग्यवश, लगभग एक वर्ष तक न्यायाधिकरण कोई काम न कर सका क्योंकि न्यायाधिकरण के विभिन्न सदस्यों में आपस में कुछ तनातनी थी । फरवरी, १९५५ में न्यायाधिकरण का पुनर्संगठन करना पड़ा । अतः गत नौ महीनों में ही वह काम कर सके हैं और अब वह साक्ष्य समाप्त कर चुका है और तर्क जारी हैं । हमें आशा है कि बहुत शीघ्र ही पंचाट हमें मिल जायेगा और ज्योंही पंचाट हमें मिल जायेगा उसे गजट में प्रकाशित करवाने में कोई विलम्ब नहीं होगा ।

भारतीय नौवहन

*९४०. **श्री विभूति मिश्र :** क्या परिवहन मंत्री १४ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत नौवहन को राज्य की ओर से कोई सहायता देना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार भारतीय नौवहन को प्रत्यक्ष राज्य सहायता देने की एक योजना बनाना चाहती है। यदि हां, तो स्थिति यह है कि ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है । जैसा कि प्रश्न संख्या १७२२ के उत्तर में बताया गया है, भारतीय नौवहन समवायों को रियायती ब्याज की दर पर सरकारी ऋण के रूप में अप्रत्यक्ष वित्तीय राज्य सहायता दी जा रही है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या ऐसी परिस्थिति है कि इस लोन की दर को देखते हुये ये शिपिंग कम्पनियां अपने शिपिंग के मामले को बढ़ा नहीं सकती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको सबसिडी देना नहीं चाहती ?

श्री शाहनवाज खां : इस वक्त जिस सूद पर गवर्नमेंट सबसिडी देती है वह कोस्टल शिपिंग के लिये ४ से साढ़े चार फी सदी है और ओवरसीज शिपिंग के लिये यानी समुद्र पार के शिपिंग के लिये सिर्फ ढाई फी सदी पर देती है । मेरे ख्याल में यह काफी रीजनेबिल है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४. श्री विश्वनाथ राय: क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू मौसम में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गन्ने के मूल्य की दर कम कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में अपनी नीति बदल दी है; और

(ग) गन्ने के मूल्य में कमी करने से गन्ना पैदा करने वाले कितने व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के नैनीताल और देहरादून के कुछ केन्द्रों से वर्तमान पेलाई के मौसम में भेजे जाने वाले गन्ने के न्यूनतम मूल्य में २ आना प्रतिमन कमी की अनुमति दी गयी है, इस शर्त के अधीन की इस गन्ने में से कितनी मात्रा में चीनी उपलब्ध होगी उसी मात्रा में उस कमी का उन गन्ना पैदा करने वालों को भुगतान कर दिया जायेगा ।

(ख) जिस नीति के बारे में पूछा गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(ग) जिन गन्ना पैदा करने वालों पर इसका प्रभाव पड़ेगा उनकी संख्या

पता नहीं है पर गन्ने की कुल मात्रा अनुमानतः ३.३ लाख टन है ।

श्री विश्वनाथ राय : पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने यह नीति अपनाई है कि कारखानों तक गन्ना पहुंचने के लगभग एक वर्ष पूर्व वह गन्ने के मूल्य की घोषणा कर देती है । मैं जानना चाहता हूं कि वह नीति इस समय क्यों बदल दी गयी जब कि कारखाने गन्ना खरीदने जा रहे हैं ?

श्री ए० पी० जैन : यह सच है कि गन्ने का मूल्य फसल के विक्रय के एक वर्ष पूर्व घोषित कर दिया जाता है । पर सरकार को अधिकार है कि आवश्यक परिस्थितियों में वह मूल्य में परिवर्तन कर दे। इस मामले में, उत्तर प्रदेश सरकार जांच करने के बाद इस निश्चय पर पहुंची कि गत दो या तीन वर्षों में इन केन्द्रों से खरीदे गये गन्ने से जो चीनी निकली वह कम थी। अतः १ रु० ७ आने का मूल्य लागू किया जाता तो शायद कारखाने काम न कर पाते । हम चाहते थे कि गन्ना पैदा करने वालों के हितों की रक्षा की जाय और हम यह भी नहीं चाहते थे कि ये कारखाने काम न करें । अतः हमने सोचा कि हमें उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री विश्वनाथ राय : उन कारखानों के क्या नाम हैं जो उन क्षेत्रों से गन्ना खरीदते हैं जहां नीति का यह परिवर्तन लागू कर दिया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : गोकुल नगर का चीनी का एक कारखाना तराई क्षेत्र से हटा दिया गया है और एक सहकारी कारखाना स्थापित करने और किसी गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा तराई में कारखाना खुलवाने का प्रयत्न किया गया पर वह असफल रहा वास्तव में इस क्षेत्र में गड़बड़ होती रही है और इस में उत्पन्न गन्ने से चीनी का उत्पादन बहुत कम रहा है ।

श्री सी० डी० पाण्डे : क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय ७ और कारखाने हैं जिन में गन्ने से चीनी का उत्पादन औसत से कम है और क्या सरकार वहां भी मूल्य कम करना चाहती है ?

श्री ए० पी० जैन : ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है; उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं भेजी है ।

श्री शिवनंजप्पा : इस बात को देखते हुए कि १९५४ और १९५५ में भारतीय चीनी मिलों ने अच्छा मुनाफा कमाया है, क्या मैं जान सकता हूँ कि गन्ना पैदा करने वालों को अधिक मूल्य दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री ए० पी० जैन : माननीय सदस्य जानते होंगे कि अधिक मुनाफे बांटने के लिये एक सूत्र है। यदि कोई अधिक मुनाफा उत्पादकों को देय है तो मिलों को उन्हें देना ही होगा।

श्री बोगावत : कीमतें गिर गयी हैं और जो उत्पादक मिलों को गन्ना बेचना चाहते हैं उन्हें बहुत कम कीमतों पर बेचना पड़ता है । क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी कि गन्ना निश्चित मूल्य पर खरीदा जाये ?

श्री ए० पी० जैन : हमने न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है और किसी कारखाने को उस निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर नहीं खरीदने दिया जायगा ।

श्री झुनझुनवाला : क्या वह सूत्र केवल १९५३–५४ के लिये लागू किया गया था या आगे भी लागू होगा ? वह सूत्र क्या है ?

श्री ए० पी० जैन : वह सूत्र सभा पटल पर कई बार रखा जा चुका है । वह गणित का एक सूत्र है और उसे दोहराना मेरे लिये संभव नहीं है । वह सूत्र गत वर्ष लागू था । अब उसका पुनर्विलोकन इस लिये किया जा रहा है कि मिलों की शिकायत है कि उन्हें

कोई छूट नहीं दी गई है और गन्ना-उत्पादक भी यह समझते हैं कि उन्हें उन का उचित भाग नहीं दिया गया है । सूत्र का पुनर्विलोकन किया जा रहा है और वही सूत्र या पुनरीक्षित सूत्र इस वर्ष और अगले वर्षों में लाग होगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या गन्ने का मूल्य निर्धारित करते समय उस से होने वाले चीनी के उत्पादन के प्रश्न पर विचार किया गया था और क्या उत्तर प्रदेश के इन विशिष्ट क्षेत्रों से उत्पादन गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम हुआ है और क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से वास्तव में कोई परीक्षण यह जानने के लिये किया गया है कि क्या उत्पादन कम हुआ है ?

श्री ए० पी० जैन : गन्ने का मूल्य इस आधार पर होता है कि उससे औसतन ९.६ प्रतिशत चीनी निकलेगी । वर्ष १९५१–५२ में दोइवाला गन्ने से उत्पादन ८.४७ प्रतिशत, १९५२–५३ में ८.५१, १९५३–५४ में ९.०८ और १९५४–५५ में ८.०१ था । जहां तक इस वर्ष का सम्बन्ध है, वह कुछ समय बाद मालूम होगा । हम प्रौद्योगिकों तथा संस्था से अपने विशेषज्ञों को समय समय पर मिलों में यह देखने के लिये कि वास्तविक उत्पादन किया है, भेजेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब अगला कार्य आरम्भ करेगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी उठे —

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रारंभ से देख रहा हूं कि माननीय सदस्य ने मेरी ओर नहीं देखा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

टिकिट चेकरों (टी० टी० आई) की सुविधायें

***८९०. श्री वी० पी० नायर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के भूतपूर्व एम० एस० एम० सेक्शन में टीटीयों को अपना काम समाप्त करने पर आराम करने की कोई सुविधा मिलती है; और

(ख) क्या यह सच है कि बैत्रगुन्टा जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी टीटीयों को विश्रामकक्षों और अपने वक्स रखने के कमरों के अभाव के कारण प्लैटफार्मों पर सोना पड़ता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ख) बैत्रगुंटा में टी० टी० लोग ट्रेनक्लर्क के कार्यालय में विश्राम करते हैं और विश्रामगृह की व्यवस्था विचाराधीन है ।

डाक-तार विभाग के कर्मचारी वर्ग के लिये छुट्टियां

***८९२. डा० सत्यवादी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को जो छुट्टियों के दिनों में काम करते हैं, छुट्टियों के दिनों में काम करने पर भत्ते आदि के रूप में कोई प्रतिकर दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केवल डाकियों और पैकर्स को भत्ता दिया जाता है ।

(ख) डाकखाने की एक छुट्टी के दिन काम करने पर केवल एक रुपया ।

चीनी (नियंत्रण) आदेश, १९५५

***८९५. श्री झूलन सिंह :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चीनी (नियंत्रण) आदेश, १९५५ और

गन्ना (नियंत्रण) आदेश जो दोनों ही अत्यावश्यक अधिनियम, १९५५ के अधीन जारी किये गये थे, के अनुसरण में अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० बी० कृष्णप्पा) : चीनी (नियंत्रण) आदेश, १९५५ और गन्ना (नियंत्रण) आदेश, १९५५ अधिकतर चीनी और गुड़ नियंत्रण आदेश, १९५० के उपबन्धों जैसे ही हैं और इस लिये नये आदेशों के अनुसरण में कोई विशेष कार्यवाही आवश्यक नहीं थी।

टेल्को

(टाटा इंजिनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड)

*८९८. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टाटा इंजिनियरिंग एन्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड ने जनवरी, १९५८ तक अपने इंजिन विभाग की क्षमता पूरे १०० इंजन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने की प्रस्थापना की है;

(ख) क्या सरकार ने उसकी प्रस्थापना पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, इस विषय में क्या निश्चय किया गया है; और

(घ) क्या कम्पनी द्वारा बनाये गये इंजिन शतप्रतिशत देशीय हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हां। १०० वाई० जी० इंजिन जिन का आडर दिया गया है उन्हें देने का काम मई, १९५८ में प्रारम्भ हो जायगा और मार्च १९५९ में समाप्त हो जायगा।

(घ) जी, नहीं। १-७-५४ से तैयार किये जाने वाले इंजिनों में ७५ प्रतिशत देशी पुर्जे होते हैं। १९५८-५९ में १०० वाई० जी० इंजिनों के लिये बड़ा आर्डर टेल्को ने इस शर्त पर स्वीकार किया है कि पहले ५० इंजिनों के बाद के इंजनों में कम से कम ५० प्रतिशत देशी पुर्जे होंगे और यदि सम्भव हो, तो कम से कम ६० प्रतिशत तक देशी पुर्जे लगाए जायेंगे।

मंगलापुझा पुल

*९०६. **श्री मात्तन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य में मंगलापुझा पुल बनाने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) काम प्रारम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पुल का स्थान अन्तिम रूप से केन्द्रीय सरकार ने राज्य के प्रधान इंजीनियर की सिफारिशों के विरुद्ध चुना था;

(घ) राष्ट्रीय राजपथ प्रमाप-विस्तृत विवरण के बोस्टिंग गर्डर ढंग के पुल के प्रति फुट रन की सामान्य लागत की तुलना में प्रस्थापित मंगलापुझा पुल की प्रति फुट रन लागत कितनी है; और

(ङ) यह पुल कब तक सम्भवतः पूरा हो जायगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) पुल बनाने के लिये टेन्डर मांगे गये हैं।

(ख) एक से अधिक स्थान का सर्वेक्षण और अनुसन्धान करना था जिसमें कुछ समय लगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पुल की लागत न केवल गर्डरों के ढंग पर बल्कि अनेक अन्य बातों पर

जैसे नींव की गहराई, निचली भूमि का स्वरूप पुल के प्रत्येक भाग की लम्बाई आदि पर निर्भर है । इस प्रकार प्रतिफुट बैस्ट्रिंग गर्डर पुल की कोई निश्चित लागत नहीं हो सकती। इस पुल के लिये स्वीकृत डिज़ाइन बैस्ट्रिंग ढंग का है और उसकी अनुमानित लागत प्रति फुट रन २,१६३ रुपये होती है जो उस स्थान के लिये उचित समझा जाता है ।

(ङ) काम प्रारम्भ होने के बाद तीन वर्ष में ।

गोदावरी पुल

*९०७. **श्री मोहन राव :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आलमपुर में गोदावरी नदी की गौतमी शाखा पर पुल बनाने का काम प्रारम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में उसके लिये कितनी धनराशि रखी गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) १३,५६,३०० रुपये ।

सियालदह डिविजन में विद्युतीकरण

*९०८. **श्री साधन गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के सियालदाह डिवीज़न में बिजली से रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था करने का काम कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) डिवीज़न के प्रत्येक भाग में किस क्रम से यह व्यवस्था की जायेगी और प्रत्येक भाग में यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) अभी तक कोई न्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे सुरक्षा दल

*९०९. **श्री सिंहासन सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी रेलवे पुलिस, रेलवे रिज़र्व पुलिस और सुरक्षा तथा प्रतिपालन कर्मचारी वर्ग में, जिसे अब रेलवे सुरक्षा दल कहा जाता है, किस प्रकार समन्वय होता है और उसके क्या कार्य हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : सरकारी रेलवे पुलिस रेलवे में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये होती है और रेलवे रिज़र्व पुलिस सरकारी रेलवे पुलिस की विशेष सशस्त्र शाखा के रूप में काम करती है । रेलवे सुरक्षा दल केवल रेलवे सम्पत्ति और रेलवे के अधिकार में रखे गये माल की रक्षा के लिये होता है । इन तीनों संगठनों में समन्वय उनके पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर, व्यक्तिगत सम्पर्क और सभाओं द्वारा किया जाता है ।

अहमदाबाद आबू लाइन

९१०. **श्री तुलसीदास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और आबू के बीच रेल की दोहरी पटरी लगाने की प्रस्थापना की पूरी तरह जांच ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में निर्णय क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) अहमदाबाद और कलोल के बीच के टुकड़े में पहले ही दोहरी पटरी बनायी जा रही हैं और कलोल से मेसाणा तक और आगे उन लाइनों को बढ़ाने का काम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । अहमदाबाद आबू भाग में और आगे दोहरी पटरी बनाने की आवश्यकता अब नहीं है ।

उदयपुर--बांसवाड़ा टेलीफोन लाइन

*९१४. **श्री भीखा भाई :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान और अजमेर क्षेत्र की डाक-तार मंत्रणा समिति ने उदयपुर और बांसवाड़ा के बीच पक्की टेलीफोन लाइन लगाने की सिफ़ारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) उदयपुर-डूंगरपुर भाग पर फिर लाइन लगाने का काम ३० अगस्त, १९५४ को पूरा हो गया था । डूंगरपुर बांसवाड़ा भाग में भी लाइन लगाने की परियोजना २८ सितम्बर, १९५५ को मंजूर की गयी थी । अगले वित्तीय वर्ष में यह काम पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

कलकत्ता पत्तन

*९१६. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन आयुक्त सेवा में भर्ती केवल कलकत्ते के काम दिलाऊ दफ्तर के जरिये की जाती है और कलकत्ते के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के आवेदन पत्र नहीं लिये जाते ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के भूतपूर्व कर्मचारियों या वर्तमान कर्मचारियों के लड़कों के आवेदन पत्रों के मामले में कोई अपवाद किया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) कलकत्ता पत्तन आयुक्त सेवाओं में केवल श्रेणी ३ और और ४ के पदों के लिये ही काम दिलाऊ दफ्तरों के जरिये भर्ती की जाती है । जिन पदों के लिये मैट्रिक स्तर से ऊपर की अथवा विशेष योग्यता या अनुभव की आवश्यकता होती है, उनके लिये कलकत्ता से बाहर काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीकृत उम्मीदवारों की सिफारिश भी कलकत्ता काम दिलाऊ दफ्तर द्वारा की जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

दिल्ली सड़क परिवहन सेवा

*९१८. **श्री रनदमन सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नॉर्थ तथा साउथ ब्लाक और पार्लियामेंट हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर दफ्तर में पहुंचने तथा बिना किसी कठिनाई के वहां से घर जाने के लिये सचिवालय के बस स्टेशन पर स्थायी रूप से कितनी विशेष बसों का प्रबन्ध किया हुआ है;

(ख) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि बसों की वर्तमान संख्या से कर्मचारियों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस समय सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट और पार्लियामेंट हाउस को आने जाने के मार्गों पर ४९ बसों का बेड़ा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सैन्ट्रल सैक्रेट्रेरिएट को आने जाने वाली बसों की संख्या जल्दी ही बढ़ा दी जाएगी ।

एयर इंडिया इंटरनेशनल

*९२०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में एअर इंडिया इंटरनेशनल के अपने कार्यालय हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां वे कार्यालय हैं;

(ग) क्या एअर इंडिया इंटरनेशनल ने विदेशों में उसके मामलों की देखभाल के लिये दूसरी कंपनियों को अभिकरण दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, ।

(ख) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४९]**

(ग) और (घ). एअर इंडिया इंटरनेशनल ने विदेशों में कुछ सामान्य बिक्री अभिकर्त्ताओं को नियुक्त किया है जो अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था की सदस्य विमान कम्पनियां हैं, जिनके कार्यालयों का एक जाल विदेशों में फैला हुआ है और वहां उनके सक्रिय बिक्री प्रतिनिधि हैं जिनके लिये वे नियुक्त किये गये हैं । यह इसलिये किया गया है कि उन देशों में जितने भी टिकट बिक सकते हों बेचे जायें ।

सौराष्ट्र रेलवे भ्रष्टाचार मामला

*९२६. **श्री के० के० बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व सौराष्ट्र रेलवे के पदाधिकारियों को १३ लाख रुपयों के गबन के सम्बन्ध में दिये गये नोटिसों का उत्तर कब प्राप्त हुआ था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : पश्चिमी रेलवे के महाप्रबन्धक को पदाधिकारियों के उत्तर ७-७-५५, २२-८-५५, २५-८-५५ और ३०-८-५५ को प्राप्त हुए थे ।

एयर इंडिया इंटरनेशनल

*९३२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया इंटरनेशनल के विमानों में व्योम बालाओं (एयर होस्टॅस) अथवा उपस्थापकों (स्टीवर्ड) के रूप में विदेशी राष्ट्रजनों को सेवायुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस कारण से ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) उपस्थापकों को (स्टीवर्ड) के रूप में तो कोई भी विदेशी राष्ट्रजन नहीं है, परन्तु सात विदेशी राष्ट्रजन व्योमबालाओं (एयर होस्टॅस) के रूप में काम कर रही हैं ।

(ख) ऐसा विशेष अपेक्षित अर्हताओं को दृष्टि में रखते हुए किया गया था । यूरोपीय विमान-सेवाओं के लिये कुछ एक द्विभाषी व्योम बालाओं को, और भारत-जापान विमान-सेवा के लिये कुछ एक जापानी विमान बालाओं को सेवायुक्त करने की आवश्यकता थी ।

वसिष्ट नदी पर पुल

*९३४. **श्री मोहन राव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसिष्ट नदी पर एक पुल बनाने के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ किया जा रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) आशा है कि पुनर्निर्माण का कार्य १९५६ के उत्तरार्ध में प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

पटना और दरभंगा के बीच रेल-सेवा

५६२. श्री श्रीनारायण दास : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर पटना (महेन्द्रघाट) और दरभंगा के बीच वर्तमान रेल-यात्रा के समय को कम करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) इस भाग (सेक्शन) पर एक एक्सप्रैस गाड़ी कितना समय ले लेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) अभी नहीं । एक शीघ्र गामिनी गाड़ी चलाने की सुकरता पर उसी समय विचार किया जायेगा जब कि इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त लाइन क्षमता, अतिरिक्त डिब्बे तथा इंजन उपलब्ध हो जायेंगे । तथापि, इसकी कार्यान्विति में कुछ समय लगेगा ।

(ख) आशा है कि एक एक्सप्रैस गाड़ी प्लेजाघाट और महेन्द्रघाट के मध्य नदी को पार करने को छोड़ कर लगभग ५ घंटे लेगी जब कि आज कल सात घंटे लगते हैं ।

चीन में चिकित्सा संस्थायें

५६३. श्री श्रीनारायण दास :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उन्होंने हाल में ही अपने चीन के दौरे में वहां पर किन-किन सैनेटोरियों और अन्य चिकित्सा संस्थाओं को देखा; और

(ख) क्या उन्होंने उस देश में ऐसी कोई स्वास्थ्य योजना पाई जो वे भारत में अपनाना चाहेंगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर):

(क) इस बारे में एक विवरण, जिसमें आवश्यक जानकारी दी गयी है, सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५०]**

(ख) जी हां, जैसे कि ग्रामों के लिये स्वास्थ्य सहायकों की ट्रेनिंग, स्वास्थ्य रक्षा के लिये व्यायाम, बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा, मक्खी-मारो कार्यक्रम ।

दरभंगा और लहेरिया सराय स्टेशनों में सुधार

५६४. श्री श्रीनारायण दास : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर नरकटिया सेक्शन पर दरभंगा और लहेरिया सराय स्टेशनों पर पिछले तीन वर्षों में क्या सुधारे किये गये हैं;

(ख) कौन सा काम अभी भी किया जा रहा है;

(ग) कौन से सुधार विचाराधीन हैं; और

(घ) यात्रियों की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) (१) **दरभंगा ।**

१. मध्यवर्ती और मुख्य यात्री-प्लेटफार्म के ऊपर शेड की व्यवस्था ।

२. पानी के कठघरों की व्यवस्था—२ ।

३. ऊंचे दर्जे के एक और प्रतीक्षालय की व्यवस्था ।

४. प्लेटफार्म पर बेंचों की व्यवस्था—२४ ।

५. तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का फर्श ऊंचा करना ।

६. अधिक नल-कूप की व्यवस्था—१ ।

७. प्लेटफार्म पर पीने के पानी की मशीन और हौज की व्यवस्था ।

८. कर्मचारियों के क्वार्टर और तीसरे दर्जे के यात्री-शेड के बीच साढ़े छः फीट ऊंची दीवार उठाना ।

९. पार्सल घर की व्यवस्था ।

१०. ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालय (महिला और पुरुष) में रोशनी और पंखे की व्यवस्था ।

११. प्लेटफार्म के बढ़ाये गये भाग, मुख्य और मध्यवर्ती प्लेटफार्म पर नये पार्सल घर, नये इम्प्रेस्ट गोदाम और व्हीलर की किताब की दुकान पर बिजली की रोशनी की व्यवस्था ।

१२. भोजनालय में पंखे की व्यवस्था ।

(२) लहेरिया सराय

१. ऊंचे दर्जे के एक और प्रतीक्षालय की व्यवस्था ।

२. तीसरे दर्जे के टिकट घर की व्यवस्था ।

३. एक खोंमचे की दुकान की व्यवस्था ।

४. प्लेटफार्म पर बैंचों की व्यवस्था ।

५. नाम-पटों की व्यवस्था ।

६. ऊंचे प्लेटफार्म की व्यवस्था ।

७. स्टेशन आने वाली सड़क पर रोशनी की समुचित व्यवस्था ।

८. महिला प्रतीक्षालय में अधिक रोशनी और एक पंखे की व्यवस्था ।

९. व्हीलर की किताब की दुकान में बिजली की रोशनी की व्यवस्था ।

१०. तीसरे दर्जे के यात्री-शेड के नये टिकट घर में बिजली की रोशनी और एक पंखे की व्यवस्था ।

११. अतिरिक्त चालू लाइन की व्यवस्था

(ख) (१) **दरभंगा**

१. प्रतीक्षालय और मुख्य प्लेटफार्म पर ५ सीटवाले जल-वाहित और ३ सीटवाले पेशाबघरों की व्यवस्था ।

२. प्रतीक्षालयों में साफ-सुथरी टट्टियों की व्यवस्था ।

३. अतिरिक्त पार्सल साइडिंग की व्यवस्था ।

४. चिकित्सा विभाग के लिये प्लेटफार्म पर सेनिटरी भंडार घर, जिसमें यात्री-सुविधा के लिये सेनिटरी सामान इकट्ठा रहे ।

२. स्टेशन की इमारत के एक सिरे पर १०′ × १५′ नाप का एक कमरा बनेगा जिसमें 'सी' दर्जे की दुर्घटना में ग्रस्त यात्रियों की चिकित्सा की सामग्री रहेगी ।

(२) लहेरिया सराय

कोई नहीं ।

(ग) और (घ). **(१) दरभंगा**

१. एक लाउडस्पीकर लगाना ।

२. पूछताछ घर ।

३. स्नान घर ।

४. प्लेटफार्म को ऊंचा करना और उस पर फर्श बिछाना ।

५. प्लेटफार्म पर और प्रतीक्षालयों में अधिक रोशनी और पंखे ।

६. मध्यवर्ती प्लेटफार्म पर ऊपर से पानी पहुंचाने का प्रबन्ध ।

७. खोंमचे की दुकान ।

८. यार्ड को नये नमूने पर बनाना और सिगनलिंग और इन्टर-लोकिंग की पूरी व्यवस्था करना ।

(२) लहेरिया सराय

१. पार्सल घर और पार्सल गोदाम की व्यवस्था ।

२. हर रेलवे की यात्री-सुविधा समिति यात्री-सुविधा के कामों का वार्षिक कार्यक्रम तैयार करती है । इस समिति में जनरल मैनेजर, इंजिनीयरिंग, परिचालन और

वाणिज्य विभाग के प्रधान अधिकारी और हर उपभोक्ता सलाहकार समिति के प्रतिनिधि होते हैं । मंजूरी के लिये काम चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अमुक वर्ष में कुल कितना धन उपलब्ध है और अलग-अलग स्टेशनों पर उन कामों की क्या महत्ता और आवश्यकता है और वे कितने जल्द किये जाने चाहियें ।

डाक व तार के शिकायतों सम्बन्धी कार्यालय

५६५. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में शिकायतों सम्बन्धी कार्यालयों को कितने मामले प्राप्त हुए और कितनों का निर्णय किया गया; और

(ख) उपरोक्त समय में डाक, तार तथा टेलीफोन सेवाओं की सुस्ती के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)

प्राप्त हुए मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनका निर्णय हो चुका है
४,१७,२२२	४,०८,३६२

(ख) २७,३३८ ।

(उपरोक्त आंकड़े १-१-१९५५ से ३०-११-१९५५ तक के हैं)

रात्रि विद्यालय

५६६. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिये १९५५ में कोई नये रात्रि विद्यालय प्रारम्भ किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कालावधि में इन रात्रि विद्यालयों के किन्हीं विद्यार्थियों ने 'हाई स्कूल' की परीक्षा पास कर ली है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, सात स्थानों—अर्थात्, गौहाटी, नैनीताल, फरुखाबाद, अम्बाला, बिलासपुर, अकोला तथा नई दिल्ली ।

(ख) किसी ने भी नहीं ।

रेलवे के डिब्बे इंजन आदि

५६७. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में कुल कितने मील लम्बी रेलवे लाइनों पर बिजली की रेल गाड़ियां चलती थीं और उस पर कितने रेलवे के डिब्बे, इंजिन आदि उपयोग में लाये जाते थे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : १९५४-५५ के अन्त में कुल २४०.२४ मील रेलवे लाइनों पर बिजली की रेल गाड़ियां चलती थीं, इन पर बिजली से चलने वाले १७५ मोटर, ३७६ ट्रेलर डिब्बे और ४४ इंजन काम में लाये गये ।

कम्पोस्ट खाद

५६८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पोस्ट खाद बनाने और उसका उपयोग करने की योजनाओं को विभिन्न राज्य सरकारों ने कहां तक कार्यान्वित किया है;

(ख) सब राज्यों में एक समान योजना को अपनाने के लिये क्या भारत सरकार ने सुझाव दिया है; और

(ग) क्या कम्पोस्ट खाद के उपयोग से प्रति एकड़ उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) सन् १९५४–५५ में राज्यों के शहरी केन्द्रों में कम्पोस्ट खाद के उत्पादन और वितरण का एक विवरण नत्थी कर दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(ख) जी हां ।

(ग) ऐसा अनुमान है कि एक टन कम्पोस्ट खाद के उपयोग करने से भिन्न भिन्न राज्यों में अनाजों का अधिक उत्पादन एक से डेढ़ मन तक होता है ।

बाढ़ों से क्षति

५६९. **चौधरी मुहम्मद शफी :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९५५ से बाढ़ों के कारण खंड़ वार रेलों को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी है; और

(ख) क्षतिग्रस्त सम्पत्ति की मरम्मत पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य बाढ़ों के कारण रेलवे सम्पत्ति को हुई हानि की ओर निर्देश कर रहे हैं । इन बाढ़ों के कारण होने वाली हानि तथा क्षतिग्रस्त सम्पत्ति की मरम्मत पर खर्च की गई कुल राशि निम्नलिखित है: —

रेलवे	१-७-१९५५ से बाढ़ों के कारण रेलों को हुई हानि	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति की मरम्मत पर खर्च की गई कुल राशि
	रुपये	रुपये
मध्य	६२,९७३	६२,९७३
पूर्व	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पूर्वोत्तर	१३,६०,०००	३२,५०,०००
उत्तर .	६३,९०,०००	६३,९५,०००
दक्षिण पूर्व .	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दक्षिण .	१२,६७५	१२,६७५*
पश्चिमी .	१८,२००	३८,३००
कुल .	७८,४३,८४८	९७,५८,८४८

*इसमें ३०-११-५५ को आने वाले साईक्लोन के द्वारा होने वाली क्षति तथा क्षतिग्रस्त सम्पत्ति की मरम्मत पर किया गया खर्च सम्मिलित नहीं है ।

टी० टी०

५७०. चौधरी मुहम्मद शफी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि १९५० में पदोन्नति प्राप्त करने वाले टी० टी०यों से १९५३ में पदोन्नति प्राप्त करन वाले टी० टी० यों को कनिष्ठ घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां, कुछ एक मामलों में ।

(ख) रेलों के पुनर्वर्गीकरण से पूर्व कुछ एक टिकट-क्लक्टरों को बिना वरिष्ठता के ही केवल अत्यावश्यकता के ही कारण टी० टी० बना दिया गया था। सम्मिलित वरिष्ठता सूचियों को अन्तिम रूप देने पर यह ज्ञात हुआ

कि उच्च पदोन्नति के लिये कई वरिष्ठ कर्मचारी रह गये हैं और इसलिये इस पदोन्नति को बाद में फिर नियमित किया गया ।

फ्रन्टीयर मेल

५७१. **श्री डाभी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सत्य है कि यात्रियों को 'फ्रेन्टीयर मेल' के द्वारा एक तृतीय श्रेणी के डिब्बे में ८०० मील तक के मार्ग की यात्रा करने की अनुमति नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण ह ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) बम्बई से चलने वाली 'फ्रन्टीयर मेल' के लिये 'बम्बई सैन्ट्रल' बड़ौदा के मध्य के स्टेशनों से बैठने वाले तृतीय श्रेणी के यात्रियों को दिल्ली के पार के स्टेशनों के टिकट दिये जाते हैं; दिल्ली से बम्बई जाने वाली 'फ्रेन्टीयर मेल' के लिये दिल्ली तथा कोटा के मध्य के स्टेशनों से बैठने वाले तृतीय श्रेणी के यात्रियों को केवल बम्बई के टिकट दिये जाते हैं ।

उत्तरी रेलवे में दिल्ली और जलन्धर के मध्य 'फ्रन्टीयर मेल' से यात्रा करने वाले तृतीय श्रेणी के यात्रियों को २०० मील से कम दूरी वाले स्थानों के टिकट नहीं दिये जाते ।

(ख) यह निर्बन्धन अधिक भीड़ तथा उसके द्वारा लम्बी यात्रा करने वाले तृतीय श्रेणी के यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है ।

केन्द्रीय परिवहन बोर्ड

५७२. **चौधरी रघुवीर सिंह :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय परिवहन बोर्ड की स्थायी समिति के कर्मचारी प्रतिवर्ष बदल दिये जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस वर्ष क्या परिवर्तन किये गये हैं; और

(ग) इसवर्ष इस समिति की कितनी बैठकें हुई थीं तथा कहाँ कहाँ हुई थीं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) १२—सभी बैठकें नई दिल्ली में हुई थीं ।

बी० सी० जी० के टीके

५७३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अभी तक कुल कितने व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये हैं; और

(ख) उनकी राज्यवार संख्या क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) जनवरी से अक्तूबर, १९५५ तक ६,७१९,९०४

(ख)

राज्य	बी० सी० जी० के टीके लगे
आन्ध्र	२७९,३६५
आसाम	२८४,२४१
बिहार	९६४,२९१
बम्बई	७१०,०९३
मध्य प्रदेश .	२५८,५६६
मद्रास	३३८,४३५
उड़ीसा . .	३३९,६५०
पंजाब .	२४४,७६६
उत्तर प्रदेश . .	४१७,२९२
पश्चिमी बंगाल .	७१०,६०३
हैदराबाद	४६८,७३०
काश्मीर .	२५२,०९२
मध्य भारत . .	६४,७१७

मैसूर . .	३४७,३४२
पैप्सू . .	१३१,३१६
राजस्थान . .	९४,९७४
सौराष्ट्र . .	९६,३८६
त्रावनकोर-कोचीन .	३९५,१७६
अजमेर . .	१४,०४४
भोपाल . .	४२,५६३
कुर्ग . .	१६,६२०
दिल्ली . .	२८,८१७
हिमाचल प्रदेश . .	२१,८९२
कच्छ . .	१६,५९७
मनीपुर . .	२२,६०६
विन्ध्य प्रदेश . .	११२,६२८
त्रिपुरा . .	१६,०९५
	६,७१९,९०४

शिकायतें

५७४. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में मध्य रेलवे के स्टेशनों पर शिकायतें लिखी जाने के प्रयोजनार्थ रखी हुई कापियों में कितने व्यक्तियों ने शिकायतें लिखी हैं; और

(ख) उन शिकायतों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) ३,५५७।

(ख) उपयुक्त प्रतिकार कार्यवाहियां की गई थीं; जिनमें सुविधायें देना तथा कार्य प्रणाली में सुधार करना सम्मिलित हैं और जिन कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें वास्तव में प्रमाणित हो गई थीं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ।

हिल स्टेशन

५७५. श्री भक्त दर्शन : क्या रेलवे मंत्री ३० अगस्त, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६४६ के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलवे स्टेशनों के क्या नाम हैं जिन्हें हिल स्टेशन घोषित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निश्चय हो जाने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) बंगलोर, कोर्टल्लम (तेनकासी के पास) महाबलेश्वर, माथेरान, रांची, पुरी, गोपालपुर-आन-सी, हरद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार, यरकौड, (सेलम के पास) ।

(ख) जल्दी ही ।

रेलवे दुर्घटना

५७६. पंडित डी० एन० तिवारी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथरस जंकशन (एन० ई० आर०) पर १० सितम्बर, १९५५ को हुई रेल दुर्घटना की क्या कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या है; और

(ग) उसमें हताहतों की संख्या कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, पूर्वोत्तर रेलवे के कासगंज-अछनेरा सेक्शन पर रती का नगला और हाथरस स्टेशनों के बीच १०.९.५५ को ए १ अप मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने की जांच फतेहगढ़ के सहायक मैकेनिकल इंजिनीयर ने घटनास्थल पर की थी ।

(ख) उनके अनुसार दुर्घटना का कारण यह था कि गाड़ी का एक डिब्बा सामयिक ओवरहाल के लिये कारखाने में भेजा जा

रहा था। उस डिब्बे के बायीं ओर के अगले पहियों के स्क्रोल आयरन के रिवटवाले छेदों से हो कर जाने वाला सोल बार फलेन्ज टूट गया था। सोल बार में कोई पुरानी खराबी थी जिसके कारण वह टूट गया था।

(ग) इस दुर्घटना में ५ आदमियों को हल्की चोटें आयीं।

तीसरे दर्जे में सोने का स्थान

५७७. पंडित डी० एन० तिवारी : क्या **रेलवे मंत्री** २३ फरवरी, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे दर्जे में सोने के स्थान का पूरा उपयोग किया जाता है ;

(ख) किस भाग (सैक्शन) में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है ; और

(ग) तीसरे दर्जे में सोने के स्थानों के सुरक्षण से सितम्बर, १९५५ तक (भागवार) कितनी अतिरिक्त आय हुई है ;

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) अब सोने का स्थान, चाहे पूर्व रूप से नहीं, फिर भी काफ़ी भरा रहता है।

(ख) वे (सैक्शन) भाग जिनमें सोने के स्थान का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, ये हैं ?

	गाड़ी
(१) बम्बई 'सैन्ट्रल'- कोटा तथा दिल्ली	नम्बर ३३ तथा ३४
(२) होतगी-रायचूर-रायल-चेरुवु कोन्डापुरम-वाडी	नम्बर १३ तथा १४
(३) दिल्ली-फुलेरा अजमेर-दिल्ली	नम्बर २०१ तथा २०२

(ग) गाड़ी का नम्बर	वे भाग (सेक्शन) जिनमें सोने के स्थानों की व्यवस्था की गई है	जनवरी से सितम्बर १९५५ तक प्राप्त हुई अतिरिक्त आय
३३ डाऊन	केन्द्रीय "बम्बई सैंट्रल" बड़ौदा	३१,२७९ रुपये
,,	कोटा-दिल्ली	३३,२७० रुपये
३४ अप	दिल्ली-कोटा	२१,७५० रुपये
,, ,,	बड़ौदा-बम्बई सैंट्रल	३७,१३१ रुपये
३१३ अप	कटिहार-शाहपुर पटौदी	४,४५५ रुपये
,, ,,	गोरखपुर-लखनऊ	८,९१६ रुपये
३१४ डाऊन	लखनऊ जंक्शन-मूडेखा	११,३९१ रुपये
	बरौनी जंक्शन कटिहार	१,०१४ रुपये

**	१३ डाऊन	होत्ती-रायचूर-रायल चेरुवु	६,२८८ रुपये
**	१४ अप	कोंडारम-वादी	५,५८६ रुपये
	२०१ अप	दिल्ली-फुलेरा	२७,३७२ रुपये
	२०२ डाऊन	अजमेर-दिल्ली	२६,६४९ रुपये

**इन गाड़ियों के साथ सोने के स्थान वाले डिब्बे १-५-५५ से लगाये गये थे ।

टिप्पण:—उपरोक्त उत्तर में सप्ताह में ३ दिन चलने वाली १७ डाऊन १८ अप दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रैसों तथा ६९ अप, ७० डाऊन दिल्ली-हावड़ा जनता एक्सप्रैसों में सोने के स्थान के ब्योरे सम्मिलित नहीं हैं । इन गाड़ियों के ब्योरे एकत्रित किये जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर जल-शीतक

५७८. पंडित डी० एन० तिवारी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर गोरखपुर और कटिहार के बीच जो जल-शीतक स्थापित किये गये हैं वह प्राय: बिगड़ जाते हैं और उनको तत्काल ठीक नहीं किया जाता है; और

(ख) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर लगाये गये जल-शीतकों की संख्या अन्य रेलवेज़ की तुलना में बहुत कम है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जिन ग्यारह जल-शीतकों की स्थापना की गई है, उन में से सात पिछली ग्रीष्म ऋतु में भिन्न भिन्न समय पर विभिन्न अवधियों के लिये बिगड़ गये थे और इन में से किसी को भी तत्काल ही ठीक नहीं किया जा सका था । परन्तु उनको कम से कम समय के भीतर चालू करने के लिये प्रत्यक संभव व्यवस्था की गई थी ।

(ख) यद्यपि पूर्वोत्तर रेलवे पर लगाये गये जल-शीतकों की संख्या दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य तथा उत्तर रेलवेज़ की अपेक्षा अवश्य कम है, परन्तु यह संख्या पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे पर लगाये गये जल-शीतकों की संख्या से अधिक है ।

लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी इंजीनियर

५७९. श्री विभूति मिश्र : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या जिन लोक-स्वास्थ्य सम्बन्धी इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अमरीका भेजा गया था, वह वापस लौट आये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी सेवाओं का उपयोग किस प्रकार किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) लोक-स्वास्थ्य सम्बन्धी जो सात इंजीनियर अमरीका भेजे गये थे उन में से छः भारत वापस लौट आये हैं ।

(ख) विषय	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
(१) लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी इंजीनियरिंग-आधुनिक प्रविधियां तथा रीतियां	२
(२) स्वच्छता सम्बन्धी रसायन-शास्त्र, स्वच्छता सम्बन्धी रोगाणु विज्ञान, कारखानों के लिये जल व्यवस्था और	

जल संस्कार, जल संभरण सम्बन्धी जल विज्ञान और द्रव चालन विज्ञान २

(३) स्वच्छता सम्बन्धी इंजीनियरिंग १

(४) नाली व्यवस्था और घरेलू नाली संयंत्रों का रूपांकन, निर्माण और संचालन १

(५) स्वच्छता सम्बन्धी प्राणि-विज्ञान १

(ग) उनकी सेवाओं का उपयोग उसी विशेषता के क्षेत्र में किया जाता है जिसमें उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

तम्बाकू की खेती

५८०. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में प्रत्येक राज्य में कुल कितने क्षेत्र में तम्बाकू की खेती की गई थी; और

(ख) उसके गुणों में सुधार करने और तम्बाकू उद्योग का विस्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(ख) तम्बाकू की क्षेत्रविद्या, शरीर-विज्ञान, प्रौद्योगिकी इत्यादि पर मूलभूत एवं व्यावहारिक गवेषणा कार्य कराने के अतिरिक्त, भारत सरकार और भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति ने, तम्बाकू के गुणों में सुधार करने और तम्बाकू उद्योग का विस्तार करने के लिये यह कार्यवाही की गई है :

१—भारत सरकार ने, आन्ध्र सरकार के साथ मिल कर सिगरेट के ऐसे तम्बाकू के गुणों में सुधार करने के लिये, जो मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जाता है, १ जुलाई, १९५५ से राज्य के गन्टूर जिले में एक तम्बाकू विस्तार सेवा योजना आरम्भ की है ।

२—केन्द्रीय तम्बाकू गवेषणा संस्था, राजमहेन्द्री, और भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति के अधीनस्थ अन्य गवेषणा केन्द्रों तम्बाकू के गुणों में सुधार करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही कर रहे हैं:

(१) तम्बाकू के शुद्ध बीज और/अथवा पौधे किसानों में वितरित किये जाते हैं ।

(२) प्रत्येक वर्ष एक 'कृषक-सप्ताह' मनाया जाता है । इसमें आने वाले किसानों को तम्बाकू के खेत दिखाये जाते हैं और उन्हें तम्बाकू के उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न पहलू समझाये जाते हैं ।

(३) किसानों के खेतों में व्यावहारिक प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं । तम्बाकू उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में गांवों में जाकर अनुसन्धानकर्त्ता किसानों को तम्बाकू की खेती के सुधरे हुये तरीकों आदि के सम्बन्ध में परामर्श देते हैं ।

(४) जिन किसानों को आवश्यकता पड़ती है, उनको तम्बाकू-उत्पादन की विभिन्न प्रावस्थाओं में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर पत्र व्यवहार द्वारा, अथवा जहां

संभव होता है, विशेषज्ञों के दौरों द्वारा प्रविधिक परामर्श दिया जाता है ।

(५) प्रादेशिक भाषाओं में पर्चे, जिनमें गवेषणा केन्द्रों में किये गये गवेषणा कार्यों के परिणामों पर आधारित तम्बाकू-उत्पादन के नये तरीके दिये हुये होते हैं, किसानों को मुफ्त बांटे जाते हैं ।

(६) समिति द्वारा तम्बाकू उत्पादन के सुधरे हुये तरीकों के सम्बन्ध में प्रकाशित साहित्य ऐसे सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों को जहां तम्बाकू एक महत्व-पूर्ण फसल होती है, मुफ्त बांटा जाता है ।

(७) प्रत्येक वर्ष किसानों और अन्य व्यक्तियों को जिनकी अधिकतम संख्या चालीस हो सकती है, सिगरेट के तम्बाकू को कृत्रिम गर्मी से सुखाने के सुधरे हुये तरीकों के बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(८) राज्य सरकारों के सहयोग से तम्बाकू उत्पादन के सुधरे हुये तरीकों की एक फिल्म "**माई लेडी निकोटीन**" देश के विभिन्न भागों में किसानों को दिखाई जाती हैं ।

(९) लोनी मिट्टी वाले खेतों में तम्बाकू की खेती को निरुत्साहित किया जाता है कि इससे पत्तियों के गुणों पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।

(३) भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति राज्य सरकारों के सहयोग से देश के प्रमुख तम्बाकू उत्पादक राज्यों में (१) फसल की किस्म, और (२) कृत्रिम गर्मी से सुखाये जाने वाले सिगरेट के तम्बाकू की किस्म के सम्बन्ध में तम्बाकू फसल प्रतियोगितायें भी आयोजित करती हैं । श्रेणी (१) के तीन सर्वश्रेष्ठ और श्रेणी (२) के दो सर्व-श्रेष्ठ उत्पादकों को, उत्पादन की किस्म के सुधारने के लिये प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पुरस्कार दिया जाता है ।

जोतों की अधिकतम सीमा

५८१. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन से राज्यों ने जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है; और

(ख) इस सीमा का स्वरूप क्या है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). स्थिति इस प्रकार है :

(१) इन राज्यों में भविष्य में भूमि प्राप्त करने की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है :

(१)	उत्तर प्रदेश	३० एकड़
(२)	हैदराबाद	३ पारिवारिक जोतें
(३)	मध्य भारत	५० एकड़
(४)	सौराष्ट्र	३ लाभकारी जोतें
(५)	दिल्ली	३० प्रतिमान एकड़

(२) इन राज्यों में भूमि के उस क्षेत्र की ऊपरी सीमा निर्धारित कर दी गयी है जो कोई एक व्यक्ति अपने पास रख सकता है :

(१) पंजाब	३० प्रतिमान एकड़ (६० साधारण एकड़ों तक) । विस्थापित व्यक्तियों के लिये ५० प्रतिशत एकड़ (१०० साधारण एकड़ों तक) ।
(२) जम्मू और काश्मीर	२२ ३/४ एकड़ ।
(३) हैदराबाद	पारिवारिक जोत के तिगुने से साढ़े चार गुना तक (पारिवारिक जोत भूमि की किस्म के अनुसार, जिसकी शुद्ध आय आठ सौ रुपये हो, चार से लेकर साठ एकड़ तक की मानी जाती है) ।
(४) हिमाचल प्रदेश	ज़िला चम्बा में ३० एकड़ भूमि और बाकी राज्य में इतनी भूमि जिसका परिगणित लगान १२५ रुपये हो ।

(३) इन राज्यों में उस भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है जिसे मध्यवर्त्ती, मध्यवर्त्तियों के उत्सादन के उपरान्त अपने पास रख सकेंगे :

(१) आसाम	१३३ १/३ एकड़ स्वामी के लिये और ५० एकड़ भूधारणाधिकारधारी के लिये (विधि राज्य सरकार को यह अधिकार भी देती है कि रैयत से ५० एकड़ से अधिक जो भी भूमि हो वह अपने अधिकार में ले ले) ।
(२) पश्चिमी बंगाल	२५ एकड़
(३) हैदराबाद	इनामदारों (मध्यवर्त्तियों) द्वारा रखी गई भूमि के सम्बन्ध में ४ १/२ पारिवारिक जोतों तक ।
(४) अजमेर	५० प्रतिमान एकड़

उखाड़ी गयी रेलवे लाइनें

५८२. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में अब तक कितने मील उखाड़ी गयी रेलवे लाइनें फिर से बिछाई गई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : उखड़ी हुई उतरैठिया-सुल्तानपुर-जाफराबाद रेलवे लाइन के शेष भाग को उतरैठिया-सुलतानपुर खण्ड को जिसकी दूरी ७९.२२ मील है, पुनः स्थापित कर चालू वित्तीय वर्ष में, अर्थात् २३-६-१९५५ को गाड़ियों के आने जाने के लिये खोल दिया गया है ।

दिल्ली उपनगरीय रेलवे सेवा

५८३. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **रेलवे** मंत्री ८ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली उपनगरीय रेलवे सेवा के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : वर्तमान हज़रत निज़ामुद्दीन-विनयनगर लाइन को दिल्ली-दिल्ली-कैन्ट बड़ी लाइन से मिला देने के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और उत्तर रेलवे प्राक्कलन तथा प्रतिवेदन तैयार

कर रही है । इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद किया जायेगा ।

चीनी

५८४. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ वर्ष में भारत में कुल कितनी चीनी की खपत हुई है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : १७.२० लाख टन ।

उपनगरीय रेलवे मंत्रणा समिति

५८५. श्री एम० के० रजमी : क्या **रेलवे** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास क्षेत्रों में उपनगरीय ट्रेन सेवा में अत्यधिक भीड़भाड़ होने की समस्या की जांच करने के लिये जो समिति नियुक्त की गयी थी उसके सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) उक्त समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) समिति के सभापति श्री बी० बी० वर्मा हैं और श्री ए० सी० चटर्जी तथा श्री के० एम० राव सदस्य हैं ।

(ख) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास क्षेत्रों में व्यस्त घंटों के समय उपनगरीय ट्रेन सेवाओं में अत्यधिक भीड़भाड़ की समस्या की जांच करना और उसको हल करने के लिये आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में सुझाव देना ।

छितौनीघाट रेलवे स्टेशन

५८६. श्री विश्व नाथ राय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्योंकि गण्डक (नारायणी नदी की धारा) पूर्वोत्तर रेलवे के छितौनीघाट रेलवे स्टेशन के निकट पहुंचती जा रही है इसलिये क्या सरकार उस स्टेशन को किसी अधिक सुरक्षित स्थान को स्थानान्तरित करने की प्रस्थापना करती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : जी नहीं, इस समय तो नहीं है । सुरक्षात्मक निर्माण-कार्य तो कर लिये गये हैं और भावी कार्यवाही इस बात पर निर्भर करेगी कि अगली बरसात में इसकी स्थिति कैसी रहती है ।

डाक और तार भवन निर्माण कार्यक्रम

५८७. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **संचार** मंत्री १२ अगस्त, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक वर्ष की व्यपगत राशि अगले वर्ष में ले जाई गई है;

(ख) यदि नहीं, तो यह देखने के लिये कि प्रत्येक वर्ष ऐसी राशियां व्यपगत न हों, विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) आवंटित राशि का कितना प्रतिशत भाग प्रति वर्ष विभागीय रूप से व्यय किया जाता है; और

(घ) क्या राशियों को प्रति वर्ष व्यपगत हो जाने से रोकने के लिये विभागीय रूप से अधिक राशि व्यय किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रबन्ध किये गये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं ।

(ख) यद्यपि वास्तव में व्यपगत राशि अगले वर्ष में नहीं ले जायी जाती है, असमाप्त कार्यों के लिये जितनी निधि की आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था "चालू निर्माण कार्य" है और "पुनर्स्वीकृति के हेतु व्यपगत

शीर्ष के अधीन अगले वर्ष के लिये की जाती है । वे निर्माण कार्य जो इन श्रेणियों में नहीं आते हैं किन्तु जिन्हें अगले वर्ष ले जाये जाने की आवश्यकता होती है उनके लिये नये मदों में पुनः व्यवस्था कर दी जाती है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) भवन निर्माण कार्य में शीघ्रता की जा रही है । चालू वित्तीय वर्ष में व्यपगत की घटनायें काफ़ी कम हो जायेंगी ।

खादी की वर्दियां

५८८. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार कार्यालयों के सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को खादी की वर्दियां दे दी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें अब तक वर्दियां दी जा चुकी हैं; और

(ग) इन वर्दियों की कुल लागत क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं, क्योंकि खादी ज़ीन के कुछ स्टॉक का अभी उपभोग किया जाना था ।

(ख) ४४,०७६ ।

(ग) ८,८४,५९३ रु० २ आ० ९ पा० ।

पेप्सू में चीनी के कारखाने

५८९. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सू में किन-किन स्थानों पर चीनी के कारखाने हैं;

(ख) उनका कुल वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) पेप्सू में चीनी का वार्षिक औसत उपभोग क्या है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) केवल फगवाड़ा (जिला कपूरथला) में ही केवल एक कारखाना है जिसमें चीनी का उत्पादन होता है । धूरी और हमीरा में दो और कारखाने स्थापित करने के लिये अनुज्ञप्तियां जारी कर दी गई हैं और दोनों स्थानों में निर्माणकार्य हो रहा है ।

(ख) १९५४–५५ की फसल में ८,९०४ टन चीनी तैयार हुई । ये जो दो कारखाने बन रहे हैं उनमें उत्पादन प्रारम्भ होने पर वार्षिक उत्पादन २५,००० टन हो जायेगा ।

(ग) लगभग २३,००० टन ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

५९०. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस पर कितना अनुमानित व्यय किया जाने वाला है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) ८६.५० लाख रुपये ।

(ख) ८४.६५ लाख रुपये ।

डेयरी फार्मिंग (दुग्धशाला)

५९१. श्री वी० पी० नायर : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डेयरी फार्मिंग और पशु पालन के सम्बन्ध

में उन राज्यों में, जिन में इस समय प्रति व्यक्ति खाद्य के उपभोग की तुलनात्मक मात्रा कुछ अधिक अपर्याप्त जान पड़ती है गवेषणा कार्य विकास सम्बन्धी कार्यक्रम पर विशेष जोर दिये जाने की प्रस्थापना है; और

(ख) विभिन्न राज्यों में पशुपालन, दुग्ध और दुग्ध से बने पदार्थों के सम्बन्ध में नई विकास परियोजनायें निर्धारित करने के क्या आधार हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां ।

(ख) राज्यों में पशु-पालन और डेयरी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लक्ष्य निर्धारित करते समय पशुओं की किस्म और उनकी संख्या, विकास की तत्कालीन स्थिति, स्थानीय आवश्यकताओं, प्राविधिक कर्मचारियों की उपलब्धता, अतिरिक्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता, और विभिन्न राज्यों में गवेषणा सम्बन्धी योजना के लिये उपलब्ध सुविधाओं पर विचार किया जाता है ।

मालगाड़ी के डिब्बों का पंजीयन

५९२. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्राधिकारियों द्वारा १९३८–३९, १९४८–४९, १९४९–५०, १९५१–५२, १९५३–५४ और १९५४–५५ में मालगाड़ी के कितने डिब्बों का पंजीयन किया गया, कितने पंजीयन रद्द किये गये और जनता को कितने डिब्बे दिये गये ;

(ख) क्या यह सच है कि कई वर्षों से माल डिब्बों के जाली पंजीयन का कार्य अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बुराई को समाप्त करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५३]**

(ख) भाग (क) के उत्तर में दिये गये विवरण से देखा जा सकता है कि भिन्न भिन्न रेलवे और समय समय पर अलग-अलग प्रवृत्तियां रहती हैं।

(ग) जाली व्यादेशों के पंजीयन को निरुत्साहित करने के लिये यह अधिक महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं;–

(१) छोटी लाइन के प्रति माल डिब्बे पर २५ रुपये और बड़ी लाइन के प्रति माल डिब्बे पर ३५ रुपया व्यादेश पंजीयन शुल्क का लगाया जाना ।

(२) जहां कहीं और जब भी आवश्यक समझा जाये वहां प्रति स्टेशन और प्रति प्रेषक के लिये पंजीयन की अधिकतम सीमा का निर्धारित कर देना ।

(३) जाली व्यादेशों के पंजीयन की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने के लिये बड़े बड़े व्यापार हितों और सन्थाओं आदि की सहायता प्राप्त करना ।

(४) यार्ड, विभाग की क्षमता में सुधार करके और माल डिब्बों और इंजनों की संख्या में वृद्धि करके और कार्यकरण में सुधार के द्वारा सम्पूर्ण रेल यातायात क्षमता में प्रगतिपूर्ण वृद्धि करना ।

माल डिब्बों और यात्री डिब्बों का निर्माण

५९३. श्री विश्व नाथ राय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज़िला बरेली (उत्तर प्रदेश) की एक व्यापार सन्था ने माल डिब्बों और यात्री डिब्बों का निर्माण करने के लिये सरकार से अनुमति और सुविधाओं की मांग की हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां ।

(ख) फर्म का यह प्रस्ताव रेलवे उपकरण समिति के विचाराधीन है जिसकी स्थापना देश में इंजन डिब्बों समेत रेलवे का सामान बनाने की देशी क्षमता के विकास की जांच करने के लिये सरकार द्वारा की गई है ।

रेलगाड़ियों को रोकना

५९४. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में अवैधानिक रूप से जंजीर खींच कर रेलगाड़ी खड़ी करने की कितनी घटनायें हुई ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर रेलवे पर दुर्घटनायें

५९५. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के भूतपूर्व बीकानेर राज्य रेलवे वाले भाग पर १९४५ से १९५५ तक प्रति वर्ष कितनी दुर्घटनायें हुईं; और

(ख) उनमें कमी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क)

वर्ष	रेल दुर्घटनाओं की संख्या
१९४४-४५	४६
१९४५-४६	६०
१९४६-४७	६८
१९४७-४८	८५
१९४८-४९	८८
१९४९-५०	८१
१९५०-५१	६५
१९५१-५२	६६
१९५२	१८
१९५३	४१
१९५४	१६
१९५५ (अक्तूबर तक)	१५

(१९४४-४५ से १९५१-५२ के आंकड़े वित्तीय वर्षों के हैं, क्योंकि सभी वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

(ख) किये गये सामान्य उपाय ये हैं :—

दुर्घटनाओं के लिये उत्तरदायी ठहराये गये रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध प्रभावी अनुशासनीय कार्यवाही । स्थानीय मार्ग और इंजन डिब्बों आदि की नियमित जांच और गहन निरीक्षण । पत्रिकाओं, परिपत्रों आदि के द्वारा कर्मचारियों को सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की शिक्षा । निरीक्षण और नियंत्रण में सख्ती ।

कर्मचारी वर्ग को सजग और सतर्क रहने के लिये बारम्बार चेतावनी देना और सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक बनाना ।

दुर्घटनाओं में कमी करने के लिये की गई अन्य कार्यवाहियों में पटरी पर से उतर जाने के सम्बन्ध में लयाम समिति और पुनरीक्षण समिति की, जिसने कि रेलवे दुर्घटना जांच समिति १९५४ के प्रतिवेदन का पुनरीक्षण किया था, सिफारिशों को कार्यान्वित करना है ।

स्टेशनों पर धावे

५९६. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री ऐसे रेलवे स्टेशनों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिनको गत छः मास में लूटा गया है अथवा जिन पर सशस्त्र गिरोह या डाकुओं द्वारा हमला किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : मई से अक्तूबर, १९५५ तक के छः मासों में उनकी संख्या ग्यारह थी ।

रेलवे दुर्घटनायें

५९७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४ नवम्बर, १९५५ को पूर्वोत्तर रेलवे में दो दुर्घटनायें एक साहगढ़ और माला के बीच और दूसरी खुदलापुर और गुरसहायगंज स्टेशनों के बीच हुई थीं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). ४ नवम्बर, १९५५ को दो रेल दुर्घटनाएं हुई थीं; यथा

(१) ४–११–५५ को लगभग २२.१५ बजे जबकि पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ-बरेली विभाग पर १६ डाउन मालगाड़ी शाहगढ़ स्टेशन से माला के लिये चली तो स्टेशन के अन्दर वाले और बाहरी सिगनल के बीच गाड़ी का इंजन बाईं ओर वाली छड़ के टूट जाने के कारण खराब हो गया था; और

(२) ४–११–५५ को लगभग २२.३५ बजे जबकि एफ सी० ८ डाउन पूर्वोत्तर रेलवे के फतहगढ़-कानपुर विभाग के मालगाड़ी खुदागंज (खुदलापुर में नहीं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है) और गुरसहायगंज स्टेशनों के बीच से जा रही थी, तो इंजन के पास से सातवें से लेकर सोलहवें तक १० डिब्बे पटरी से उतर गये थे और दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे और सत्रहवें डिब्बे का एक पिछला पहिया पटरी से उतर गया था।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

५९८. श्री गिडवानी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में **केन्द्रीय** सरकार के कर्मचारियों के लिये चलाई गई अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना पर १ अप्रैल से १९५५ तक की अवधि में कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ख) उक्त अवधि में कर्मचारियों से अंशदान के रूप में कितनी धन राशि प्राप्त हुई ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) १२, ८९,५७४रु०-६आ०-८पा०

(ख) ६, ९४, २७५ रुपये ।

कृषि-श्रमिक

५९९. श्री मोहन राव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंचवर्षीय योजना तथा अन्य विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप कृषि श्रमिकों की दशा में सुधार करने के विषय में सरकार को राज्य सरकारों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आदि अली) : इस विषय पर कोई विशेष प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हैं । सरकार १९५६ में एक कृषि सम्बन्धी जांच कराना चाहती है जिसमें १९५०–५१ में की गई पिछली जांच से ले कर अब तक हुये परिवर्तनों को दिखाने वाले आंकड़े एकत्रित किये जायेंगे ।

पश्चिमी रेलवे में लिनन की धुलाई

६००. श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पश्चिमी रेलवे के सभी स्थानों पर प्रयुक्त होने वाली लिनन धुलाई के लिये बम्बई भेजी जाती है;

(ख) अधिकारियों के सैलूनों में इसकी कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है; और

(ग) इसे भेजने में कितना भाड़ा लगता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). पश्चिमी रेलवे में अधिकारियों को दिये गये निरीक्षण-डिब्बों में प्रयुक्त होने वाली लिनन धुलने के लिये प्रायः यात्री डिब्बों के मुख्य स्थानों को भेजी जाती है । ज़िला अधिकारियों की दशा में लिनन की धुलाई का स्थानीय रूप से प्रबन्ध किया जाता है । अतः यह बात सत्य नहीं है कि पश्चिमी रेलवे पर सभी स्थानों पर प्रयुक्त होने वाली लिनन धुलाई के लिये बम्बई भेजी जाती है । तथापि अजमेर की लिनन, जो छोटी लाइन की निरीक्षण गाड़ियों और बिस्तरों में प्रयुक्त की जाती है, इस समय धुलाई के लिये बम्बई ही भेजी जाती है, किन्तु जहां तक सम्भव हो सकेगा भविष्य में यह प्रथा भी समाप्त कर दी जायेगी । यह लिनन बम्बई को रेलवे के खर्च पर भेजी जाती है और इसको निश्शुल्क मार्ग विपत्र पर बुक किया जाता है अतः इस पर कोई भाड़ा नहीं लिया जाता है ।

कृषि योग्य भूमि

६०१. श्री एम० वी० रामस्वामी : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र, मध्य भारत और आसाम जैसे बिरली आबादी वाले राज्यों में कितनी भूमि कृषि के अन्तर्गत लाई जा सकती है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : इसकी सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५४]**

समुद्रीय संग्रहालय

६०२. श्री एम० डी० जोशी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतवर्ष में कोई समुद्रीय संग्रहालय है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई ऐसा संग्रहालय बनाना चाहती है; और

(ग) नाविक विद्यार्थियों तथा समुद्री वस्तुओं में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के हि

के लिये समुद्रीय महत्व की बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षा तथा प्रदर्शन का इस समय क्या प्रबन्ध है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) इस समय इस आशय का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है । तथापि कुछ लोगों के संग्रहालयों में समुद्रीय रुचि की कुछ वस्तुयें रखी गई हैं । नावीय विद्यार्थियों के लिये समुद्रीय महत्व रखने वाली कुछ वस्तुयें नावीय तथा इंजीनियरिंग कालेज बम्बई में भी प्रदर्शनार्थ रखी गई हैं ।

रामपुर-हल्द्वानी रेलवे सम्पर्क

६०३. श्री बी० डी० पांडे : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर और हलद्वानी के बीच बड़ी लाइन द्वारा सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव इस समय किस स्थिति पर है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : रामपुर और लालकुआं के बीच ३८ मील लम्बी बड़ी छोटी लाइन के लिये यातायात सर्वेक्षण करने की स्वीकृति १४-९-५५ को दी गई है, वह सर्वेक्षण किया जा रहा है । सर्वेक्षण को लालकुआं के स्थान पर रामपुर से हलद्वानी तक बढ़ाये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

राजमार्ग पर दुर्घटना

६०४. श्री भीखा भाई : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजमार्ग संख्या ८ के रिखवदेव उदयपुर सैक्शन पर मलबे के नीचे दब कर मिस्त्रियों और श्रमिकों की मृत्यु हुई है; और

(ख) यदि हां, तो हताहतों की संख्या क्या है; और किस परिस्थिति में दुर्घटना हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). ३० अप्रैल, १९५५ को तीन श्रमिक मर गये थे जब कि वे राजमार्ग संख्या ८ के उदयपुर-रिखवदेव-देवरवाड भाग में १३वें मील ७वें फर्लांग पर सड़क को चौड़ा करने के काम पर लगे हुये थे । यह दुर्घटना अप्रत्याशित रूप से चट्टान के फिसल जाने के कारण हुई थी ।

बम्बई पत्तन

६०५. श्री एम० डी० जोशी : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक अच्छी ऋतु में बम्बई पत्तन पर आने वाली देशी नौकाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या बम्बई पत्तन में इन नावों की मरम्मत और सफ़ाई के लिये कोई सूखी गोदी व्यवस्था है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें अन्य कौन कौन सी सुविधायें उपलब्ध हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) बम्बई पत्तन पर आने वाली पालदार नावों की संख्या सम्बन्धी सूचना केवल एक 'अच्छी ऋतु' के लिये अर्थात्, सितम्बर, १९५४ से मई १९५५ तक की अवधि के लिये एकत्रित की गई है, उससे प्रकट होता है कि इस अवधि में बम्बई पत्तन के भिन्न बन्दरों में पहुंचने वाली पालदार नावों की संख्या २४,२२७ थी । इसके अतिरिक्त रेत लाने वाली ११,८०० छोटी छोटी डोंगियां भी आई थीं ।

(ख) और (ग). बम्बई पत्तन पर पालदार नावों की मरम्मत करने के लिये

कोई सूखी गोदी उपलब्ध नहीं है परन्तु कई बन्दरों पर पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं । सेसून डॉक और मेलिट बन्दर में दो सर्पण स्थान हैं जहां पर पालदार नावों को किनारे पर खड़ा किया जा सकता है अथवा/तथा उनकी मरम्मत की जा सकती है ।

दिल्ली सड़क परिवहन सेवा

६०६. **श्री भीखा भाई** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में रामलीला मैदान में होने वाले प्रत्येक समारोह के समय सामान्य बस सर्विस घंटों तक के लिये बन्द कर दी जाती है जिससे यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिस्थिति का क्या उपचार सोचा गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). जब भी रामलीला मैदान में ऐसे समारोह होते हैं जिन में भारी गाड़ियों के लिये सर-क्युलर रोड को बन्द करना आवश्यक हो जाता है तब दिल्ली परिवहन सेवा की बसें दिल्ली यातायात पुलिस के अनुदेशों के अनुसार समोपवर्ती सुविधाजनक सड़कों की ओर मोड़ दी जाती हैं। ऐसे अवसरों पर दिल्ली परिवहन सेवा की बसें इस प्रकार से मोड़ दी जाती हैं:—

मार्ग संख्या	मार्ग जिस पर बसें मोड़ दी जाती हैं
३, १२	ओडियन से, चेम्सफोर्ड रोड होकर देशबन्धु गुप्ता रोड (पहाड़गंज के रेलवे पुल के ऊपर से) अजमेरी गेट को ।
४, १७, २१, २८	ओडियन से राऊज़ ऐविन्यु मीर-दर्द रोड हो कर दिल्ली गेट को ।

पर्यटक केन्द्र

६०७. **श्री श्रीनारायण दास :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री दिल्ली से निकलने वाले २६ नवम्बर, १९५५ के स्टेट्समैन में प्रकाशित नागपुर के समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है या बनाने का विचार रखती है जिसके अन्तर्गत भारत में एक केन्द्रीय स्थान चुना जायेगा जहां पर उद्यान, पर्यटकों के लिये एक विश्रामगृह और वेधशाला बनाई जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई स्थान चुन लिया गया है; और

(ग) योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है, और उस पर अनुमानतः कितना व्यय किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल ही नहीं उठते ।

धनुषकोटि घाट

६०८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :**
श्री गोपाल राव :

क्या **परिवहन** मंत्री १४ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ९३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उस विशेषज्ञ समिति ने, जो धनुषकोटि घाट को रामेश्वरम् के समीप किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर जहां समुद्र द्वारा मिट्टी के कटाव का कोई डर न हो बदलने के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त की गयी थी, अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) क्या सरकार ने उसका परीक्षण कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) अभी तक नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

६०९. **श्री टी० बी० विठ्ठल राव :**
श्री मोहन राव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० सितम्बर, १९५५ के अन्त तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निर्माण पर कितना रुपया व्यय हुआ है; और

(ख) सम्पूर्ण निर्माण कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ११,६९,३०४ रुपये ।

(ख) १९५६ के प्रारम्भ में ।

रेलवे के डिब्बे बनाने का कारखाना

६१०. **श्रीमती शिवराजवती नेहरू :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में उक्त राज्य में कोई रेल डिब्बे बनाने का कारखाना खोलने की योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्थापना अब किस स्थिति पर है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) नहीं । किन्तु इस आशय का एक सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रखा गया है ।

(ख) जब रेलगाड़ी के डिब्बे (छोटी लाइन) बनाने का एक अन्य कारखाना स्थापित करने के प्रश्न को अन्तिम रूप दिया जायेगा उस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये सुझाव पर अन्य संभावित स्थानों के साथ साथ विचार किया जायेगा ।

काम दिलाऊ दफ्तर

६११. **श्री बी० एस० मूर्त्ति :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम दिलाऊ दफ्तरों में १९५४–५५ में नौकरी के लिये पंजीबद्ध किये गये व्यक्तियों की संख्या, और उनकी श्रेणियां;

(ख) जितने लोगों को नौकरियां दिलाई गई उनकी वर्गानुसार संख्या;

(ग) काम दिलाऊ दफ्तरों के अभिलेखों के अनुसार १९५४–५५ में बेरोज़गारों और नौकरी पर लगे व्यक्तियों की संख्या में क्या कमी अथवा वृद्धि हुई है; और

(घ) काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा निजी सार्थों में सेवायुक्त कराये गये व्यक्तियों की संख्या ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) ३१–३–१९५५ को जो व्यक्ति चालू पंजिका पर थे उनका एक वर्गानुसार विश्लेषण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५५]**

(ख) और (ग). दो विवरण लोक सभा पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५५]**

(घ) १९५४–५५ में ४१,८७६ व्यक्ति काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा निजी क्षेत्र में सेवायुक्त कराये गये । निजी सार्थों

में सेवायुक्त कराये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

मद्रास में ऊपरी पुल

६१२. **श्री बी० एस० मूर्त्ति :** क्या **परिवहन** मंत्री १ दिसम्बर १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने सचिवालय जाने वाली बीच रोड के लेबल क्रासिंग पर एक ऊपरी पुल के निर्माण के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) उक्त ऊपरी पुल की अनुमानित लागत क्य है; और

(ग) उक्त योजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) मद्रास सरकार ने लाइट हाउस रोड पर जो कि बीच रोड ही प्रतीत होता है, लेबल क्रासिंग के स्थान पर एक नीचे के पुल के निर्माण के लिये एक प्रस्ताव किया था और पुल के निर्माण पर होने वाले व्यय में सड़क प्राधिकार के उक्त निर्माण कार्य की लागत के भाग के रूप में भारत सरकार ने २० लाख रुपये का ऋण दिये जाने की स्वीकृति दी है ।

(ख) मुख्य पुल के लिये ३० लाख रुपये और पुल तक आने वाली सड़कों के लिये २० लाख रुपये ।

(ग) उक्त कार्य के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा इस बात की ओर संकेत करना इस समय संभव नहीं है ।

मेहतर

६१३. **श्री पी० एल० बारूपाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे वर्कशापों में काम करने वाले मेहतरों को इतवार को छुट्टी नहीं मिलती; और

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

भारत की मलेरिया संस्था

६१४. **श्री पी० एल० बारूपाल :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की मलेरिया संस्था दिल्ली में कुछ पद रिक्त हैं, पर उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन पदों की पूर्ति कब की जायेगी और उनमें अनुसूचित जातियों के लिये कितने पद सुरक्षित हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) और (ख). अभी भारत की मलेरिया संस्था दिल्ली में ४३ जगहें खाली हैं । उनके भरने के लिये कार्यवाही की जा रही है । इन में से नौ जगहें अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित हैं ।

नलकूप

६१५. **श्री काजरोल्कर :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षात्मक नलकूपों सम्बन्धी स्थान निर्धारण समिति द्वारा मद्रास राज्य का दौरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य के लिये कौन से स्थान चुने गये हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) (क) समिति ने अभी तक मद्रास राज्य का दौरा नहीं किया है किन्तु राज्य में बरमाने के वास्तविक कार्य का प्रारम्भ होने से पूर्व, जिसके १९५६ में किसी समय प्रारम्भ किये जाने की संभावना है, समिति मद्रास राज्य का दौरा करेगी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हवाई अड्डे

६१६. सरदार इकबाल सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जो देश में वाणिज्यिक असैनिक उड्डयन के लिये यात्रा करने वाले विमानों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिये, बेतार नियंत्रण के केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या ऐसे हवाई अड्डे अद्यतन आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों और यंत्रों से सुसज्जित हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे स्टेशनों पर सरकार द्वारा किया गया कुल विनियोजन कितना है;

(घ) क्या उक्त स्टेशनों पर कोई अग्रेतर सुधार किये जाने की प्रस्थापना है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी लागत पर और कब तक ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) मैं अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५६]**

(ख) कुछ उपकरण आधुनिक और अद्यतन हैं और कुछ इतने अद्यतन नहीं हैं, किन्तु जो सेवा की जाती है वह अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन द्वारा प्रमापों के अनुरूप होती है । जो उपकरण अद्यतन नहीं हैं उनके स्थान पर क्रमशः नये किस्म के उपकरण लगाये जा रहे हैं ।

(ग) ३१-३-१९५५ तक १९२ लाख रुपये ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) मार्च, १९५६ तक ८३ स्टेशनों पर लगभग ६० लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करके और मार्च १९६१ तक लगभग १०० स्टेशनों पर लगभग ४०० लाख रुपये के व्यय से उक्त स्टेशनों में सुधार किये जाने की प्रस्थापना है ।

रेलवे माल डिब्बे

६१७. सरदार इकबाल सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३, १९५४ और १९५५ में अब तक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को भेजे गये रेलवे माल डिब्बों की अलग-अलग कुल संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि में लौटाये गये माल डिब्बों की कुल संख्या क्या है; और

(ग) शेष माल डिब्बों को पुनः प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) तथा (ख).

भेजे गये माल डिब्बों की संख्या

वर्ष	पू० पाकिस्तान	प० पाकिस्तान
१९५३	२४,६१६	२०,०९७
१९५४	२३,५२०	२०,२२८
१९५५ (नवम्बर तक)	४५,४७१	१५,५०७

पुनः प्राप्त किये गये माल डिब्बों की संख्या

वर्ष	पू० पाकिस्तान	प० पाकिस्तान
१९५३	२५,२६६	१९,१८१
१९५४	२३,०५५	२०,५७६
१९५५ (नवम्बर तक)	४५,०८०	१५,४५४

(ग) दोनों देशों के बीच होने वाली यातायात में भारतीय और पाकिस्तानी रेलवे के सभी प्रतिमान माल डिब्बों का मुक्त रूप से आदान-प्रदान होता है । १० दिसम्बर, १९५५ को भारत में, पाकिस्तान में भारतीय माल डिब्बों की अपेक्षा पाकिस्तान रेलवे की बड़ी लाइन के २६२ माल डिब्बे और छोटी लाइन के २३७ माल डिब्बे अधिक थे ।

चीनी का आयात

६१८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में किन देशों से चीनी का आयात किया गया और प्रत्येक देश से कितने मूल्य की चीनी का आयात किया गया; और

(ख) आयातित चीनी की लागत भारत में बनाई गई चीनी की लागत की तुलना में कैसी है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) १९५५ में जिन देशों से चीनी का आयात किया गया उनके नाम और प्रत्येक देश से आयात की गई चीनी का मूल्य नीचे दिये जाते हैं :—

देशों के नाम	प्रति लांग टन का मूल्य (भारतीय पत्तनों पर मूल्य तथा भाड़ा)
क्यूबा	१०८.५० शिलिंग (३८।१५ पौंड के बराबर)
ग्रेट ब्रिटेन	३८ पौंड
चैकोस्लोवाकिया	३७।७।-पौंड
पूर्व जर्मनी	३७।६।५ पौंड
फ़्रांस	३७।—।— पौंड

(ख) प्रति हडरवेट पर १३ रुपये का आयात शुल्क (२८ फरवरी, १९५५ तक यह आयात शुल्क ग्यारह रुपये प्रति हडरवेट था) और चार आने प्रति मन की दर से पत्तन प्रन्यास के प्रभारों और निष्कासन शुल्क का भुगतान किये जाने के बाद, १९५५ में आयात की गई चीनी का औसत मूल्य २७ रुपये १४ आने ९ पाई प्रतिमन बैठता है जबकि देश में बनाई गई चीनी का फैक्टरी मूल्य २८ रुपये ८ आने प्रति मन होता है ।

परिवार नियोजन केंद्र

६१९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और पेप्सू में स्थापित किये गये परिवार नियोजन केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) १९५५ में उक्त केन्द्रों पर कुल व्यय कितना हुआ; और

(ग) जहां उक्त केन्द्र स्थापित किये गये हैं उनके नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) पंजाब—३८ ।

पेप्सू—कोई भी नहीं ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा इन केन्द्रों पर कोई व्यय नहीं किया गया । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, १९५५ में चंडीगढ़ परिवार नियोजन संस्था को चंडीगढ़ स्थित केन्द्र की देखभाल के लिये ३२०० रुपये का एक सहायता अनुदान केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया है। इन केन्द्रों पर भारतीय परिवार नियोजन संस्था रेडक्रास सोसाइटी और अन्य ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा जो इनको चलाते हैं, किये गये व्यय के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है

(ग) पंजाब में जिन स्थानों में परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किये गये हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :—

१. ओ०पी०डी० लेडी रीडिंग अस्पताल, शिमला ।
२. स्वास्थ्य केन्द्र, छोटा नागपुर
३. स्नोडन अस्पताल, शिमला
४. मिशन अस्पताल, अम्बाला सिटी
५. मिशन औषधालय, अम्बाला केन्ट
६. सिविल अस्पताल, अम्बाला
७. सिविल अस्पताल, करनाल
८. सिविल अस्पताल, शाहाबाद
९. सिविल अस्पताल, पानीपत
१०. सिविल अस्पताल, गुड़गांव
११. महिला अस्पताल, रेवाडी
१२. महिला अस्पताल, भिवानी
१३. सिविल अस्पताल, हिसार
१४. सिविल अस्पताल, सिरसा
१५. सिविल अस्पताल, हांसी
१६. सिविल अस्पताल, रोहतक
१७. सिविल अस्पताल, सोनीपत
१८. सिविल अस्पताल, बेरी
१९. सिविल अस्पताल, लुधियाना
२०. सिविल लाइन्स स्वास्थ्य केन्द्र, लुधियाना
२१. सिविल अस्पताल, जालंधर
२२. स्वास्थ्य केन्द्र, जालंधर
२३. महिला अस्पताल, नकोदर
२४. सिविल अस्पताल, होशियारपुर
२५. आर० सी० प्रसूति अस्पताल, होशियारपुर
२६. स्वास्थ्य केन्द्र, होशियारपुर
२७. कटरा के० एस० स्वास्थ्य केन्द्र, अमृतसर
२८. सरकारी महिला अस्पताल, अमृतसर
२९. चतरभुज अस्पताल, अमृतसर
३०. प्रिंस आफ वेल्स नगरपालिका अस्पताल, अमृतसर
३१. महिला अस्पताल, बटाला
३२. सिविल अस्पताल, गुरदासपुर
३३. सिविल अस्पताल, धरमशाला
३४. मिशन अस्पताल, पालमपुर
३५. सिविल अस्पताल, अबोहर
३६. सिविल अस्पताल, फाजिल्का
३७. सिविल अस्पताल, नंगल
३८. कालोनी अस्पताल, नीलोखेडी

पेप्सू में कोई परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित नहीं किये गये हैं ।

पंजाब और पेप्सू में डाकघर इत्यादि

६२०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ से अब तक पंजाब और पेप्सू के विभिन्न जिलों में खोले गये डाकघरों, तारघरों, परीक्षात्मक डाकघरों और अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त जिलों में १९५५–५६ में ऐसे कितने कार्यालयों के खोले जाने की प्रस्थापना है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में बन्द किये गये ऐसे कार्यालयों की संख्या क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विमान दुर्घटनाओं के लिये क्षतिपूर्ति

६२१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ और १९५५ में ,अब तक विमान दुर्घटनाओं के लिये यदि कोई क्षतिपूर्ति की गई है तो उसकी रकम क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : इंडियन एयर लाइंस और एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के विमानों की दुर्घटनाओं में मरे व्यक्तियों के आश्रितों को जो धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में १९५४ और

१९५५ में दी गई वह इस प्रकार है :—

	इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन	एयर इंडिया इंटरनेशनल
	रुपये	रुपये
१९५४	२७,५००	कुछ नहीं ।
१९५५	३,०३,०००	२,६४,०००

उपर्युक्त धनराशि में इंडियन एयर लाइंस कार्पोरेशन या एयर इंडिया इंटरनेशनल के वायुयानों की दुर्घटनाओं में मरे कर्मचारियों के आश्रितों आदि को किये भुगतान और उस धनराशि का समावेश है जिसके लिये उक्त कर्मचारियों का बीमा कराया हुआ था । इस अवधि में ऐसी किसी दुर्घटना में, जिसका सम्बन्ध इंडियन एयर लाइंस या एयर इंडिया इंटरनेशनल के विमानों से हो, मरे किसी यात्री के बारे में कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है ।

रेल के डिब्बों में बिजली और पंखे लगाना

६२२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटिहार और अमीनगांव स्टेशनों के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों के कुछ डिब्बों में बिजली और पंखे नहीं लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे डिब्बों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इन यात्री डिब्बों में बिजली और पंखे लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). बिजली—नहीं । पंखे—हां ।

उक्त स्टेशनों के बीच चलने वाली ट्रेनों के ७५ डिब्बों में से २२ में पंखे नहीं लगाये गये हैं । इन २२ डिब्बों में २० ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं जिन में पंखे नहीं लगाये गये हैं। शेष दो डिब्बे जब सावधिक मरम्मत के लिये वर्कशाप में जायेंगे उस समय उन में पंखे लगा दिये जायेंगे।

अंदमान और निकोबार द्वीपों में इमारती लकड़ी

६२३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमे यह बातें दिखाई गई हों :

(क) अंडमान और और निकोबार द्वीपों में सरकार द्वारा और गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा, १९४७ से अब तक वर्ष प्रति वर्ष कितनी इमारती लकड़ी काम में लाई गई;

(ख) उक्त लकड़ी का उपयोग किस प्रकार किया गया;

(ग) क्या अंडमान द्वीपों में या भारत की मुख्य भूमि पर अंडमान की इस इमारती लकड़ी को मौसम के अनुकरण बनाने के लिये कोई संयंत्र हैं; और

(घ) उक्त द्वीपों में कितनी किस्म की इमारती लकड़ी उपलब्ध है ?

खाद्य और कृषि मंत्र (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (घ) . एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५७]**

रेलवे भोजन व्यवस्था

६२४. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दक्षिण पूर्व रेलवे पर वाल्टेयर-रायपुर सवारी गाड़ियों में भोजन की कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) यद्यपि वाल्टेयर-रामपुर सैक्शन पर चलने वाली गाड़ियों में कोई भोजन व्यवस्था नहीं की गई है, किन्तु इस सैक्शन के विभिन्न

स्टेशनों पर जो रैस्टोरां अल्पाहार गृह और चाय की दुकानें हैं, वे यात्रियों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा करते हैं ।

(ख) क्योंकि इस सैक्शन पर स्टेशनों पर वर्तमान भोजन व्यवस्था को पर्याप्त समझा जाता है, इसलिये इन सवारी गाड़ियों में भोजन व्यवस्था सेवा को चालू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

माल डिब्बों का संभरण

६२५. श्री पी० जी० सेन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मौसम में विभिन्न पटसन केन्द्रों को कितने माल डिब्बे दिये गये हैं ; और

(ख) नवम्बर १९५५ में कितने माल डिब्बों की मांग थी और इस महीने में कितने माल डिब्बे दिये गये ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५८]**

मूलग्राम तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

६२६. श्री हेमराज : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में कितने मूलग्राम तथ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने का विचार किया गया है; और

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में खोले गये अथवा खोले जाने के लिये प्रस्तावित ऐसे केन्द्रों के नाम क्या हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) मूलग्राम ८; कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र २.

(ख) (१) प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में खोले गये अथवा खोले जाने के लिये प्रतावित कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के नाम

खोले गये

राज्य का नाम	**केन्द्रों के नाम**
हिमाचल प्रदेश	१. सोलन
	२. कोटगढ़
	३. बिलासपुर
	४. धुमरवीं
पंजाब	चंडीगढ़
उत्तर प्रदेश	१. हल्द्वानी
	३. नगला

खोले जाने के लिये प्रस्तावित

जम्मू तथा काश्मीर	१. जम्मू
	२. काश्मीर

(२) मूलग्राम केन्द्रों के नाम नहीं दिये जा सकते, क्योंकि मूलग्राम मानो किसी एक गांव का सवन क्षेत्र होता है या आसपास के गांवों का समूह होता है, जिसमें लगभग ५०० गायें अथवा । तथा भैंसे हों ।

छोटी सिंचाई योजनायें (पंजाब)

६२७. श्री हेमराज : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २० अप्रैल, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये प्रस्तावित छोटी सिंचाई योजनायें पुनरीक्षित किये जाने के पश्चात वापिस आ गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम और उनकी स्थिति ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ५२०३—५१

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
८९१	अन्दमान द्वीप समूह में श्रम विधान	५२०३—०४
८९३	ढोर तथा फसलों के बीमें की योजनायें	५२०४—०६
८९४	खाद्यान्न भाव	५२०६
८९६	टेलीफोन और तार प्रणालियां	५२०७
८९७	कोयले का एक सा दाम	५२०८—०९
८९९	पटसन का उत्पादन	५२०९—१२
९००	उत्तर रेलवे पर यात्री सहायक	५२१२—१३
९०१	जनता गाड़ी	५२१३—१४
९०२	राष्ट्रीय बचत पत्र	१२१४—१५
९०३	एयर इंडिया इंटरनेशनल	५२१५—१६
९०४	पटना में घाट	५२१६—१७
९०५	अपंग व्यक्तियों को काम के योग्य बनाना	५२१७—१८
९११	रेलों में भर्ती	५२१९—२१
९१२	विवेकानन्द अनुसन्धान संस्था	५२२१—२२
९१३	गौनावरम् हवाई अड्डा	५२२२—२३
९१५	टेलीफोन सम्पर्क (जिला अलमोड़ा)	५२२३—२४
९१७	पोर बीलिया कोयला खान	५२२५—२६
९१९	मनीपुर में डाक्टरों की भर्ती	५२२६—२७
९२१	रेल दुर्घटनायें	५२२७—२८

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
९२२	अखिल भारतीय चिकित्सा कालिज अध्यापक सेवा	५२२८—२९
९२३	मद्रास रंगून जलयान सेवा	५२२९—३०
९२४	पूर्निया में टेलीफोन एक्सचेंज	५२३०—?
९२५	कांगडा और कुल् घाटियों में विमान स्थल	५२३१—३२
९२७	भारतीय खान अधि-नियम	५२३२—३४
९२८	यंत्रों द्वारा खेती प्रशिक्षण	५२३४—३५
९२९	रेलों में चोरियां और डकैतियां	५२३५—३६
९३०	नलकूप	५२३६—३७
९३१	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (पंजाब)	५२३७—३९
९३३	कैन्सर	५२३९—४०
९३५	कोयला खान कर्मचारियों के लिये मकान	५२४०—४२
९३६	उड्डयन कर्मचारियों का प्रशिक्षण	५२४२—४३
९३७	केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था	५२४३—४४
९३८	ज्वार बाजरा और मक्का की खेती	५२४४—४६
९३९	अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (खान विवाद)	५२४६—४७
९४०	भारतीय नौवहन	५२४७—४८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

अ० सू० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
४	उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य	५२४८—५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		५२५१—५३१२
ता० प्र० संख्या		
८९०	टिकिट चैकरों (टी० टी० ई०) की सुविधायें	५२५१–५२
८९२	डाक तार विभाग के कर्मचारी वग के लिये छट्टियां . .	५२५२
८९५	चीनी नियंत्रण आदेश, १९५५ . .	५२५२–५३
८९८	टेलको (टाटा इंजीनियरिंग एन्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड) .	५२५३–५४
९०६	मंगला पुश्ता पुल	५२५४–५५
९०७	गोदावरी पुल . .	५२५५
९०८	सियालदह डिवीजन में विद्युतीकरण . .	५२५५
९०९	रेलवे सुरक्षादल . .	५२५६
९१०	अहमदाबाद—आबू लाइन . . .	५२५६
९१४	उदयपुर बांसवाड़ा टेलीफोन लाइन .	५२५७
९१६	कलकत्ता पत्तन . .	५२५७–५८
९१८	दिल्ली सड़क परिवहन सेवा . .	५२५८
९२०	एयर इंडिया इंटरनेशनल	५२५९
९२६	सौराष्ट्र रेलवे भ्रष्टाचार मामला . .	५२५९–६०

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
९३२	एयर इंडिया इन्टरनेशनल . .	५२६०
९३४	वशिष्ठ नदी पर पुल	५२६०–६१
अ० प्र० संख्या		
५६२	पटना और दरभंगा के बीच रेल सेवा . .	५२६१
५६३	चीन में चिकित्सा संस्थायें . .	५२६१–६२
५६४	दरभंगा और लहेरिया सराय स्टेशनों में सुधार . . .	५२६२—६५
५६५	डाक व तार विभाग के शिकायतों सम्बन्धी कार्यालय . .	५२६५
५६६	रात्रि विद्यालय .	५२६५–६६
५६७	रेलव के डिब्बे इंजिन आदि . .	५२६६
५६८	कम्पोस्ट खाद .	५२६६–६७
५६९	बाढ़ों से क्षति .	५२६७–६८
५७०	टी० टी० . .	५२६८–६९
५७१	फ्रन्टियर मेल . .	५२६९
५७२	केन्द्रीय परिवहन बोर्ड	५२६९–७०
५७३	बी० सी० जी के टीके . .	५२७०–७१
५७४	शिकायतें . .	५२७१
५७५	हिल स्टेशन .	५२७१–७२
५७६	रेलवे दुर्घटना . .	५२७२–७३
५७७	तीसरे दर्जे में सोने का स्थान . .	५२७३—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अ० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
५७८	पूर्वोत्तर रेलवे में जल शीतक	५२७५–७६
५७९	लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी इंजीनियर	५२७६–७७
५८०	तम्बाकू की खेती	५२७७–८०
५८१	जोतों की अधिकतम सीमा	५२८०–८२
५८२	उखाड़ी गई रेलवे लाइनें	५२८२
५८३	दिल्ली उपनगरीय रेलवे सेवा	५२८२–८३
५८४	चीनी	५२८३
५८५	उपनगरीय रेलवे मंत्रणा समिति	५२८३
५८६	छितौनी घाट रेलवे स्टेशन	५२८३–८४
५८७	डाक और तार भवन निर्माण कार्यक्रम	५२८४–८५
५८८	खादी की वर्दियां	५२८५
५८९	पेप्सू में चीनी के कारखाने	५२८५–८६
५९०	दिल्ली में गंदी बस्तियों का हटाया जाना	५२८६
५९१	डेयरी फार्मिंग	५२८६–८७
५९२	मालगाड़ी के डिब्बों का पंजीयन	५२८७–८८
५९३	माल डिब्बों और यात्री डिब्बों का निर्माण	५२८९
५९४	रेल गाड़ियों को रोकना	५२८९
५९५	उत्तर रेलवे पर दुर्घटनायें	५२८९–९१
५९६	स्टेशनों पर धावे	५२९१
५९७	रेलवे दुर्घटनायें	५२९१–९२
५९८	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	५२९२–९३
५९९	कृषि श्रमिक	५२९३
६००	पश्चिमी रेलवे में लिनन की धुलाई	५२९३–९४
६०१	कृषि योग्य भूमि	५२९४
६०२	समुद्रीय संग्रहालय	५२९४–९५
६०३	रामपुर—हल्द्वानी रेलवे सम्पर्क	५२९५
६०४	राज मार्ग पर दुर्घटनायें	५२९५–९६
६०५	बम्बई पत्तन	५२९६–९७
६०६	सड़क परिवहन सेवा	५२९७
६०७	पर्यटक केन्द्र	५२९८
६०८	धनुषकोटि धार	५२९८–९९
६०९	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	५२९९
६१०	रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना	५२९९–५३००
६११	काम दिलाऊ दफ्तर	५३००–०१
६१२	मद्रास में ऊपरी पुल	५३०१
६१३	मेहतर	५३०१–०२
६१४	भारत की मलेरिया संस्था	५३०२
६१५	नलकूप	५३०२–०३
६१६	हवाई अड्डे	५३०३–०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अ० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
६१७	रेलवे माल डिब्बे	५३०३—०५
६१८	चीनी का आयात	५३०६
६१९	परिवार नियोजन केन्द्र .	५३०६—०८
६२०	पंजाब व पेप्सू में डाकघर इत्यादि .	५३०८
६२१	विमान दुर्घटनाओं के लिये क्षतिपूर्ति . .	५३०८—०९
६२२	रेल के डिब्बों में बिजली और पंखे लगाना .	५३०९
६२३	अंदमान और निकोबार द्वीपों में इमारती लकड़ी .	५३१०
६२४	रेलवे भोजन व्यवस्था	५३१०—११
६२५	माल डिब्बों का संभरण	५३११
६२६	मूल ग्राम तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र . .	५३११—१२
६२७	छोटी सिंचाई योजनायें	५३१२

शुक्रवार,
१६ दिसम्बर, १९५५

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड १०, १९५५

(१० दिसम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

Preservation 23-5-96
Fumigated On 11.4.83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड १० में अंक १६ से अंक २७ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

स्तम्भ

संख्या १६—शनिवार, १० दिसम्बर, १९५५

मद्रास के तूफान के बारे में वक्तव्य	७०९३–९५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७०९६–९७
राज्य-सभा से सन्देश	७०९७–९८
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक	७०९८
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक और भारतीय प्रशुल्क (ततीय संशोधन) विधेयक	७०९८–७१३८
खंडों पर विचार	७१३६
पारित करने का प्रस्ताव	७१३७
अनुपूरक अनुदानों की मांगें	७१३७–७२१२
दैनिक संक्षेपिका	७२१३–१४

संख्या १७—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७२१५–१६
राज्य-सभा से सन्देश	७२१६–१७
विधि जीवी परिषद् (राज्य विधयों का मान्यीकरण) विधेयक	७२१७
संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक	७२१७–२४
विचार करने का प्रस्ताव	७२१७
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६	७२२४–७३२३
विनियोग (संख्या ४) विधेयक	७३२३–२५
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१	७३२६–३५
विनियोग (संख्या ५) विधेयक	७३३५–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	७३३७–३८
विचार करने का प्रस्ताव	७३३८
दैनिक संक्षेपिका	७३३९–४१

संख्या १८—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	७३४३
संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक खंड २ और १	७३४३–८४
पारित करने का प्रस्ताव	७३८१
राज्य-सभा द्वारा प्रस्तावित रूप में हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक	७३८४–७४८७
विचार करने का प्रस्ताव	७३८४–७४८७
श्री पाटस्कर	७३८६–७४१६

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध विधेयक, १९५५ ७४१७–५२
विचार करने का प्रस्ताव खंड २ से २१ और १ ७४४६–४७
पारित करने का प्रस्ताव ७४४७
दैनिक संक्षेपिका ७४५३–५४

संख्या १९—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७४५५–५८
राज्य-सभा से सन्देश ७४५६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७४५६–७५४४
दैनिक संक्षेपिका ७५४५–४६

संख्या २०—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति–
बयालीसवां प्रतिवेदन . . ७५४७
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७५४७–७६२२
दैनिक संक्षेपिका ७६२३–२४

संख्या २१—शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश . . ७६२५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ७६२६
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी.समिति—
बारहवां प्रतिवेदन . . . ७६२६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७६२६–७२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन ७६७३–८२
मध्यस्थ निर्णय (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३९ आदि का संशोधन) . ७६८३
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक नई धारा २क का रखा जाना . ७६८३
हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक धारा २८ का संशोधन ७६८३–८४
बीमा (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४४क का रखा जाना) . ७६८४
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३ का रखा जाना) ७६८४–८९
विचार करने का प्रस्ताव ७६८४
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (धारा २ आदि का संशोधन) ७६८९–७१०
विचार करने का प्रस्ताव खंड २, ३ और १ . . . ७६९०–७१०
मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक (धारा ६५ आदि के स्थान पर रखा जाना) . ७७१३
विचार करने का प्रस्ताव ७७१३
दैनिक संक्षेपिका ७७१५–१८

स्तम्भ

संख्या २२—शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

श्री आर० के० चौधरी का निधन ७७१९–२०
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७७२०–२१
राज्य पुनर्गठन आयोग के सम्बन्ध में याचिकायें ७७२१
राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में प्रस्ताव ७७२१–७८१२
दैनिक संक्षेपिका ७८१३–१४

संख्या २३—सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

अनुपस्थिति की अनुमति ७९१५–१६
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७८१६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में सन्देश ७८१७–७९४२
दैनिक संक्षेपिका ७९४३–४४

संख्या २४—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७९४५–४६
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७९४६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७९४७–८०४३
सदस्यों के लिखित वक्तव्य ८०४३–५२
दैनिक संक्षेपिका ८०५३–५४

संख्या २५—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ८०५५–५६
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक . ८०५६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ८०५७–८१६१
सदस्यों के लिखित वक्तव्य ८१६१–६६
दैनिक संक्षेपिका ८१६७–६८

संख्या २६—गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेतालीसवीं से छयालीसवीं बैठकों की कार्यवाही ८१६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८१६९–७१
नदी बोर्ड विधेयक . . ८१७२
अन्तर्राज्यीय जल विवाद विधेयक ८१७२
लाभ पदों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन ८१७२
याचिकाओं सम्बन्धी समिति—
सातवां प्रतिवेदन ८१७३
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिका ८१७३–७४

स्तम्भ

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि स्थगन प्रस्ताव . .	८१७४–७५
अगरतला में राताचेरा की स्थिति	८१७५–८३
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	८१८३–८३४२
सदस्यों के लिखित वक्तव्य .	८३१२–४२
दैनिक संक्षेपिका .	८३४३–४६

संख्या २७––शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	८३४७–४८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	८३४८–४९
प्राक्कलन समिति––	
सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन .	८३४९
राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में याचिकायें	८३४९
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक .	८३५०
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . .	८३५०
स्थगन प्रस्ताव	८३५०–५१
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	८३५१–८७६०
सदस्यों के लिखित वक्तव्य .	८४७७–८७६०
दैनिक संक्षेपिका . .	८७६१–६४
सत्र का सारांश .	८७६४–६८
अनुक्रमणिका	(१–५४)

लोक-सभा

शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२—७ म० प०

राज्य-सभा से सन्देश

सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि :

(१) लोक-सभा द्वारा ६ दिसम्बर, १९५५ को पारित नागरिकता विधेयक १९५५ को राज्य परिषद् ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६८ के अन्तर्गत लोक-सभा द्वारा १३ दिसम्बर, १९५५ को पारित संविधान (पंचम संशोधन) विधेयक १९५५, को राज्य परिषद् ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ सम्मेलन द्वारा जून, १९५४ में समवेत हुए अपने सैंतीसवें सत्र में स्वीकृत सिफारिशों के बारे में भारत सरकार द्वारा की गई या की जाने वाली कार्यवाहियों सम्बन्धी विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं [**देखिये परिशिष्ट, ५, अनुबन्ध संख्या ५९**]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

बारहवा प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के बारहवें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं ।

मैं उन सदस्यों के नामों की सूची भी सभा पटल पर रखता हूं जो दसवें सत्र, १९५५ में १५ या अधिक दिनों तक लगातार सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहे थे ।

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री गोविन्द वल्लभ पन्त के इस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

[अध्यक्ष महोदय]

"कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये ।"

श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) : माननीय सदस्य बहुत लम्बे भाषण दे रहे हैं, इसलिये कई सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिल सकेगा, अतः सदस्यों के लिये समय सीमा निश्चित कर दी जानी चाहिये । दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो पंजाब या उत्तर प्रदेश से नहीं आये हैं परन्तु देश के हित के सम्बन्ध में उनके भी विचार हैं । उन्हें भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कार्य मंत्रणा समिति ने ५४ घण्टे निर्धारित किये हैं, और मैं ने प्रत्येक वक्ता के लिये आधे घण्टे का समय निश्चित कर दिया है, किन्तु प्रतिनिधि सदस्यों को कुछ अधिक समय देना पड़ेगा । जिन क्षेत्रों के बारे में विवाद अधिक है उनके सदस्यों को भी अधिक समय दिया जाना आवश्यक है । मुझे आशा है कि इस निश्चित अवधि में सब को बोलने का अवसर मिल जायेगा । सदस्यों को स्वयमेव अपने निश्चित समय के अन्दर ही बोलना चाहिये ।

यह उत्तम होगा कि हम पहले प्रत्येक राज्य के मामले को लें और फिर समूचे प्रतिवेदन पर विचार करें ।

मैं केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों और कतिपय अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों वाले क्षेत्रों के सदस्यों को भी बोलने का अवसर देना चाहता हूं । यह संभव नहीं है कि सब को एक या दो दिन में ही बोलने का अवसर मिले । अतः माननीय सदस्यों को प्रतीक्षा करनी चाहिये और यहां उपस्थित रहना चाहिये, ताकि जब भी उन्हें बुलाया जाय, तो वे बोलने को तैयार रहें ।

श्री गाडगील (पूना–मध्य) : श्री एस० के० पाटिल के भाषण के उपरान्त सभा का मुझे बोलने का अवसर देना उचित ही है । किन्तु जो यह समझते हैं कि महाराष्ट्र के हम दोनों प्रतिनिधि एक दूसरे का विरोध करेंगे, उन्हें निराश ही होना पड़ेगा ।

मैं श्री जी० बी० पन्त की इस बात की सराहना करता हूं कि हमें शान्तिपूर्वक इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये । पन्त जी ने स्वतन्त्रता संग्राम में हमारा मार्ग-दर्शन किया था और आज वह राष्ट्रीय एकता का मार्ग दर्शन करने जा रहे हैं । मुझे उनके इस आश्वासन से प्रसन्नता है कि ऐसा हल निकालने का भरसक प्रयत्न किया जायेगा, जो प्रायः सभी सम्बद्ध लोगों को स्वीकार्य हो ।

श्री पाटिल ने सहयोग की अपील की है । महात्मा गांधी के अनुगामी होने के नाते हम कोई स्वीकार्य समझौता करने के लिये पूर्ण रूप से तैयार हैं । किन्तु समझौते की कोई सीमा होती है । आयोग ने महाराष्ट्रीय समाज का बड़ा अपमान किया है, और हम उसका उत्तर देना चाहते हैं ।

श्री एस० के० पाटिल ने कहा है कि यह समय राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने का नहीं है और उन्होंने राजनीतिक नेताओं पर इस समय ऐसा गम्भीर प्रश्न उठाने का आरोप लगाया है । किन्तु १८ नवम्बर और २१ नवम्बर की घटनाओं को देखने से महाराष्ट्र की जनता की भावनाओं का पता चलता है । मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस बात की जांच कराये कि किसने गोली चलाई, और किसने इस सारी स्थिति को जन्म दिया । वहां जनता के जलसे होते हैं और समस्त समाचार पत्र यह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग एक संयुक्त महाराष्ट्र और बम्बई को उसकी राजधानी बनाये जाने के अतिरिक्त और किसी भी व्यवस्था को स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे । आज बम्बई निगम के सभापति ने भी कह दिया है कि वह बम्बई के महाराष्ट्र की राजधानी बनाये जाने के

पक्ष में हैं । क्या जनता की आवाज को ठुकरा देने का नाम प्रजातन्त्र है ?

बम्बई के लिये एक सर्वजातीय जीवन का मांग करने वाले एक सज्जन ने कहा है कि वर्तमान राजनीतिक नेता निष्पक्ष भाव से और शान्तिपूर्वक भाषा सम्बन्धी समस्या का हल करने के अयोग्य हैं । जब हमारे नेता संसार की विभिन्न जटिल गुत्थियों को शान्ति-पूर्वक सुलझाने में सफल रहे हैं और इस देश के भावी आर्थिक मामलों की समुचित योजना बना सकते हैं, तो उनके बारे में यह कहना कि वह राज्यों के पुनर्गठन की समस्या को हल करने योग्य नहीं हैं उनका अपमान करना है, जो सर्वथा हेय है ।

राज्य पुनर्गठन का मामला भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के समान ही महत्वपूर्ण है, और यह प्रसन्नता की बात है कि स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी ही अब हमारा मार्ग-दर्शन कर रहे हैं । इतिहास बताता है कि क्रांति के नेता ही सर्वप्रथम क्रांति की भेंट चढ़ा दिये जाते हैं । फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देशों में ऐसा ही हुआ है । परन्तु हम में मित्रता और आदान-प्रदान की भावना होने के कारण ही ऐसा संभव हुआ है ।

हमने जो संविधान बनाया है उस में कहा है कि हमारा राज्य संघानीय होगा । तो फिर हमें संघ में मिलने वाले राज्यों की सीमाओं आदि का परिसीमन करने के लिये कुछ सिद्धान्त और नियम निर्धारित करने होंगे ।

संविधान बनाते समय हमने कहा था कि इस मामले पर बाद म फिर विचार किया जायेगा । संविधान के स्वीकृत किये जाने से पूर्व दर आयोग और जे० वी० पी० (जवाहरलाल-वल्लभभाई-पट्टाभि) समिति द्वारा प्रयत्न किये गये थे, किन्तु किसी ने भी इन्हें अन्तिम रूप में स्वीकार नहीं किया ।

राज्यों के परिसीमन और इसके सिद्धान्तों का एक इतिहास है । हमें इतिहास से मार्ग-दर्शन लेना है और अपने अनुभव का प्रयोग करना है । बम्बई के प्रथम गवर्नर श्री एलफिन्स्टन ने एक बार कहा था कि सरकार का कर्तव्य है कि वह छोटे से छोटे व्यक्ति को यह समझने का अवसर दे कि सरकार क्या है । यह तभी हो सकता है जब हम ठीक ढंग से अपने राज्यों का पुनर्गठन करें ।

लोग समझते हैं कि भाषा के अतिरिक्त और कोई सिद्धान्त या आधार हो ही नहीं सकता है । बिहार, उड़ीसा, सिन्ध और आन्ध्र के राज्य भाषा के आधार पर ही बनाये गये थे । भाषा एक निश्चित आधार है और दूसरी मनोवृत्ति यह है कि छोटे राज्य न रखे जा कर बड़े राज्य बनाये जाने चाहिये ।

सरदार पटेल ने १९४६ में कन्नड़ के प्रतिनिधिमण्डल से कहा था कि स्वतन्त्र भारत का पहला काम यह होगा कि कन्नड़ भाषा भाषी सभी क्षेत्रों को मिला कर एक राज्य बनाया जाये । यही बात महा-गुजरात के सम्बन्ध में भी कहीं गई थीं । ये प्रवृत्तियां हमारे राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर गई हैं । अब इन प्रवृत्तियों को बदलना अत्यन्त कठिन और भयानक है । हमें भाषा के आधार पर प्रादेशिक अखण्डता को बनाये रखना होगा, और यह हमारे लिये उचित एवं न्यायसंगत है । इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर हमने मध्य भारत, पैप्सू और राजस्थान आदि राज्य बनाये थे ।

इसी बीच एक आयोग के नियुक्त किये जाने की बात का निर्णय किया गया । इस-लिये अब आयोग के बारे में कोई भ्रान्ति रहने का कोई कारण नहीं है । आयोग की सिफा-रिशें हमारे ऊपर बाध्य नहीं हैं । अन्तिम फैसला तो हमें इस संसद् में जनता की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए करना है ।

आयोग के सदस्यों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, परन्तु इसके प्रतिवेदन से उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में खलबली मच गई है । आयोग को

[श्री गाडगील]

एक अन्तरिम प्रतिवेदन देना चाहिये था, ताकि उस समय उत्पन्न समस्याओं का तभी निपटारा हो जाता और यह भी निश्चित हो जाता कि क्या हमें दो भाषाओं वाले राज्य बनाने हैं या नहीं । किन्तु आयोग ने ऐसा नहीं किया । यदि आयोग ने परिसीमन सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त बनाये होते तो संसद् उन पर चर्चा कर लेता और स्वीकार किये जाने पर उनकी कार्यान्विति होती । किन्तु आयोग ने ऐसा न करके तदर्थ आधार पर समस्त चित्र प्रस्तुत कर दिया है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

परिसीमन सम्बन्धी सभी सिद्धान्त छोड़ दिये गये हैं । यह टूट फूट की मरम्मत करने जैसा काम नहीं है, बल्कि समस्त ढांचे के पुनर्निर्माण का प्रश्न है । हमें इस बात को अपने समक्ष रख कर विचार करना है । आज वस्तु स्थिति यह है और जिसे श्री एस० के० पाटिल ने स्वीकार किया है कि भाषा की अखण्डता के आधार पर निर्धारित प्रादेशिक एकता भारत की जनता के मन में घर किये हुए है और भाषा के आधार पर किसी प्रदेश विशेष के लिये लोगों के मन में प्रेम और भक्ति उत्पन्न हो गई है । इसलिये श्री पाटिल ने आर्थिक, प्रशासनिक आदि तथ्यों की ओर भी ध्यान देने के लिये कहा है । किन्तु हमें देखना यह है कि आयोग ने क्या किया है । केवल तीन राज्यों को छोड़ कर शेष १६ राज्यों में उसने भाषा के सिद्धान्त को स्वीकार किया है और उसी के अनुसार जिलों और ताल्लुकों को उसी भाषा भाषी राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया है । किन्तु बम्बई, पंजाब और आसाम के बारे में आयोग ने बड़ी अस्पष्टता दिखाई है । आसाम का पुनर्गठन वहां की असाधारण स्थिति होने के कारण एक भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता है । परन्तु पंजाब के बारे में आयोग ने दो बातें कही हैं । एक यह कि पंजाबी और पश्चिमी हिन्दी व्यवहारतः एक ही भाषा है । दूसरी, यह कि बहुसंख्यक पंजाबी भाषा भाषी जनता पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब के पुनर्गठन का विरोध करती है ।

बम्बई के बारे में उसने पुराने बम्बई राज्य के बनाये रखे जाने के लिये कहा है । पुराने राज्य से कर्नाटक, कच्छ और मराठवाड़ा निकाल लिये जाने के बाद क्या बम्बई का वही पुराना राज्य रह जाता है ? हम लोगों ने पिछले तीन वर्षों में बहुत हानि उठाई है, गुजरातियों ने कोई भी हानि नहीं उठाई है । बम्बई विधान सभा की १८ नवम्बर से २२ नवम्बर तक की कार्यवाहियों के विवरण के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि हमें कितनी हानि उठानी पड़ी है । तो भी हमें गुजरातियों से कोई वैमनस्य नहीं है । अब जब कि विभाजन किया जा रहा है तो पुरानी बातों को उखाड़ने से कोई लाभ नहीं है । इसलिये उस परिच्छेद को बन्द करके हमें एक नवीन परिच्छेद आरम्भ करना चाहिये । मैं ने सदैव यही कहा है कि इस प्रकार की राजनीतिक साझेदारी को हम आगे नहीं रखना चाहते हैं । अतः एक ही राज्य को जारी रखना सही नहीं है । उन का यह कहना कि समान राज्य भक्ति उत्पन्न नहीं हुई है, बिल्कुल गलत है क्योंकि भाग 'ख' में के राज्यों के बारे में अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि उन में समान राज्य भक्ति उत्पन्न हो रही है । उनकी उत्पत्ति के अनुसार उन में राज्य भक्ति नहीं है । उनका कथन है कि बम्बई एक अलग राज्य नहीं हो सकता है और यदि उसे संवैधानिक प्रतिष्ठा दी जाती है तो वह देश के सामान्य संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं होगी । अतः यह जानते हुए कि भौगोलिक दृष्टि से बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाया जाना चाहिये वह यह कहने का साहस नहीं कर सके हैं । श्री पाटिल ने भी अपना वह मत बदल दिया है जो १९४६ में संयुक्त महाराष्ट्र सम्मेलन की स्वागत समिति के सभापति के नाते उन्होंने

व्यक्त किया था । वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था । कहने की बात तो यह है कि आयोग ने अपनी राय बदल दी है । मैं ने कांग्रेस के उच्च पदाधिकारियों को बता दिया था कि हम समस्या का अन्तिम निर्णय चाहते हैं । मैं तो महागुजरात के पक्ष में हूं । पुनर्गठन के लिये कोई अन्तरिम हल न हो कर अन्तिम निर्णय किया जाना चाहिये । यही समय है जब कि इस समस्या को अन्तिम रूप से हल किया जाना चाहिये । पहले ५९० राज्यों का संविलयन किया जाना चाहिये था जो हमने किया और इसके पश्चात् परिसीमन किया जाना चाहिये ।

जून मास में बम्बई के मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर एक बैठक इस सम्बन्ध में हुई थी और तभी से यह द्विभाषी राज्य की बात चली है, यह प्रतिवेदन से ज्ञात होता है । वास्तव में देखा जाये तो जो सूत्र इसमें रखा गया उसमें प्रक्रिया की दृष्टि से कमी जान पड़ती है । यदि मुझसे कोई पूछता तो मैं बम्बई नगर को राजधानी रख कर एक ही राज्य में गुजराती और महाराष्ट्रियों के रखे जाने का सुझाव देता । यदि यह प्रतिवेदन अन्तरिम होता तो मैं ऐसा करके दिखा भी देता । मैं इस प्रश्न में केवल इसलिये रुचि रखता हूं क्योंकि अन्ततोगत्वा मेरा भी भाग्य इस प्रश्न से सम्बन्धित है ।

इस सूत्र का लाभ यह बताया जाता है कि महाराष्ट्र क्षेत्र से १२–१५ सदस्य और लिये जा सकेंगे । इससे हानि यह होगी कि महाराष्ट्र में राजनीतिक जागरूकता अधिक है । इस कारण चुनावों में गैर-कांग्रेसी टिकटों पर चुने जाने वालों की संख्या पर्याप्त है । मान लीजिये कि कांग्रेस का बहुमत हो परन्तु स्वयं कांग्रेस दल में महाराष्ट्रियों का बहुमत नहीं होगा और इसलिये संवैधानिक शासन तंत्र के हमारे हितों के प्रतिकृत्य काम में लाये जाने की संभावना हो सकती है । बम्बई विधान सभा में भी आठ गैर महाराष्ट्री महाराष्ट्र से चुने गये हैं जब कि गुजरात से एक भी गैर गुजराती नहीं चुना गया है । हम ऐसी साझेदारी नहीं चाहते हैं ।

अब यदि हम अपने मित्र श्री पाटिल का कहना मान लें कि प्रस्तावित द्विभाषी राज्य में विदर्भ को रखने वाला सूत्र कोई अच्छा सूत्र नहीं है क्योंकि द्विभाषी राज्य एक संतुलित राज्य होता है, मैं नहीं समझता कि संतुलित राज्य से उनका क्या तात्पर्य है ? यह तो राजनीति शास्त्र के लिये एक नई चीज है । संतुलित राज्य बनाने के लिये ही तो विदर्भ को अलग राज्य बनाया गया है जब कि मध्य भारत जैसे बड़े-बड़े राज्यों का संविलयन कर दिया गया है विदर्भ को अलग क्यों रहने दिया गया ? प्रस्तावित बम्बई राज्य को संतुलित बनाने के लिये ही ऐसा किया गया था । यही कारण था जिससे कि बेलगांव और कारवार के मराठी भाषी क्षेत्र बम्बई के प्रस्तावित राज्य में नहीं सम्मिलित किये गये थे । मैं तो केवल जो चीज मेरी है उसे ही मांगता हूं ।

आपको कुछ सिद्धान्त बना लेने चाहिये । जब आप छोटे-छोटे ताल्लुकों और उप-तहसीलों को तोड़ चुके हैं तो फिर जिलों का बंटवारा करने में आपको किंचित हिचकिचाहट भी नहीं होनी चाहिये । कुछ तो एकरूपता और सुन्दरता का ध्यान रखिये ।

आज जैसी परिस्थितियां हैं उन में संतुलित राज्य की व्यवस्था ऐसी होगी जिसमें साम्प्रदायिकता की वृद्धि होगी, इसमें मुझे किंचित मात्र भी संदेह नहीं है । गुजराती व्यापारी वर्ग है, वह मालदार आसामी हैं, हां, हम लोगों की गरीबी और बढ़ जायेगी । न केवल कुप्रबन्ध और अव्यवस्था में ही वृद्धि होगी वरन् इससे राज्य की स्थिति नगरपालिका जैसी हो जायेगी जहां अपना स्वयं का लाभ देख कर ही प्रत्येक बात की जाती है । आर्थिक, नैतिक और सामाजिक उन्नति के बजाय लोगों की अवस्था ऐसे

[श्री गाडगील]

राज्य में बिगड़ती ही जायेगी । इसी कारण हम राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन का विरोध करते हैं ।

वास्तव में यदि पिछले १५० वर्षों का इतिहास उठा कर देखा जाये तो हमें ज्ञात होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीव डालने वाले महाराष्ट्र के लोग ही थे । उन्होंने ही सशस्त्र क्रांति का श्रीगणेश किया था । यदि उन सभी की उपेक्षा कर दी जाये तो दूसरी बात है । देश को नवजाग्रति का सन्देश तिलक ने ही दिया था । महात्मा गांधी ने हम लोगों को यह प्रमाण पत्र दिया था कि महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं की भरमार है । हम तो देश की एकता, सुरक्षा और उसके हित के लिये काम करना जानते हैं । आचार्य विनोवा भावे का प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सम्मुख ही है । हम तो न्याय के लिये लड़ रहे हैं । आप इन्कार भले ही करें किन्तु वास्तविकता यह है कि १६ राज्यों में आपने भाषा के सिद्धान्त को स्वीकार किया है किन्तु यहां उसकी उपेक्षा कर दी गई है । बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाये जाने के लिये कुछ लोग तैयार नहीं होंगे । श्री बी० एल० मेहता और श्री नारायण हमारे मत के समर्थक हैं । अब पूंजीवाद नष्टप्राय है । अन्य सभी जगह भाषा के सिद्धान्त को अपना कर आप यहां उसे अस्वीकार कर रहे हैं, जो उचित नहीं है ।

कार्यकारिणी समिति के नये सूत्र के अनुसार यह सुझाव रखा गया है कि सभी मराठी भाषा भाषी क्षेत्र एक राज्य में रखे जायें किन्तु बम्बई एक अलग राज्य होगा, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं । श्री एस० के० पाटिल ने अपने भाषण में कहा कि यदि अन्दोलन न किया गया होता तो राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार ही कार्य किया गया होता । बम्बई के मुख्य मंत्री ने कहा कि जब तक कांग्रेस जीवित है तब तक महाराष्ट्रियों को बम्बई का नगर नहीं मिल सकेगा । मैं पूछता हूं कि कार्यकारिणी समिति के सूत्र के अनुसार ५ वर्ष बाद बम्बई की पता नहीं क्या हालत होगी । यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से, जैसा कि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बताया गया है, बम्बई महाराष्ट्र के अन्तर्गत आता है किन्तु कुछ लोग जिन के हित निहित हैं वह ऐसा नहीं चाहेंगे । मैं समझौता करने के लिये तैयार हूं । यदि आज हम लोग मिल कर इसका समझौता नहीं कर लेते तो इस प्रश्न का निर्णय बम्बई के लोग वहीं बैठकर कर लेंगे, और ऐसा मैं नहीं होने देना चाहता ।

हमें बताया यह जाता है कि बम्बई का निर्माण गुजरातियों ने किया था । यदि ऐसा है तो गुजरातियों ने तो न केवल भारत में ही वरन् दक्षिण अफ्रीका और युगांडा आदि में भी धन विनियोजित किया है । वहां विशेषाधिकारों की मांग क्यों नहीं की जाती है ? सम्पूर्ण महाराष्ट्र का व्यापार इन्हीं गुजरातियों के हाथों में है । कुछ स्थानों पर मारवाड़ियों का भी कारोबार फैला हुआ है । समस्त महाराष्ट्र में और विशेषकर पूना में गुजराती पढ़ाने की विशेष व्यवस्था है ।

श्री पाटिल ने जो यह कहा कि वहां हम लोगों की संख्या केवल ४८ प्रतिशत है, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अनेक नगरों में भाषा सम्बन्धी विभिन्नता होते हुये भी उनके अलग राज्य नहीं बनाये गये हैं । किसी नगर विशेष की जन संख्या का विचार करना निरर्थक है । यदि ऐसा है तो क्या आप महाराष्ट्रियों की अधिक जन संख्या होने के कारण अहमदाबाद के बन्दर में स्वायत्त-शासी सरकार स्थापित कर देंगे ? इसी प्रकार क्या आप बड़ौदा को वही अधिकार देंगे ? मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि क्या यह स्थानीय विकल्प है । बम्बई के उत्तर में ८० मील के बाद गुजरात की सीमा शुरू हो जाती है यदि २५० मील के व्यास

में एक वृत्त खींचा जाये तो उसमें १/८ गुजराती और ७/८ महाराष्ट्री होंगे । आन्ध्र की सीमा मद्रास नगर से ३२ मील की दुरी पर है जब कि उसे रखा तामिल नाड में गया है । मेरी समझ से एक ही विधि सभी लोगों पर समान रूप से लागू की जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मद्रास को गलती से उसमें रख दिया गया था ।

श्री गाडगील : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बम्बई नगर को एक अलग राज्य बनाया जाता है तो मद्रास और कलकत्ता भी इसके लिये मांग करने लगेंगे । मेरी समझ में यह नहीं आता कि आप पूंजीपतियों की ओर झुकते क्यों चले जा रहे हैं । बम्बई राज्य आप किन लोगों के लिये अलग बनाना चाहते हैं ? व्यापारी तो सभी जगह हैं और उन्होंने किसी प्रकार से संरक्षण की मांग नहीं की है । मैं श्री भड़ूचा के उस भाषण का सारांश बताना चाहूंगा जो उन्होंने बम्बई विधान सभा में दिया था । उन्होंने कहा था कि यदि बम्बई को महाराष्ट्र राज्य में सम्मिलित कर दिया गया तो बम्बई के महत्व और उसके व्यापार पर किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जब आप यह कहते हैं कि इससे कुछ हानि होगी तो आयोग के सदस्यों को हमसे पूछना भी तो चाहिये था । यदि हम लोगों की संख्या ७० प्रतिशत हो तो भी बम्बई महाराष्ट्र से अलग ही रहेगा और ऐसा केवल इसलिये किया जायेगा कि कुछ पूंजीपति ऐसा चाहते हैं और महाराष्ट्रियों की संख्या का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । बम्बई में महाराष्ट्रियों की बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो वहां आवास की कठिनाई के कारण निकटवर्ती स्थानों में रहते हैं और प्रतिदिन बम्बई आते हैं । आज बम्बई में आप्रवासियों की संख्या अधिक है । वास्तव में बम्बई महाराष्ट्रियों का है । वहां प्रायमरी स्कूलों में ६२ प्रतिशत मराठी अध्यापक हैं । उनके बच्चे भी तो हैं इस कारण इस मांग को यों ही नहीं टाला जा सकता ।

बम्बई की स्थिति देखिये । यहां दो राष्ट्रीय राजपथ हैं और यह अनेक चीजों का केन्द्र है । कोलाबा, थाना, सतारा, शोलापुर और पूना आदि के लोग बम्बई नगर पर आश्रित हैं । आज प्रत्येक मराठी बालक की आकांक्षा यह है कि वह बड़ा हो कर बम्बई जायेगा । इससे आपको पता लग जायेगा कि बम्बई का हमारे आर्थिक जीवन में क्या स्थान है । आप इसे हम से छीन रहे हैं । आयोग का यह निष्कर्ष है कि बम्बई भौगोलिक दृष्टि से महाराष्ट्र का भाग है । बम्बई को एक पृथक् राज्य नहीं बनाया जाना चाहिये । बम्बई न्यायिक दृष्टि से हमारा है और हमें मिलना चाहिये । सम्मान और प्रतिष्ठा के अतिरिक्त हमें इसके खोने से जो आर्थिक और सामाजिक क्षति होगी उसका कोई विचार नहीं किया जा रहा है । उलटे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि बम्बई का निर्माण किसने किया है ? प्रत्येक औद्योगिक नगर सभी वर्गों के सामूहिक प्रयत्न से बनता है, किसी वर्ग या जाति विशेष के प्रयत्न से नहीं । फिर भी यदि यही अनुपात देखना हो तब भी सब से बड़ा भाग महाराष्ट्रियों का श्रम ही है ।

श्री एम० एस० गरूपादस्वामी (मैसूर): पारसियों का नहीं ?

श्री गाडगील : हां, गुजरातियों का भी । बम्बई में विनियोजित पूंजी केवल गुजरातियों की ही नहीं है । उसमें उन समवायों के अंशधारी भी हैं जो देश के समस्त भाग से आ कर बम्बई में कार्य कर रहे हैं । अभी अभी अमरीका और इंगलैंड ने यहां तेल साफ करने के दो बड़े कारखाने स्थापित किये हैं । क्या उन्होंने किसी सुरक्षा का मांग की है ? यहां ८०० करोड़ की विदेशी पूंजी विनियोजित है । उन्होंने भी कोई सुरक्षा नहीं मांगी है । गुजरातियों का केवल

[श्री गाडगील]

हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर नियंत्रण है । वह साहुकार हैं । हम ने उन में से अनेकों को कांग्रेस समितियों और नगर-पालिकाओं आदि के प्रधान पदों के लिये चुना । हमने उनके साथ प्रीतिपूर्ण और न्यायसंगत व्यवहार किया । किन्तु आज आप बम्बई को पृथक् राज्य बनाने पर तुले हुए हैं ? ब्रह्मा की राजधानी रंगून में भारतीयों का बहुमत था, फिर भी उन्होंने रंगून पर अपना दावा नहीं किया । यदि नगर राज्य के तर्क को मान लिया गया तो इससे गम्भीर राजनैतिक बातें उत्पन्न हो जायेंगी । जब इर्द गिर्द का सारा प्रदेश एक ही भाषा बोलता हो तो उसमें से एक छोटे से भाग को निकाला नहीं जा सकता है । सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार इसके २८ लाख नागरिकों में से लगभग १३ १।२ अथवा १४ लाख मराठी भाषा बोलते हैं । कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जिसका सब से बड़ा नगर उसकी सीमा से बाहर हो । बम्बई में गुजरातियों की संख्या केवल पांच लाख है । जनगणना के प्रतिवेदन से आपको यह भी पता लगेगा कि इस नगर में मराठी को एक गौण भाषा मानने वालों की संख्या भी पर्याप्त है । किसी भी दृष्टि से बम्बई में मराठी भाषियों को संख्या कम नहीं है । फिर आप इसको पृथक् राज्य क्यों बनाना चाहते हैं ?

यहां कैसी राजनीति चलेगी ? यहां लगभग ५४,००० मालिक और नियोजक हैं और ग्यारह लाख मजदूर और बाबू हैं । सभी सफेदपोश संयुक्त महाराष्ट्र चाहते हैं । बम्बई नगर में अत्यधिक आर्थिक विषमता है । यहां मालाबार हिल जैसे रम्य स्थान भी हैं और मांटुंगा की गन्दी बस्तियां भी । लोग कहेंगे कि अब हमें बम्बई मिल गया है अतः इस विषमता को शीघ्र समाप्त कर देना चाहिये । कांग्रेस भी तो यही करना चाहती है । यदि बम्बई नगर एक राज्य बन गया तो इस कार्य को इतनी शीघ्रता से किया जा सकता है कि इसकी गति को सहन करना कठिन हो जायेगा । मैं अपने पूंजीपति मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे समस्या पर इस दृष्टि से भी विचार लें । भाषायें बोली जाती हैं और चार धर्म हैं । यहां बारह क्या बम्बई एक पृथक् राज्य बन सकता है ? मैं इससे असहमत हूं । यदि आप आज बम्बई दे देंगे तो कल आपको कानपुर और कलकत्ता भी देना पड़ेगा ।

अन्त में मैं इस विषय को सभा पर छोड़ता हूं । श्री अशोक मेहता ने इस समस्या के किसी हल का सुझाव दिया है । हमने अपने प्रधान मंत्री से कहा है, "आप इस सिद्धान्त को मान लें कि महाराष्ट्र और बम्बई नगर एक ही राज्य में रहेंगे । फिर हम कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं । फिर आप जितनी चाहें सुरक्षायें रख दें । आप वीर सिखों के लिये भी तो सुरक्षायें दिये जाने को कहते हैं । यदि ४० लाख लोगों के लिये वे ठीक हो सकती हैं तो क्या इन ४० व्यक्तियों के लिये नहीं ठीक हो सकती हैं ? आप आयोग के परामर्श के विपरीत एक पृथक् बम्बई राज्य बनाना चाहते हैं किन्तु श्री अरबेकर का कहना है कि इसमें सार्वजनिक जीवन बड़ा दूभर हो जायेगा, इसमें सार्वजनिक कार्यकर्त्ता का जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा ।" बड़े-बड़े अनुभवी प्रशासकों का भी यही कहना है । फिर भी यदि आप अपनी मनमानी करेंगे तो इसका स्पष्ट अर्थ यह होगा कि आपको जनता के हितों का कोई ध्यान नहीं है । आप कुछ पूंजीपतियों के हितों में ही रुचि रखते हैं ।

यह एक बड़ा सीधा सा प्रश्न है । क्या आप समाजवादी युग लाना चाहते हैं ; तब तो संयुक्त महाराष्ट्र बनाइये । संयुक्त महाराष्ट्र समाजवादी राज्य होगा । यद्यपि सुरक्षायें देना हमारे लिये अपमान की बात है फिर भी हम उन्हें देने को तैयार हैं । यदि बम्बई नगर से निर्वाचित सदस्यों का बहुमत यह चाहता है तो बम्बई की समस्याओं सम्बन्धी

कोई भी विधान केन्द्र के विचारार्थ सुरक्षित रखा जा सकता है। हमारी यही शर्त है कि यह मांग राज्य की एकता और प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों के अनुरूप होनी चाहिये। मैं आप से अपील करता हूं कि जनता को यह समझने का अवसर दिया जाये कि न्याय और युक्ति की ही विजय होती है। यदि जनता में यह विश्वास नहीं उत्पन्न किया जायेगा तो प्रजातन्त्र असफल हो जायेगा। अब महाराष्ट्रियों के प्रति देर तक अन्याय नहीं किया जा सकता है। एक बार उन्हें पता लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वह इसको तनिक भी सहन नहीं करेंगे। जनता में ऐसी धारणा न बनने दीजिये। हम बहुत दूर तक आगे बढ़ आये हैं और कोई हमें अयुक्तियुक्त नहीं बता सकता है। यदि आप अब भी नहीं मानते हैं तो मुझे वही वरदान दीजिये जो कुन्ती से कर्ण ने मांगा था "मेरा जीवन प्राकृत न हो, मेरी मृत्यु वीरोचित हो।"

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

श्री सी० सी० शाह: (गोहिलवाड़-सोरठ) कल तक यह वादविवाद बड़ी शान्ति और शालीनता से चल रहा था।

एक माननीय सदस्य : आज क्या हो गया ह ?

श्री सी० सी० शाह : आज वातावरण बदल गया है। श्रीमान्, फिर भी मैं यथासम्भव इस शान्ति को बनाये रखने के लिये इस विषय पर निष्पक्ष और शाँत ढंग स अपने विचार प्रगट करने का प्रयत्न करूंगा। आज हम जो निर्णय करेंगे उनका हमारे देश क इतिहास, एकता, सम्पन्नता और सुरक्षा पर वर्षों तक प्रभाव पड़ेगा। अतः हमारा यह उत्तरदायित्व है कि हम इस विषय पर शान्ति से विचार करें।

राज्यों के पुनर्गठन की समस्या बड़ी नाजुक और जटिल है। कोई भी ऐसा हल नहीं निकाला जा सकता है जिससे कि सभी सन्तुष्ट हो सकें। इसके लिये हमने एक आयोग नियुक्त किया। इसमें ऐसे व्यक्ति थे जिनकी सत्यनिष्ठा योग्यता और कार्यदक्षता पर सारे देश को विश्वास है। ऐसे आयोग के प्रति संदेह प्रकट करना हमारे लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है। समूचा देश जानता है कि आयोग ने पूर्ण निष्पक्षता से इस समस्या पर विचार किया है। देश की बहुसंख्यक जनता उसके प्रस्तावों से सहमत है। यद्यपि हमारे पास सर्व्वोच्च सत्ता है तथापि ऐसे निष्पक्ष व्यक्तियों के सुझावों में हमें अवहेलनापूर्वक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। जब तक हमारे पास कोई दूसरा विकल्प न हो जिस पर कि सभी सम्बन्धित वर्ग सहमत हों अथवा जब तक हमें आयोग की शिफारशों को लागू करना सर्वथा असम्भव न जान पड़े, हमें उसके निष्कर्षों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये।

हमें अब इस समस्या को हमेशा के लिये हल कर देना चाहिये। मैं इसे स्थगित करने अथवा खटाई में डाल देने में विश्वास नहीं करता हूं। हमें उसे आने वाली सन्तति के लिये लड़ने या झगड़ने के लिये नहीं छोड़ जाना चाहिये।

राज्यों के पुनर्गठन के विषय में आयोग ने राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और सम्पन्नता पर अधिक ज़ोर दिया है। हमारी राष्ट्रीय एकता एक कोमल कोंपल है जिसकी देख रेख की अभी बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश की हजारों जातियों का इतिहास यह सिद्ध करता है कि इसकी रक्षा करना बहुत कठिन रहा है। यद्यति शताब्दियों तक हम में सांस्कृतिक एकता बनी रही तथापि हम राजनेतिक एकता स्थापित करने में सदा असफल रहे हैं। यह पुनर्गठन केवल राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिये एक साधन मात्र है।

आज देश में दो बड़ी संगठक शवितयां हैं, कांग्रेस और प्रधान मंत्री का व्यक्तित्व। संविधान भी है किन्तु वह तभी कार्य कर सकता है जब हमारे मन में संगठन की भावना हो। हमारे भीतर बहुत सी विग्रहक शक्तियां भी हैं। हमें इन दो शवितयों के रहते रहते अपने आप को संगठित कर लेना चाहिये।

[श्री सी० सी० शाह]

भाषा भी यद्यपि एक बड़ा कारण है, तो भी मैं यह विश्वास नहीं करता हूं कि यही पुनर्गठन का एक मात्र आधार होना चाहिये । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में नई परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं । पहले जब कांग्रेस भाषावार प्रान्तों की बातें करती थी तो उसके सामने उसका व्यावहारिक स्वरूप कभी नहीं आया था । अतः उसने इससे होने वाले परिणामों का कभी ध्यान नहीं किया था । आज की परिस्थितियों में हमें देखना है कि क्या भाषा एक प्रमुख आधार हो सकती है अथवा यही एक मात्र आधार होनी चाहिय । भाषा एक मात्र आधार नही हो सकती है क्योंकि यह हमें संगठित भी करती है और विभाजित भी करती है। आयोग ने ठीक ही किया है कि जो इसे एक- मात्र आधार नहीं माना है ।

आयोग ने कहा है कि एक भाषा के लिये एक ही राज्य का होना आवश्यक नहीं है । इस सिद्धान्त को लागू करना असम्भव है । हमने गुजरात में इसी दृष्टि से समस्या पर विचार किया है । हमने भाषा के आधार पर गुजरात के एक पृथक राज्य की मांग नहीं की है । श्री गाडगील ने सरदार पटेल और श्री मुन्शी के भाषणों का निर्देश करते हुये कहा है कि वह एक पृथक गुजराती राज्य चाहते हैं । यह दोनों हवाले बिल्कुल ग़लत हैं । हम केवल यही चाहते हैं कि सभी गुजराती भाषी क्षेत्र एक प्रशासन के अन्तर्गत आ जायें । यह द्विभाषी राज्य भी हो सकता है । गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति ने अपने स्मति पत्र में यही कहा है कि बम्बई का मिला जुला राज्य बना रहना चाहिये । हमें इसमें कोई तर्क नहीं दिखाई देता है कि जो राज्य एक शताब्दी तक बना रहा हो उसको क्यों समाप्त किया जाये ।यदि इसे विभाजित करना ही हो तो इसे कांग्रेस के संविधान के अनुसार कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और बम्बई प्रदेश आदि चार भागों में बांटा जाना चाहिये । कांग्रेस के संविधान अनुसार सन् १९२१ में ऐसे ही प्रान्त बनाये गये थे अब भी उनके अनुसार बंटबारा या पुनर्गठन होना चाहिये ।

सौराष्ट्र कुछ भी नहीं मांगता है । राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से आयोग जो भी निश्चय करेगा सौराष्ट्र को वह निर्णय मान्य होगा । यदि आयोग गुजरात का एक पृथक् राज्य बनाता है तो सौराष्ट्र को उससे मिलने में कोई आपत्ति नहीं है । यदि आयोग सौराष्ट्र को एक पृथक् राज्य के रूप में रखना चाहे तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है । यह सब बातें हमने आयोग पर छोड़ दी थीं । सौराष्ट्र, कच्छ अथवा गुजरात ने किसी भी भाषावार राज्य की मांग नहीं की है । हम मैत्री भाव रखते हुये एक ही राज्य के अन्तर्गत सौ वर्ष तक कार्य करते रहे हैं और अब भी करते रहेंगे । हमें पृथक् होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है । किन्तु यदि लोग हमें पृथक् होने के लिये मजबूर ही करेंगे तो हमारी मांग है कि बम्बई एक पृथक् एकक के रूप में रहे ।

वर्तमान बम्बई राज्य में महाराष्ट्र की बहुसंख्या है । द्विभाषी राज्य में भी वे बहुसंख्यक रहेंगे । एक और शिकायत भी की गई है, कि इस द्विभाषी राज्य में सारी गुजराती भाषी जनता आ गई है परन्तु सारी मराठी भाषी जनता इसके अन्तर्गत नहीं लाई गई है । किन्तु इसमें ४७ लाख की जनसंख्या वाला सारा मराठवाड़ा आ गया है जब कि सम्पूर्ण सौराष्ट्र और कच्छ की कुल जन संख्या ही ४७ लाख है । अतः दोनों ओर से ४७ लाख की जनसंख्या मिल जाने पर भी बम्बई के सामासिक राज्य में मराठों की बहुसंख्या ही रहेगी ।

श्री गाडगील ने आयोग के, बम्बई सरकार के, उसके मुख्य मंत्री के और प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध, जो उन से सहमत नहीं था, दोष लगाये हैं । परन्तु दोष प्रायः तभी लगाये जाते हैं जब किसी राज्य का दमन हो, किसी के साथ नौकरियों में भेदभाव की नीति बरती जाये इत्यादि । किन्तु क्या महाराष्ट्रियों

को बम्बई के सामासिक राज्य के प्रति कोई ऐसी शिकायत है ? उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग को दिये गये स्मृति-पत्र में इसके सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा है। फिर भी श्री गाडगील ने यहां कहा है कि महाराष्ट्रियों को कई शिकायतें हैं। वह क्या हैं ? महाराष्ट्र में १०.२२५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है जब कि गुजरात में केवल ३.८४६ लाख एकड़ भूमि की, कोंकण में २१,००० एकड़ भूमि की और कर्नाटक में ३.३२ लाख एकड़ भूमि की। अधिकांश रुपया भी महाराष्ट्र के सिंचाई के कार्यों पर लगाया गया है। भारत सरकार ने भी बम्बई सरकार को महाराष्ट्र में छोटे और मध्यम पैमाने के सिंचाई कार्यों के लिये ६.८ करोड़ रुपया दिया है, जब कि गुजरात के लिये केवल ८० लाख रुपया दिया है। सेवाओं में भी महाराष्ट्र के लोगों की बहुतायत है। इसके उपरान्त भी यदि वह एक पृथक् राज्य चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। किन्तु यदि वह एक पृथक राज्य चाहते हैं तो वह अपनी शर्तें नहीं रख सकते हैं। उन्हें आयोग की शर्तें माननी होंगी। जैसे कि आन्ध्र से कहा गया था कि उसमें केवल अविवादास्पद क्षेत्र ही सम्मिलित किये जा सकते थे। उसे मद्रास नगर का दावा छोड़ना पड़ा था आदि। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय सब से उत्तम है। यही इस सभा के बहुमत का, देश के लोगो का और बम्बई और गुजरात कांग्रेस समितियों का निर्णय है। और इसके बाद भी महाराष्ट्र के मेरे मित्र एक ऐसे हल को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं जो कि सभी के हित में सर्वोत्तम समझा जाता है। क्या उसे अस्वीकार करके वह कोई ऐसी बात पा सकेंगे जिसके कि वह अधिकारी नहीं हैं ? राज्य पुनर्गठन आयोग अथवा जवाहरलाल-वल्लभभाई-पट्टाभि आयोग, दर समिति को ही लीजिये। प्रत्येक आयोग का यह एकमत निश्चय है कि राज्यों का पुनर्वितरण चाहे जैसा भी क्यों न हो बम्बई को उसका बहुभाषी चरित्र बनाये रखना चाहिये। राष्ट्र के हित में बम्बई नगर किसी एक भाषी क्षेत्र का भाग, नहीं हो सकता है। इस प्रश्न की निष्पक्ष जांच करने के लिये बनाये गये प्रत्येक आयोग और कांग्रेस दोनों का इस सम्बन्ध में एकमत है। राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन सर्वोत्तम हल समझा जाता है। यदि वह उसे स्वीकार न करते हों तो उन्हें किसी अन्य आयोग द्वारा सुझाया गया हल स्वीकार करने का विकल्प दिया जाये। कार्य कारिणी समिति का अब तक यही निर्णय है कि जो एकमत से किया गया है। क्या यह सुझावा दिया जा रहा है कि प्रत्येक आयोग ने महाराष्ट्र के साथ पक्षपात किया है ? क्या महाराष्ट्र के मित्र इस बात पर विचार करेंगे कि प्रत्येक आयोग, प्रत्येक समिति और यहां तक कि कांग्रेस ने भी १९२० में यही निर्णय किया था। उक्त निर्णय स्वयं श्री केलकर द्वारा किया गया था।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नागिरि-दक्षिण) : श्री केलकर का निर्णय कांग्रेस समिति के गठन के बारे में था न कि राज्स के गठन के बारे में।

श्री एस० के० पाटिल (बम्बई नगर दक्षिण) : वह निर्णय यह था कि बम्बई नगर को महाराष्ट्र की प्रान्तीय कांग्रेस समिति में शामिल नहीं किया जा सकता है।

श्री सी० सी० शाह : इस निर्णय के जो कारण हैं उन्हें सदन के समक्ष रखना मेरे लिये आवश्यक है। उदाहरण के लिये दर आयोग को लीजिये जिसने कहा है कि :

> "बम्बई नगर का सर्वोत्तकृष्ट भविष्य जो हम देख सकते हैं वह यह है कि उसे सभी जातियों का मिलनस्थल, उनके गर्व और प्रेम का स्रोत और उनके संयुक्त श्रम और उद्योग का एक केन्द्र बना रहने दिया जाये। इस नगर को किसी एक भाषा-भाषी प्रान्त की राजधानी बनाना असंगत होगा।"

यह दर आयोग का एकमत निर्णय है।

[श्री० सी० सी० शाह]

जवाहरलाल-वल्लभभाई-पट्टाभि समिति ने इस प्रकार कहा है :

> "बम्बई नगर का प्रश्न न केवल उत्पन्न ही हुआ है वरन् उस पर जोरदार चर्चा भी हुई है । तथापि हमारे मतानुसार इस महानगरी के सम्बन्ध में तर्क वितर्क के लिये बहुत कम गुंजाइश हो सकती है ।"

उनका कथन है कि यह बात इतनी स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में कोई तर्क वितर्क हो ही नहीं सकता है । यह कहा गया है कांग्रेस के अध्यक्ष और भारत के प्रधान मंत्री द्वारा, जिन्होंने राष्ट्र के लिये जीवन भर कार्य किया है । क्या हम यह विश्वास कर सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जो कि राष्ट्र के हित में नहीं था ? जवाहर-लाल-वल्लभभाई-पट्टाभि समिति ने आगे चल कर कहा कि :

> "बम्बई न केवल भारत के विशाल-तम नगरों में से एक है वरन् निस्संदेह वह एक सर्वदेशीय बहुभाषी नगर है और अन्य देशों के लिये हमारा सब से बड़ा गवाक्ष है । इस महान नगर के बहुपक्षीय जीवन और गतिविधियों को हानि पहुंचाने वाली किसी भी कल्पना अथवा प्रस्ताव पर विचार करना हमारे लिये बिल्कुल असम्भव है । हम यह सोच ही नहीं सकते हैं कि वह किसी एक भाषावार गुट का है और उसे एक विशुद्ध एक भाषा भा त से मिलाया जा सकता है ।

इसलिये राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी वही निर्णय किया । महाराष्ट्र और गुजरात सौराष्ट्र और कच्छ और वास्तव में सारे देश की जनता इस नगर से सम्बद्ध है और इसके कारण सुविज्ञ हैं । इसलिये एक द्विभाषी राज्य की राजधानी बने रहना ही बंबई के लिये सर्वोत्तम होगा । इसलिये राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस आशय की सिफारिश की है । उसे यह आशा थी कि वह सिफारिश, जो कि मौजूदा परिस्थितियों में सर्वोत्तम है और चूंकि वह राष्ट्र के व्यापक हितों में है, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ और महाराष्ट्र की जनता द्वारा स्वीकार कर ली जायेगी । गुजराती जनता ने, जो महाराष्ट्र की जनता की तुलना में अल्प-संख्यक है, उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया किन्तु महाराष्ट्र की जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया । वह चाहती है कि विदर्भ को मिला कर एक द्विभाषी राज्य बनाया जाये और उसका कथन है कि हम उसकी मांग को अस्वीकार कर रहे हैं । एक मिनट के लिये इस पर गौर कीजिये । क्या वह एक द्विभाषी राज्य में विश्वास करती है ? श्री गाडगील के भाषण का प्रत्येक शब्द द्विभाषी राज्य के विरुद्ध एक महाभियोग था । विदर्भ को मिलाकर एक द्विभाषी राज्य बनाये जाने का सुझाव एक प्रचंड बहुमत की प्राप्ति के लिये दिया गया था । यही श्री पाटिल ने भी कहा है ।

स्वामी रामानन्द तीर्थ (गुलबर्गा) : मेरा नम्र निवेदन है कि यह अनुचित है ।

श्री सी० सी० शाह : आपको यह अनुचित प्रतीत होता हो किन्तु उन्होंने क्या कहा था ? इस द्विभाषी राज्य के निर्माण के पांच वर्ष बाद गुजरात अलग हो सकता है जिससे कि बम्बई महाराष्ट्र में रेह जाये । क्या इसमे कोई सन्देह है कि वह गुजरात को अलग हो जाने पर बाध्य कर देते ?

जैसा कि श्री पाटिल ने ठीक ही कहा है कि एक द्विभाषी राज्य ऐसा राज्य है जहां दो जाति समूह समान स्तर पर हों । यदि किसी एक जाति का बहुमत दूसरे की अपेक्षा अत्यधिक हो तो अल्पसंख्यक जाति को न्याय प्राप्ति में विश्वास नहीं होता है । ऐसा राज्य द्विभाषी राज्य हो नहीं सकता है । जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं विदर्भ को मिला कर एक द्विभाषी राज्य बनाये जाने का जो सुझाव दिया गया है वह उसे क्रियान्वित करने की भावना से

नहीं दिया गया है । यदि वह सुझाव उस भावना से दिया गया होता तो बात अलग थी । उनकी धारणा का मूलभूत सिद्धान्त यह है कि वह एक भाषी राज्य में विश्वास करते हैं । यदि उनका इस नैतिक सिद्धांत में, कि राज्यों का पुनर्गठन एक भाषा के आधार पर होना चाहिये, विश्वास था तो फिर द्विभाषी राज्य का सुझाव कैसे दिया गया ।

श्री श्यामनंदन सहाय (मुज़फ्फरपुर मध्य) : नैतिक सिद्धान्त ही बहुमत है ।

श्री सी० सी० शाह : जी, हां । नैतिक सिद्धान्त ही बहुमत है । फिर उनका कथन है कि जब सभी गुजराती भाषी क्षेत्र समाविष्ट कर दिये गये हैं तब मराठी भाषी सभी क्षेत्र क्यों न समाविष्ट किये जायें । तर्क बहुत ही अच्छा है । किन्तु सौराष्ट्र और कच्छ को लीजिये । किसी भी प्रकार से उनको अलग राज्यों के रूप में क़ायम रखा नहीं जा सकता है और उन्हें किसी अन्य राज्य के साथ अवश्य मिलाना पड़ेगा । यदि उन्हें मिलाया ही जाना है तो राजपूताना या मध्य प्रदेश में उनको मिलाया नहीं जा सकता है । उन्हें केवल बम्बई में ही मिलाया जा सकता है । सौराष्ट्र और कच्छ ने कहा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो भी निर्णय होगा उसे वे स्वीकार कर लेंगे । ऐसे उदार व्यक्तियों पर किसी तरह का लांछन लगाना मेरी राय में उचित नहीं है ।

गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस समिति ने समग्र स्थिति पर और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति ने संकल्प पर विचार करने के उपरांत एक संकल्प पारित किया था । संकल्प में उसने कहा कि विदर्भ को मिला कर एक द्विभाषी राज्य के निर्माण का सुझाव उसे स्वीकार नहीं है । पारित संकल्प में इस आशय का सुझाव भी दिया गया है कि यदि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा सुझाया गया हल महाराष्ट्र के नेताओं को अमान्य हो तो समिति की राय है कि बम्बई राज्य को तीन राज्यों में विभाजित किया जाये । संयुक्त महाराष्ट्र के समर्थकों के द्वेषपूर्ण प्रचार के बावजूद भी २५ अक्तूबर को गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस समिति राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार एक द्विभाषी राज्य के बनाये जाने की बात को स्वीकार करने को तैयार थी । किन्तु महाराष्ट्र के नेतागण इसके लिये तैयार नहीं हुये । राष्ट्र के हित में जो बात सर्वोत्तम समझी जाती है उसे यदि वह स्वीकार नहीं करते हैं तो किसी न किसी को कोई निर्णय तो करना ही होगा । जब महाराष्ट्र के नेताओं से की गई सभी वार्तायें असफल रहीं, जब एक उत्तम हल पर महाराष्ट्र के नेतागण सहमत न हो सके तब पूणविचार के उपरांत कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने इस बारे में निर्णय किया । कांग्रेस कार्य कारिणी के संकल्प में कहा गया है कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा व्यक्त मत के और उसके द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण के फलस्वरूप वह एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंची है कि जिस पर कि सम्बन्धित दलों की अधिकतम संभाव्य सहमति है और जो राष्ट्र के हितों में है । मैं निवेदन करता हूं कि यह उक्त निष्कर्ष कांग्रेस ने १६२० से जो दृष्टिकोण अपनाया है उससे समरूप है । यह निष्कर्ष दार आयोग के सर्वसम्मत निर्णय से और जवाहरलाल-वल्लभभाई-पट्टाभि प्रतिवेदन से और राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन से समरूप है क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह सिफारिश कदापि नहीं की थी कि बम्बई एक भाषी राज्य का एक हिस्सा हो सकता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह निर्णय उचित है और वह सर्व सम्मति से किया गया था । यहां तक कि श्री देवगिरिकर ने उस पर आपत्ति नहीं उठाई और न उसका विरोध ही किया यद्यपि मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्होंने उसके समर्थन में अपना मत नहीं दिया । क्या महाराष्ट्र के मेरे मित्र इस पर कभी विचार करेंगे ?

वह अपनी ही घोषणाओं के शिकार हुये हैं और अन्य लोगों को हंसा से शिकार बनाया जाता है । मेरा उन से अनुरोध है कि

[श्री सी० सी० शाह]

इस बात पर जरा विचार करें कि जब कि सम्पूर्ण राष्ट्र एक बात पर एक विशिष्ट दृष्टिकोण रखता है तब वह ही उसके कटट्र विरोधी क्यों हैं। यह केवल गुजरात का नहीं अपितु सारे राष्ट्र का प्रश्न है। इसलिय प्रधान मंत्री कहते हैं और कांग्रेस ने भी कहा है कि बम्बई किसी एक भाषी राज्य का अंग नहीं हो सकता। कांग्रेस कार्य कारिणी समिति की बैठकों में प्रधान मंत्री, पंडित जी० बी० पन्त और मौलाना आज़ाद जैसे व्यक्तियों ने भाग लिया था। क्या उन में से प्रत्येक ने महाराष्ट्र के प्रति अन्याय किया है ?

प्रदेश, भाषा आदि बातों को ले कर कई तर्क उन के समक्ष रखे गये और वास्तव में उक्त तर्क अतीत में अनगिनत बार प्रस्तुत किये जा चुके हैं और उन पर प्रत्येक बार पूर्ण रूप से विचार भी किया जा चुका है, और इसके बाद केवल यही निर्णय है कि जो ऐसी परिस्थितियों में किया जा सकता था।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। संयुक्त महाराष्ट्र की मांग अभी हाल ही में की गई है। सन् १९४६ में बेलगांव में महाराष्ट्र की एक साहित्य परिषद् ने कहा था कि सांस्कृतिक और साहित्यिक कारणों से यदि सभी मराठी भाषी लोग एकत्रित किये जा सकें तो अधिक अच्छा होगा। राजनीतिक नेताओं ने इसे उठाया और इस विचारधारा का विकास किया। यदि उनकी मांग यह है तो हमें उसकी पूर्ति करना चाहिये किन्तु पूर्ति राष्ट्र के हित में हो, न कि किसी विशिष्ट समूह के हित में।

दार आयोग की नियुक्ति से पूर्व, भाषा वार पुनर्वितरण के प्रश्न पर संविधान सभा में चर्चा हुई थी। वह एक ऐसा हल खोजना चाहती थी जो सभी को मान्य हो इस प्रकार उसने जो सूत्र खोज निकाला वह इस प्रकार था :—

"महत्वाकांक्षी प्रान्तों को उन प्रान्तीय सीमाओं पर सहमत होना चाहिये जो कि कांग्रेस द्वारा १९२० में निर्धारित की गई थीं।"

उस समय महाराष्ट्र ने यह नहीं कह था कि बम्बई महाराष्ट्र का एक अंग हो।

श्री एच० पी० वैष्णव (अम्बड) : वह तो उसमें पहले से ही था। यह कहने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री सी० सी० शाह : इसके बाद दर आयोग की नियुक्ति हुई और उसके समक्ष पहली बार संयुक्त महाराष्ट्र के साथ बंबई का दावा किया गया।

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है, यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ को उसमें रुचि है। बंबई के गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के साथ तटीय सम्बन्ध थे जो सदियों पुराने हैं जबकि बंबई के महाराष्ट्र के साथ ऐसे सम्बन्ध नहीं थे क्यों कि उनके मध्य ऐसे घाट थे जिनको पार करना उन दिनों संभव नहीं था।

जो सदस्य वकील हैं वे यह देखेंगे कि समस्त पश्चिम में उत्तराधिकार की जो विधि लागू की जाती है वह मिताक्षरा है, किन्तु गुजरात में उत्तराधिकार की मयूख विधि लागू की जाती है। बंबई पर भी मयूख विधि लागू होती है। न केवल यही किन्तु गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लगभग पांच लाख व्यक्ति बंबई में रहते हैं। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ का कोई भी ग्राम ऐसा नहीं है जहां के व्यक्ति बंबई में न हो। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की समृद्धि बंबई की समृद्धि पर निर्भर है। बंबई गुजरात का साहित्यिक और सांस्कृतिक केंद्र है। पहला गुजराती समाचारपत्र बंबई से निकाला गया था। सर्वोत्तम गुजराती समाचारपत्र इस समय भी बंबई से प्रकाशित होते हैं। गुजराती साहित्य परिषद् का प्रधान कार्यालय बंबई में है। (**अन्तर्बाधाएं**)।

इसलिये बम्बई की स्थिति यह है कि वह एक ऐसे क्षेत्र में है जिसे उत्तरी कोंकण कहते हैं । वह महाराष्ट्र से सदा ही अलग रहा है।

महाराष्ट्र के संस्कृत के महान् विद्वान् श्री आर० जी० भांडारकर ने कहा है :

> "वह (दक्षिण पथ), महाराष्ट्र नाम के प्रदेश से अथवा उस प्रदेश से, जहां मराठी बोली जाती है, प्रायः मिलता जुलता है और उसमें पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच के भूमि की संकरी पट्टी समाविष्ट नहीं है ।"

संकरी पट्टी से उनका आशय उत्तरी कोंकण से है । एक अन्य महाराष्ट्रीय विद्वान् महामहोपाध्याय श्री पी० वी० काणे ने कहा है कि :

> ". . . .इसके पूर्व हुई चर्चा में महाराष्ट्र की सीमाओं की काफी स्पष्ट रूपरेखा है । सामान्यतः कोंकण को उसमें समिलित किया नहीं जाता था "।

और उन्होंने अंत में कहा है :

> " कि प्राचीनतम काल से कोंकण को एक इकाई के रूप में देखा जाता था । उसे भौतिक और भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण महाराष्ट्र से अलग समझा जाता था ।"

समस्त बम्बई नगर में आप्रवासी बसे हुए हैं चाहे वे महाराष्ट्रियन हों, चाहे गुजराती हों अथवा देश के किसी अन्य भाग के हों । जैसा कि महाराष्ट्र के प्रवक्ता डा० गाडगील ने स्वयं कहा है, बम्बई आप्रवासियों का नगर है और सभी का उस पर समान अधिकार है । भौरघाट बनने के बाद और जी० आई० पी० रेलवे के चालू होने के बाद ही महाराष्ट्र की जनता का बम्बई में आना प्रारंभ हुआ। सन् १८७२ तक बम्बई की महाराष्ट्रियन जन संख्या केवल २२ प्रतिशत थी और इसके बाद ही उसमें वृद्धि हुई । बम्बई के औद्योगिक विकास के साथ साथ आस पास के क्षेत्रों के श्रमिक बम्बई आने लगे । किन्तु गुजरात की जनता के लिये इस बात की कल्पना करना भी असंभव है कि जो बम्बई नगर सभी के श्रम के परिणामस्वरूप विकसित हुआ और जिसमें उन्होंने भी अपना यथा संभव योग दिया और जिस नगर से वह शताब्दियों से सम्बन्धित हैं वही बम्बई एक भाषी राज्य का एक अंग बन जाये ।

और यह 'हमारे प्रदेश' के बारे में तर्क क्या है । यह तर्क किस सीमा तक जा सकता है यह दिखाने के लिये मैं उनके प्रमुख प्रवक्ता द्वारा लिखे गये लेखों के कुछ अंश सदन को पढ़कर सुनाऊंगा ।

श्री नेसवी (धारवाड़ दक्षिण): क्या माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि बम्बई में सर्वप्रथम बसने वाले लोग कन्नड थे और गवर्नर जनरल को सर्वप्रथम जो मान पत्र दिया गया था वह कन्नड भाषा में लिखा गया था ?

श्री सी० सी० शाह : बिलकुल सही है । बम्बई के गवर्नर को प्रस्तुत प्रथम स्मृतिपत्र कन्नड में था, मराठी में नहीं ।

दार आयोग को सुझाव दिया गया था कि इस प्रश्न पर विचार दस वर्ष के लिये स्थगित किया जाये और इस स्थगन का विरोध करते समय प्रमुख प्रवक्ता डा० डी० आर० गाडगील ने कहा था कि "स्थगन की इस दस वर्षीय अवधि में संयुक्त महाराष्ट्र के विरोधकों के वित्तिय संसाधन, बसने कि इच्छुक शरणार्थियों की वृहद् संख्या और प्रांतीय मंत्रिमंडल की असावधानी इन सब बातों का ऐसा समग्र प्रभाव पड़ सकता है कि मराठों के अपने देश के अधिकांश भागों में ही विदेशी बन जाने की संभावना है ।"

हमें बताया गया था कि स्वदेश जैसी कोई बात नहीं है, यदि आप बम्बई नगर को महाराष्ट्र से अलग कर दें तो वह क्या कर

[श्री सी० सी० शाह]

सकता है ? जो मराठी नहीं बोलते यद्यपि बम्बई नगर में उनकी संख्या ५६ प्रतिशत है तथापि वे बम्बई में विदेशी हैं ।

वे बम्बई नगर की सड़कों तक का विभाजन करवाना चाहते हैं । उनका कहना है कि कि यह उन का घर है। किन्तु आयोग ने कहा है कि वह इस सिद्धान्त को नहीं मानता और यह भारत में भारतीय क्षेत्र है। भारत का कोई नागरिक भारत के किसी भाग में जा कर रह सकता है । हमारे महाराष्ट्र के मित्र यह कहने के बाद कि बम्बई के ५६ प्रतिशत लोग ४४ प्रतिशत के अधीन रहें, पूछते हैं कि उन्हें क्या प्राशंकाएं हैं ? ये प्राशंकाए प्रत्येक समिति और आयोग को बताई जा चुकी हैं। ये प्राशंकाऐं सब गैर-मराठी लोगों को हैं । आयोग की रिर्पोट में इसका उल्लेख है । कांग्रेस के भूतपूर्व प्रधान डा० पट्टाभी और स्वयं प्रधान मंत्री जी इस सम्बन्ध में आश्वासन दे चुके हैं कि बम्बई को एकभाषीय प्रांत नहीं बनाया जायेगा और भाषावार प्रांत बनाने की अवस्था में बम्बई नगर को अलग रखा जायेगा । इस आश्वासन के कारण ही पिछले ७ या ८ वर्षों में बम्बई का औद्योगिक विकास हुआ है ।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि बम्बई नगर को महाराष्ट्र में रखा जाता है तो संयुक्त महाराष्ट्र के समर्थक इस का भविष्य क्या सोचते हैं ? श्री गाडगील के अनुसार कोई अधिक विकास नहीं चाहते, बल्कि यह चाहते हैं कि इन उपयोगों और जन-संख्यों को महाराष्ट्र के अन्य भागों में वितरित कर दिया जाये । इसका परिणाम यह होगा कि बम्बई का राष्ट्रीय महत्व नहीं रहेगा और यह मुख्यता एक पत्तन रह जायेगा ।

आज बम्बई की स्थिति क्या है ? भारत का ४० प्रतिशत आयकर बम्बई से आता है भारत का ५५ प्रतिशत आयात व्यापार और ४० प्रतिशत निर्यात व्यापार बम्बई के द्वारा होता है । इस क्षेत्र मे रहने वाले ५६ प्रतिशत लोगों का शासन एक भाषावार अल्प सख्यक वर्ग के हाथ में नहीं दिया जा सकता । आप देखेंगे कि इस ५६ प्रतिशत गैर-मराठी लोगों ने दर आयोग और राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने मांग की है कि बम्बई को एक भाषीय क्षेत्र का अंग ना बनाया जाये । यह मांग कर्नाटक प्रांतीय कांग्रेस समिति, बम्बई नागरिक समिति सिंधी संघ, केरल संघ, उत्तर भारतीय संघ सब ने की है । आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि बम्बई में ५ लाख लोग उत्तर भारत के हैं । किन्तु हमारे महाराष्ट्र के मित्र चाहते हैं कि बम्बई में महाराष्ट्र से बाहर के लोग न आएं । इसमें 'हमारा घर' और विभाजन की भावना है हमें इसका मुकाबला करना है । मैं यह नहीं कहता कि बम्बई पर गुजरातियों का अधिकार है हम चाहते हैं कि बम्बई किसी एक-भाषीय क्षेत्र का भाग न बने, बल्कि एक महान बहु-भाषीय नगर रहे। जैसा कि गृहमंत्री ने कहा है, बम्बई राष्ट्रवाद और कांग्रेस का जन्म स्थान है और यह सदा हर आन्दोलन में आगे रहा है । इस ने संकट के समय देश के अन्य सब प्रांतों की सहायता की है । इस नगर को महाराष्ट्र की राजनैतिक दलदल में नहो फंसाना चाहिये । इस लिये मेरा निवेदन है कि प्रत्येक समिति और आयोग ने जो निर्णय किया है, वह ठीक किया है। मैंने अपने जीवन के ५५ वर्ष बम्बई में ही बिताए हैं और मैं जानता हूं कि बम्बई क्या है। मैं अपने महाराष्ट्र के मित्रों से अपील करता हूं कि वे इस निर्णय को मानें जो देश १९२० से कर चुका है । हम महाराष्ट्र के राज्य का भला चाहते हैं किन्तु हम अवश्य कहते हैं कि स निराधार मांग पर आग्रह न करें ।

श्रीमती कमलेन्दु मति शाह (जिला टिहरी गढ़वाल पश्चिम व जिला बिजनौर उत्तर): राज्य पुनर्गठन आयोग पर, मुझे यह कहना है कि मेरे विचार से उत्तर प्रदेश का विभाजन उचित नहीं है । अन्य प्रान्तों के लोग तो विभाजन की मांग इस कारण से करते हों कि इससे उन लोगों के हाथ में शासन सत्ता आकर उन्हें अपना

प्रभुत्व जमाने की आशा होगी । परन्तु उत्तरप्रदेश के विभाजन की मांग तो मुख्यतया इस प्रान्त के प्रदेशों में अधिकारियों की शासन शिथिलता के कारण है जो जिला की स्वाभाविक प्रगति में बाधक है । इस प्रकार की शासन शिथिलता में जागृति लाने का एक उग्र साधन तो विभाजन हो सकता है, परन्तु क्या विभाजन की मांग करने वाले यह जिम्मेदारी ले सकते हैं कि उस उग्र साधन द्वारा जो पीछे बदलना भी मुश्किल होगा, उनके जिले की कठिनाइयों का अन्त अवश्य हो जायेगा ।

सभापति महोदय : यह उचित नहीं है कि माननीय सदस्य सभा में इस प्रकार बातचीत करें कि बोलने वाले सदस्य का भाषण भी सुनाई न दे । यदि कोई माननीय सदस्य बात करना चाहें तो वह लॉबी कक्ष में जा सकते हैं ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : यदि ये मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो कम से कम मुझे बोलने ही में । सदस्यगण हिन्दी पसन्द नहीं करते हैं और उनकी इच्छा है कि मैं हिन्दी में बोलूं । मैं अंग्रेजी जानती हूं किन्तु मैं अंग्रेजी की उपेक्षा हिन्दी में ही बोलूंगी क्योंकि वह हमारी राष्ट्रभाषा है ।

मेरा प्रस्ताव तो श्रीमान् यह है कि प्रान्तों के डिविजन (विभाजन) करके उनकी शासन सत्ता वृहत् स्तरीय कमिश्नर के हाथ में दी जाये जिससे जिला अधिकारी जागरूक होकर अपने कार्य का उचित रूप से संचालन करें । वर्त्तमान समय में तो ये जिलाधीश जो सरकार के विश्वासी प्रतिनिधि (कांशेन्स कीपर्स) समझे जाते हैं अपने जिलों पर निर्विघ्न शासन करते हैं और सरकार उत्तरप्रदेश के लखनऊ जैसे एक कोने में होने से यदि कर्त्तव्यपरायण जिलाधीश न हो तो उसे मनमानी करने का अवसर मिल जाता है। अतः मितव्यय इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार से तो यह उत्तम होगा कि जिलों के समुदाय बना कर उनके लिये वैध प्रतिपादित समिति (स्टेचूटरी स्टेंडिंग कमिटी) क्षेत्र स्तरीय कमिश्नर (आयुक्त) के नीचे रक्खी जाये । इसके लिये आवश्यक्ता पडने पर सरकार को संविधान में भी संशोधन करना चाहिये ।

अब प्रत्येक क्षेत्र को उच्च स्तर पर उठाने का प्रश्न है, उसके लिये जब प्रान्त प्रदेशों के समुदायों में विभक्त होकर क्षेत्र स्तरीय कमिश्नरों (आयुक्तों) के शासन में आ जायेंगे तब वह कमिश्नर इन प्रदेशों के टुकडों को इन की आवश्यक उन्नति के लिए यथोचित मात्रा में धन बांटेगा । मेरे विचार से इस प्रकार के कार्य संचालन से अवश्य लाभ होगा क्योंकि केवल प्रान्त के टुकड़े करने से जनता के असन्तोष का कारण कदापि नहीं हटाया जा सकता ।

आज हमारी सबसे बडी निर्बलता पद-लोलुपता है, जिससे हम केवल इसी बात पर ध्यान दे पाते हैं कि किस प्रकार हमारे वर्त्तमान पद स्थिर रहें और आगे हमें उच्च पद मिलें । राज्य पुनर्गठन कार्य में केवल इसी कारण से हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । यदि हम अपनी यह कमजोरी हटा कर मन में यह दृढ़ व्रत ले पायें कि समूचा भारत हमारा एक प्रान्त है और हमें किसी भी प्रकार उस प्रान्त के कल्याण को अपना ध्येय बनाना है, तभी हमारा भी कल्याण हो सकता है ।

मैं तो इसी में विश्वास करती हूं कि जितने ही कम प्रान्त होंगे उतनी ही हमारी एकता बढ़ेगी और हम एक कुटुम्ब की तरह रह सकेंगे, किन्तु जनता और राज्य शासकों का पारस्परिक सम्बन्ध और सहयोग बनाये रखने के लिये कमिश्नर के लैवल में वैध प्रतिपादित समितियां अर्थात् (स्टेचूटरी स्टैंडिंग कमिटीज) बनाई जानी परम आवश्यक है क्योंकि जो वर्त्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (जिला बोर्ड) हैं हमारे जिलों में, उनके क्षेत्र तथा साधन अपूर्ण हैं और सदैव अपूर्ण

[श्रीमती कमलेन्दुमति शाह]

रहेंगे, न उन्हें, इतने अधिकार ही दिये जा सकते हैं, न उनके पास हैं ही, कि जनता उन्हें विश्वास या महत्व की दृष्टि से देखे । इस सम्बन्ध में भी आवश्यकता पड़ने पर एक बार फिर संविधान का संशोधन करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये । ११ दफा हम अपने संविधान में संशोधन कर चुके हैं और बारहवीं बार आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन करनें में आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

उत्तरप्रदेश का विभाजन मांगने वालों के सामने प्रश्न यह नहीं है कि उत्तरप्रदेश बहुत बड़ा होने से उसका विभाजन हो, अपितु प्रश्न यह है कि राज्य के **शासन** में जो बुराइयां वास्तव में पाई जाती हैं उनको दूर किया जाये । अनुमानतः विभाजन से यह बुराइयां दूर हो भी सकती हैं किन्तु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि यह केवल मात्र कतिपय व्यक्तियों का अनुमान ही है । मुझे केवल इतना ही कहना है कि हमें मेल से रहना है और अपने देश को एक करके जिस तरीके से भी हो उसकी भलाई का ख्याल करना है । राज्य पुनर्गठन आयोग ने सरकार को जो अपनी रिपोर्ट दी है वह मेरे ख्याल से अच्छी है और उसी के मुआफिक हमें चलना चाहिए ।

श्री देवेश्वर सर्मा (गोलाघाट-जोरहाट) माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि पहले बम्बई के वक्ता बोल ले और तत्पश्चात् और सदस्यों को अनुज्ञा दी जायेगी । परन्तु बीच में उत्तर प्रदेश के सदस्य को बोलने की अनुज्ञा दे दी गई है ।

सभापति महोदय : बहुत से सदस्य बोलने के लिए उत्सुक हैं अतः सभापति को स्वविवेक का प्रयोग करना पडता है । उत्तर प्रदेश के सदस्य को बीच में बोलने की अनुमति इसलिए दे दी गई थी क्योंकि वे जाना चाहती थीं और उन्होंने केवल पांच मिनट मांगे थे ।

श्री देवेश्वर सर्मा : आसाम के बारे में क्या है ?

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन् हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें किसी योजना के अनुसार काम करना चाहिए । आसाम में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है जो और स्थानों पर है । अतः इसकी समस्या इतनी बडी नहीं है जितनी कि बम्बई, पंजाब, मध्य भारत या करनाटक की है । विशाल आंध्र में एक भाग दूसरे से पृथक् होना चाहता है । फिर में बंगाल-बिहार आसाम बंगाल, आसान का स्वतन्त्र रूप में और उड़ीसा इत्यादि के सीमा सम्बन्धी विवादों को लूंगा ।

श्री देवेश्वर सर्मा : और श्री चटर्जी का क्या ? उन्हें क्योंकर अवसर दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : आसाम ने इतनी कठिनाई उत्पन्न नहीं की है ? अब मैं मध्य-प्रदेश को लूंगा । मध्य प्रदेश ने चार बड़े राज्यों को निगल लिया है, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, भोपाल और विंध्य प्रदेश । उत्तर प्रदेश और राजस्थान आ जुते हैं । मुझे उत्तर प्रदेश से कोई झगड़ा नहीं है । उत्तर प्रदेश जो कुछ चाहता है वह है "सर्वे जनाः सुखिना भवन्तु" अतः यह इतनी बड़ी समस्या नहीं है । फिर विशालान्ध्र है जहां एक समूह दूसरे समूह का साथ नहीं देना चाहता है । त्रावनकोर में एक वर्ग दूसरे वर्ग से विरत हो रहा है । इसके पश्चात् सीमावर्ती राज्य बंगाल और बिहार, आसाम और बंगाल, आसाम स्वतंत्र रूप में, उड़ीसा आदि हैं । तत्पश्चात् भाग ग राज्य हैं । अब मैं श्री खेडकर को बुलाऊंगा और उनके बाद श्री चेट्टियार भाषण देंगे ।

श्री देवेश्वर सर्मा : कल आपने श्री चटर्जी को भाषण के लिये बुलाया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक दल के नेता का हैसियत में बुलाये गये थे । मुझे इतना

अधिकार है क्या माननीय सदस्य का विचार है कि वह भी श्री चटर्जी की भांति किसी दल के नेता हैं। श्री चटर्जी ने दैवता, सीमावर्ती राज्यों का जिक्र कर दिया।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अब आप बम्बई को ले रहे हैं। हमें कर्नाटक की ओर से बम्बई के सम्बन्ध में कुछ विवाद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कल मैंने श्री निजलिंगप्पा को बुलाया था।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हमारे सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं कर्नाटक को प्रजा-समाजवादी पार्टी तथा अन्य व्यक्तियों में विभाजित कर दूं? जो व्यक्ति सबसे पहले बुलाये गये थे वह प्रजा-समाजवादी पार्टी के नेता थे। "यदि मेरे दल के नेता को अवसर दिया गया है तो मुझे भी क्यों नहीं दिया जाये?" माननीय सदस्य से इस प्रकार की बातें सुनकर मुझे वस्तुतः आश्चर्य होता है।

श्री जी० बी० खेडकर (बुलडाना अकोला): विदर्भ की जनता की मांग मध्य प्रदेश में जो हिन्दी का विभाग है उससे अलग होने की थी। ३० वर्ष से विदर्भ के अन्दर हिन्दी विभाग से अलग होने की कोशिश जारी है। १६३८ में वहां की विधान सभा में भाषा का एक प्रस्ताव पास भी हुआ था। दार कमिशन के सामने जो डेपुटेशन गया था और उस ने जो मेमोरैन्डम पेश किया था, उस में भी विदर्भ को हिन्दी विभाग से अलग करने की मांग की गई थी। एस० आर० सी० कमिशन के सामने भी यह मांग की गई है। विदर्भ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऐसा प्रस्ताव पास किया है कि संयुक्त महाराष्ट्र बम्बई समेत मिलना चाहिये। इतना ही नहीं, वहां के बहुत से एम० एल० एज, बहुत से एम०पीज और बहुत सी लोकल बाडीज के मेमोरैन्डम में भी विदर्भ को हिन्दी विभाग से अलग कर के महाराष्ट्र में मिलाने की मांग की गई थी। मैं एस० आर० सी० रिपोर्ट का स्वागत करता हूं कि उस में मराठी भाषा बोलने वालों को हिन्दी विभाग से अलग किया गया है। लेकिन आठ जिलों का प्रांत बनाने की बात मेरी समझ में नहीं आती। एक ओर तो यू० पी० है जिस में ५२ डिस्ट्रिक्ट्स (जिले) हैं और दूसरी ओर ८ जिलों का एक छोटा सा प्रान्त बनाया जाता है जिस में सिर्फ ७६ लाख की आबादी है। विदर्भ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़रिये से संयुक्त महाराष्ट्र की मांग की गई थी। इतना ही नहीं, लोकल बाडीज ने जो डेपुटेशन्स भेजे थे उन में संयुक्त महाराष्ट्र की मांग की थी। जो लोकल बाडीज जनपद सभा के नाम से वहां पर काम करती हैं उनमें भी संयुक्त महाराष्ट्र के प्रस्ताव बहुत बडी संख्या में पास हुए हैं। इतना ही नहीं बहुत बड़े बहुमत से म्यूनिसिपल कमेटीज में प्रस्ताव पास किये गये थे। फिर भी यह कारण मैं नहीं समझ पाता कि क्यों ऐसा किया गया कि आठ जिलों का प्रान्त बनाया जाय। आठ जिलों का प्रान्त अलग बना कर वहां की जनता की जो संयुक्त महाराष्ट्र में शामिल होने की मांग थी उसको पूरा नहीं किया गया। एस० आर० सी० कमिशन ने आठ जिलों का प्रान्त बनाने के दो कारण बतलाये हैं। उन में से एक कारण तो डेढ़ करोड़ रुपये के सर्प्लस का भी है। एस० आर० सी० रिपोर्ट में कहा गया है :

"भविष्य में यह अतिरिक्त राशि कितनी हो जायेगी यह और तमाम बातों पर निर्भर है, लेकिन जहां तक उसका अन्दाज लगाया जा सकता है, वह डेढ़ करोड़ रुपये तक या शायद इससे कुछ अधिक हो सकती है। विदर्भ की वित्तीय स्थिति के संतोषपूर्ण होने के दृष्टिकोण से, और चूंकि विशाल बम्बई के बिना महाराष्ट्र के राजस्व के सम्बन्ध में काफी हद तक घाटे का क्षेत्र बन जाने की संभावना है, इसी लिये यह क्षेत्र महाराष्ट्र में मिलने से कुछ हिचकता है।"

ऐसी बात इस रिपोर्ट में लिखी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने पिछले साल एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था कि विदर्भ की इन्कम

[श्री जी० बो० खेडकर]

४२ परसेंट है और विदर्भ के ऊपर ४७ परसेंट खर्चा है। ऐसा मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था अभी हाल ही में जो वहां के अर्थ मंत्री हैं उन्होंने इस कमिशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद एक पुस्तिका छापी है जिस में कहा गया है कि विदर्भ का सरपलस ३६ लाख का रहेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि एस० आर० सी० ने जो एक करोड ५० लाख का सरपलस बतलाया है यह फिगर उसने कहां से ली है। जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वह सरपलस नहीं बतलाते हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टिर हैं वह ३६ लाख का सरपलस बताते हैं लेकिन कमिशन एक करोड ५० लाख का सरपलस बताता है। यह जो फिगर बताये गये हैं इनके बारे में पहले तो यह बात दिमाग में ली गई होगी कि यदि ऐसा नहीं बतलाया गया तो ठीक नहीं दिखेगा और प्रान्त तो बनाना ही है। इस वास्ते उन्होंने एक सरपलस प्रान्त बता दिया। कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में जो विदर्भ बनाने का कारण बताया है उसमें एक कारण यह भी है कि :

"यदि विशाल बम्बई को महाराष्ट्र में रखा जाता है, तो वास्तव में स्थिति बिलकुल दूसरी हो जायेगी।"

यह कहा है कि यदि संयुक्त महाराष्ट्र होगा और उसका कैपिटल यदि बम्बई बन गया तो नागपुर का महत्व चला जायेगा। मैं इस हाउस के सामने कहना चहता हूं कि जो कमिशन ने नागपुर का महत्व दिखाया है तो उसने ग्वालियार और इन्दौर का महत्व क्यों नहीं दिखाया है। मैं कहना चाहता हूं कि जनता के वास्ते कैपिटल रहता है, कैपिटल के वास्ते कोई जनता नहीं रहती। इसके साथ ही साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कमिशन के सामने, इस रिपोर्ट को लिखने वक्त नागपुर में जो महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाडा के नेताओं ने जो एक एग्रीमेंट किया था और जिस चीज को उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है, नागपुर के महत्व को किसी भी तरह से कम न किया जायगा। इतनी साफ बात एग्रीमेंट में लिखी हुई होने के बाद अब यह कहा जाना कि यदि एक महाराष्ट्र बन गया तो नागपुर का महत्व कम हो जाएगा, ठीक नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल ही नागपुर के महत्व को कम होने देने के पक्ष में नहीं हूं।

एक और बात भी बड़े अजीब ढंग से लिखी गई है। वह कहते हैं : यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र में मिला देने पर विदर्भ के राजनीतिक जीवन में साम्प्रदायिकता का भी समावेश हो सकता है।

मेरी समझ में नहीं आता कि यह इस तरह से लिख कर कमिशन ने क्या पाया। इस तरह से लिखना महाराष्ट्रीय जनता का अपमान है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि विदर्भ की जनता महाराष्ट्र के साथ जोड़ी गई तो महाराष्ट्र में जो जातिवाद है वह विदर्भ में भी आ जायेगा। इस किस्म का डर कमिशन को दिखाई देता है। मैं साफ तौर से यह कह देना चाहता हूं कि आज महाराष्ट्र में जातिवाद नहीं है, आज विदर्भ में जातिवाद नहीं है। लेकिन अगर कोई पिछड़े हुए लोग ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो उसको जातिवाद कहा जाता है। आज जो पिछड़े हुए लोग हैं जो एजुकेशनली, सोशली या पोलिटिकली ऊपर उठने के ख्वाहिशमन्द हैं और कोशिश करते हैं तो इसको जातिवाद का नाम दे दिया जाता है। आपको तो मालूम ही है कि स्वयं भारत सरकार हरिजन समाज के विद्यार्थियों को कालिज में शिक्षा देना चाहती है, शेड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थियों को स्कूल में शिक्षा देना चाहती है, जो नागा जाति है और जो पिछड़ी हुई है उसको ऊपर उठाना चाहती है, उनके बच्चों को शिक्षित बनाना चाहती है और इन कामों और दूसरे कामों के लिए भारत सरकार डेढ़ करोड रुपया भी

स्कालरशिप इत्यादि के रूप में विद्यार्थियों को दे रही है तो आप ही बताइये कि क्या यह जातिवाद है । यदि कोई ऊपर उठने की कोशिश करता है तो क्या यह हमारे लिये ठीक है कि हम इसको इस ढंग का जातिवाद कहें । मैं तो बड़े अदब से यह कहना चाहता हूं कि यदि महाराष्ट्र में जातिवाद है, तो विदर्भ में भी इस ढंग का जातिवाद जरूर है । मैं तो इसको जातिवाद नहीं मानता हूं ।

ऐसा भी कहा गया है कि:

> ' इस क्षेत्र के भूमि और काश्तकारी कानूनों को भी राज्य के नमूने पर बनाना पड़ेगा ।

यदि हम लोग महाराष्ट्र के साथ गये तो वहां का आज जो टेनेंसी एक्ट है वह अलग है और जो विदर्भ का टेनेंसी एक्ट है वह अलग है । हो सकता है कि जो क्रान्तिकारी कानून आज बम्बई में होंगे वही क्रान्तिकारी कानून विदर्भ के वास्ते लागू करने होंगे । इस किस्म का डर भी इसमें बताया गया है । मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज बम्बई के अन्दर जो रेयतवारी सिस्टम है वही रैयतवारी सिस्टम विदर्भ के अन्दर ४० बर्स से चालू है और आज जो टेनेंसी एक्ट बम्बई में पास हुआ है वैसा ही टेनेंसी एक्ट विदर्भ में भी पास हुआ है । आज यदि आप मध्य प्रदेश में मध्य भारत को शामिल करते हैं तो वहां का टेनेंसी एक्ट क्या अलग नहीं है । आज जब कुछ प्रदेशों को मिलाकर एक प्रान्त आप बनायेंगे तो आपको एक ही कानून भी बनाना होगा । आज विदर्भ के अन्दर या मध्य प्रदेश के अन्दर हम होते हुए भी विदर्भ के वास्ते, उसके चार जिलों के वास्ते एक अलग बरार लेंड रेवेन्यू कोड मध्य प्रदेश सरकार ने पास कर दिया था । लेकिन धीरे धीरे मध्य प्रदेश के अन्दर भी यह स्थिति आई कि इसी बरार लैंड रेवेन्यू कोड के आधार पर एक ऐसा ही कोड वहां बनाया जाये और बनाया गया है जोकि सारे मध्य-प्रदेश में लागू किया गया है । तो यह जो कानूनों के बारे में डर की बात कही गई है यह मेरी समझ में कोई वाजिब नहीं है । यदि आप समाजवादी समाज व्यवस्था करना चाहते हैं तो आपको सब प्रान्तों में एकसे कानून बनाने होंगे और क्रान्तिकारी बनाने होंगे । जो हमारी मांग थी वह यह थी कि सारी मराठी भाषी जनता एक साथ एक प्रान्त में होनी चाहिये जिसको संयुक्त महाराष्ट्र का नाम दिया गया था । इस मांग के होने के बावजूद आज आठ जिलों का एक छोटा सा प्रान्त बना दिया गया है जो फाइनेंशियली सैल्फ सपोर्टिंग नहीं रह सकेगा, यह हम लोग जो वहां रहते हैं, जानते हैं । साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि बम्बई को एक द्विभाषायी प्रान्त बना दिया जाय । स्टेटस रिआर्गनाइजेशन कमिशन ने मराठी भाषा भाषी जनता की मांग को ठुकरा दिया है लेकिन जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसके बारे में कहा है और जो पर्याय निकाला है, मैंने उसका स्वागत किया है । आज मुझे इस बात से भी संतोष है कि मध्य प्रदेश की विधान सभा में जिसकी बैठक अभी हाल ही में ई है इसी आशय का एक प्रस्ताव वहां पर पेश किया गया था जो इस प्रकार है :

> "महाराष्ट्र का एक संयुक्त राज्य बनाया जाये, जिसमें विशाल बम्बई के अलावा बम्बई राज्य के मराठी बोलने वाले क्षेत्रों और हैदराबाद के दो जिलों और मध्य प्रदेश का मराठी बोलने वाला क्षेत्र शामिल हो ।"

यह प्रस्ताव मध्य प्रदेश असेम्बली के सामने रखा गया था और उस पर अलग विचार प्रकट किए गये । मुझे संतोष है कि आखिर में वह प्रस्ताव प्रचंड बहुमत से पास हो गया । प्रस्ताव में कहा गया है :

> "वर्तमान मध्य प्रदेश के मराठी बोलने वाले क्षेत्र को, यानी

[श्री जी० बी० खेडकर]

विदर्भ को नये महाराष्ट्र राज्य में मिलने के लिये कहा जाय और वहां रहने वाले लोगों की भावनाओं का भी पता लगा लिया जाये ।"

जहां तक विशिज आफ दि पीपल का सम्बन्ध है मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश असेम्बली ने बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर के प्रकट कर दिया है कि लोगों की इच्छा क्या है अर्थात् वहां का बहुमत संयुक्त महाराष्ट्र के फेवर में है । और विदर्भ के एम० पीज० भी बहुसंख्या में संयुक्त महाराष्ट्रवादी हैं । ऐसी स्थिति में मेरी यह हर दम प्रार्थना रहेगी कि कोई ऐसी उम्दा व्यवस्था की जाये कि सब मराठी विभागों को एक साथ कर दिया जाय, सब गुजराती विभागों को एक साथ कर दिया जाय और सब तेलगु विभागों को भी एक साथ कर दिया जाये, जिससे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से अच्छा हो सके । वर्किंग कमेटी ने इस बारे में जो पर्याय निकाला है, वह जनता के सामने है । मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ जिलों का जो विदर्भ प्रान्त बनाने का सुझाव रखा गया है, वह किसी भी स्थिति में प्रगति नहीं कर सकेगा । गत कई वर्षों से हम मराठी भाषा बोलने वाले तीन विभागों में विभाजित रहेहैं । आज उन की सन्धि हो रही है—उन विभागों को एक साथ करने का पर्याय लाया गया है । मैं उस का स्वागत करता हूं । इस निमित्त से तीन कोटि लोग एक साथ हो जायेंगे और उनकी उन्नति होगी ।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि विदर्भ संयुक्त महाराष्ट्र में शामिल किया गया और और बम्बई न किया गया, तो महाराष्ट्र नुकसान का प्रान्त रहेगा । बरार के कुछ लोगों ने यह डर प्रकट किया है कि फिर हमारा एक्सप्लायटेशन होगा । मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि भले ही हम भूखे रहें, भले ही महाराष्ट्र त्रुटि का प्रान्त रहे, लेकिन हमारी इच्छा एक साथ काम करने की है—हम आधे पेट रहेंगे, लेकिन हमारी इच्छा एक साथ रहने की है । मैं उम्मीद करता हूं कि मराठी भाषी जनता की यह मांग पूरी होगी ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपर): मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिये मद्रास राज्य के सदस्यों की एक बैठक हुई थी । इस बैठक में ये सिफारिशें की गयी थीं : (१) प्रतिवेदन की यह सिफारिश कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य के दक्षिण ताल्लुकों को मद्रास में मिला दिया जाये मान ली जाये, (२) त्रावनकोर-कोचीन के परीमेद और देवीकुलम ताल्लुका भी, जहां तामिलों का बहुमत है, मद्रास के साथ मिला दिये जायें । (३) मद्रास के बारे में जो अन्य सिफारिशें हैं, उन्हें रहने दिया जाये । देश की एकता और स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिये, उन संरक्षणों को क्रियान्वित करना भी अत्यावश्यक है, जिनका इस प्रतिवेदन में उल्लेख है । यह भावना कि हम अमुक अमुक क्षेत्र के हैं, स्वाभाविक है, किन्तु साथ ही यह भावना भी अवश्य होनी चाहिये कि हम सब एक महान देश के हैं जिस की बहुत सी भाषायें और बहुत से राज्य हैं ।

मद्रास सम्बन्धी सिफारिशों के बारे में केवल देवीकुलम और परीमेद के मामले में झगड़ा है और यह त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लोगों और मद्रास राज्य के प्रतिनिधियों के बीच है । आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि इन दो ताल्लुकों को त्रावनकोर-कोचीन राज्य में रहने दिया जाये, क्योंकि ये त्रावनकोर-कोचीन की अर्थ-व्यवस्था के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं और तामिल जनसंख्या का बहुमत केवल नाममात्र है । यह भी कहा गया है कि इन दो ताल्लकों में जो कि त्रावनकोर-कोचीन का १२ प्रतिशत भाग हैं, जनसंख्या कम है और इन में राज्य के जिस में जनसंख्या

बहुत घनी है अन्य लोग बसाये जा सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आयोग ने जनसंख्या के बारे में आकड़े कहां से लिये हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान मद्रास विधान सभा में शिक्षा और वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण की ओर दिलाता हूं जो कि आयोग के प्रतिवेदन के बारे में उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा है कि प्रतिवेदन में जनसंख्या के बारे में दिये गये आंकड़े बिल्कुल गलत और निराधार हैं और यह सदा तामिल बहुमत का क्षेत्र रहा है। यह १९३१, १९४१ और १९५१ की जनगणना--प्रतिवेदनों से प्रकट होता है। एक तर्क यह दिया गया है कि त्रावनकोर-कोचीन के लोगों के कुछ जल संसाधन इन दो ताल्लुकों में हैं। क्या यह बात इस देश में नई है कि जल संसाधन एक स्थान पर हों और इन से चलने वाली सिंचाई परियोजनायें किसी और स्थान पर हों। यह कोई तर्क नहीं है कि चूंकि उस क्षेत्र में जल संसाधन है, इसलिये वह उस राज्य में जोड़ दिया जाना चाहिये। तीसरा तर्क जो इन ताल्लुकों को त्रावनकोर-कोचीन में रहने देने के लिये दिया गया है, यह है कि यदि इन्हें निकाल दिया जाये, तो उस राज्य की आय कम हो जायेगी। किन्तु जहां तक आर्थिक आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, राज्यों की सहायता करना भारत सरकार का काम है। हम उसे सहायता दिलाने के लिये प्रयत्न करेंगे। किन्तु यह कोई कारण नहीं कि परीमद और देवीकुलम त्रावनकोर-कोचीन राज्य में रहने चाहियें। आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में लोगों की राय मालूम की जाये। ऐसा किया जा चुका है। इन ताल्लुकों में त्रावनकोर-कोचीन राज्य कांग्रेस से एक उम्मेदवार खडा किया गया था, जिसकी, त्रावनकोर-तामिलनाड कांग्रेस द्वारा खड़े किये गये उम्देवार के मुकाबले में जमानत भी जब्त हो गई थी। लोग अपनी इच्छा पहले ही प्रकट कर चुके हैं।

मैं इसके सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के पास सिफारिश देते समय कोई ठीक ठीक तथ्य न थे।

श्री सी० सी० शाह के भाषण के उपरान्त यह तर्क प्रस्तुत किये गये थे कि बम्बई के सम्बन्ध में केवल वे ही सदस्य बोलें जो बम्बई में रह रहे हैं। परन्तु संसद का सदस्य होने के नाते हमें प्रतिवेदन के किसी भी अंश पर अपने विचार प्रकट करने का पूरा अधिकार है। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में देश की सांस्कृतिक एकता पर उचित बल दिया है। इस कार्य में भाषा एक प्रमुख साधन है और इसीलिये एक राष्ट्रीय भाषा की अत्यन्त आवश्यकता है। परन्तु यदि यह राष्ट्रीय भाषा जनता पर बलात लादी जायेगी तथा यदि जनता को उसे अस्वाभाविक ढंग से सीखने के लिये बाध्य किया जायेगा तो उसके अत्यन्त भयानक परिणाम होंगे, अंग्रेजी भाषा को इस देश में फैलने में लगभग १५० वर्ष लगे थे। आज यह सारे देश में फैल गई है। देश की एकता की भावना को फैलाने में देश की स्वतंत्रता कराने में इस भाषा का बड़ा हाथ था। आज हम हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने पर बल दे रहे हैं और अहिन्दी भाषी व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी सीखने के लिये बाध्य कर रहे हैं। इस से तो जनता में व्यर्थ असन्तोष फैलेगा और देश की एकता को धक्का पहुंचेगा। अतः मेरा यह निवेदन है कि हमें इस भाषा की राजभाषा बनाने में इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिये। हो सकता है कि इससे उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में कोई भेद भाव उत्पन्न हो जायें। इससे उत्तरी भारत के हिन्दी जानने वाले व्यक्ति ही सरकारी नौकरियों में प्रमुख स्थान प्राप्त कर सकेंगे और दक्षिण के अहिन्दी भाषा व्यक्तियों को कोई पूछेगा ही नहीं। हम जनता के मन में ऐसे विचार आने ही नहीं देने चाहियें। संविधान के अनुच्छेद ३५१ में यह लिखा हुआ है कि आवश्यकता पड़ने पर हिन्दी के विकास के लिये अन्य भाषाओं से भी शब्द

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

लिये जायें और इसे ऐसा रूप दिया जाये कि सर्व साधारण उसे समझ सकें । अतः इसे सर्वप्रिय और सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय बनाने के लिये यह आवश्यक है कि इसमें तामिल आदि के शब्द भी मिलाये जायें । भारत की राजभाषा ऐसी हो जिसमें सभी भाषाओं के तत्व सम्मिलित हों । भाषाओं का विकास धीरे धीरे होता हैं । हमें इस कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। सांस्कृतिक एकता तभी उत्पन्न होगी जबकि उत्तरी भारत के लोग भी दक्षिण की भाषाओं का अध्ययन करेंगे ।

दक्षिणी भारत के सभी राज्यों ---मैसूर, त्रावनकोर-कोचीन, मद्रास और आंध्र के सभी माध्यमिक स्कूलों में हमने हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य कर दी है ? परन्तु उत्तरी भारत के किसी भी राज्य में किसी भी स्कूल में किसी भी दक्षिण भारतीय भाषा की शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया गया है । उत्तरी भारत के लोग भी दक्षिण भारत की भाषाओं की शिक्षा ग्रहण करें, तभी भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित की जा सकेगी ।

राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा आंध्र के बारे में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहता हूं कि तेलंगाना राज्य आंध्र से अलग नहीं होना चाहिये । दोनों को मिलाकर एक विशाल आन्ध्र की स्थापना की जाये । उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में मैं श्री पाणिकर के इस कथन से सहमत हूं कि यह इतना विस्तृत राज्य है कि इसका प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है । वहां की आर्थिक स्थिति भी संतोषजनक नहीं है । और फिर वहां साक्षरता की दृष्टि से भी निराश होना पड़ता है । वहां की साक्षरता का प्रतिशतक अन्य किसी भी क भाग के राज्य की अपेक्षा कम है । अतः मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में श्री पाणिकर के विचार को स्वीकार कर लेना आवश्यक है ।

बम्बई राष्ट्रीय महत्व का नगर है । अतः बम्बई की समस्या पर सभा को अच्छी प्रकार से विचार करना चाहिये । बम्बई के बारे में श्री गाडगील ने बहुत सुन्दर भाषण दिया है परन्तु अन्त में उन्होंने जो भय दिखा कर बम्बई नगर को महाराष्ट्र के साथ मिलाने पर बल दिया है, मैं उन से सहमत नहीं हूं । बम्बई के सम्बन्ध में दावा करने का यह ढंग नहीं है । वह तो एक ऐसा नगर है जिसे सकल-भाषा भाषी इकाई कदापि नहीं कहा जा सकता ।

अतः यदि वहां के लोग आयोग द्वारा दिये गये हल से सहमत न होंगे तो उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के इस विचार को स्वीकार करना ही होगा कि बम्बई को एक पृथक राज्य बना दिया जाये। और मैं भी कार्यकारिणी समिति के इस विचार का समर्थन करता हूं, क्योंकि देश के हित को दृष्टि में रखते हुए यही सर्वोत्तम उपाय है । इस से सभी अल्प संख्यकों के हितों का रक्षण होगा । अतः मैं इस विचार का समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा गैर-सरकारी विधेयकों पर विचार करना प्रारम्भ करेगी । परन्तु उससे पूर्व मैं एक मिथ्या भ्रांति को दूर कराना चाहता हूं । अपने भाषण के दौरान में जब श्री गाडगील ने अपने तर्क के समर्थन में मद्रास नगर का उल्लेख किया था, उस समय मैं ने बीच में जो बात कही थी वह केवल सभा में उत्पन्न हुए तनाव को दूर करने के लिये कही थी । उससे किसी भी सदस्य के मन में किसी भी प्रकार की मिथ्या भ्रांति नहीं होनी चाहिये । वह तो मैंने व्यक्तिगत रूप में कही थी ।

गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

बयालीसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है जो कि १५ दिसम्बर १९५५ को सभा में उपस्थित किया गया था ।"

इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि इस सभा में श्री के० के० बसु के विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति न दी जाये । श्री बसु इस विधेयक के द्वारा संविधान के अनुच्छेद २२ को संशोधित करना चाहते हैं जिसके दायित्व स्वरूप निवारक निरोध की साधारण विधि समाप्त हो जायेगी । इसके द्वारा यह अनुच्छेद २२ के खंड (४), (५), (६) तथा (७) को निकाल देना चाहते हैं । इसका परिणाम यह होगा कि यदि कोई व्यक्ति कार्यपालिका के आदेश द्वारा इस आधार पर नजर बन्द किया जाये कि वह शत्रु का अभिकर्ता है तो उसे अनुच्छेद २२ के खण्ड ४, ५, ६ और ७ का संरक्षण नहीं मिल सकेगा । उसकी स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया जायेगा । इसीलिये हम नहीं चाहते कि यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाये ।

दूसरी बात यह है कि निवारक निरोध अधिनियम पर इसी सत्र में चर्चा होनी थी । अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के आधिक्य के कारण यह निर्णय किया गया है कि इस पर चर्चा आगामी सत्र में की जाये । अतः निवारक निरोध अधिनियम से सम्बन्ध रखने वाले सभी परिवर्तनों तथा संशोधनों पर उसी समय विचार किया जाना उचित होगा । अतः इस संशोधन पर उसी समय विचार किया जाये ।

श्री बसु एक अन्य संशोधन भी पुरःस्थापित करना चाहते हैं जिसके द्वारा वह संविधान के अनुच्छेद ३७ को वादयोग्य बनाना चाहते हैं । निदेशक तत्त्व तो वास्तव में नीति बनाने के लिये हैं जिनके आधार पर देश का प्रशासन चलाया जाये । निदेशक तत्त्वों का सम्बन्ध विधान मंडल से है न कि कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका से । परन्तु इस संशोधन के द्वारा नीति के तत्त्वों को विधान मंडल के सम्मुख न रख कर न्यायालयों के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा । इस के सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि यह अधिकार विधान मण्डल के हाथ में होना चाहिये न कि न्यायालयों के हाथ में । यदि हमने इन विषयों को वादयोग्य बना दिया तो सरकार की प्रशासनीय नीतियों में बड़ी अव्यवस्था सी छा जायेगी । हर कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों को चुनौती देता रहेगा । इसीलिये समिति ने यह अनुभव किया है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करना उचित नहीं है, और इसीलिये सुझाव दिया है कि श्री बसु को इस संशोधक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

कुछ एक विधेयकों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में समिति ने यह सिफारिश दी है कि श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर सम्बन्धी विधेयक को 'ख' वर्ग से 'क' वर्ग में रख दिया जाये ।

अतः मेरा सुझाव है कि सभा में उपस्थापित किये गये इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बयालीसवें

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रतिवेदन से सहमत है जो १५ दिसम्बर, १९५५ को सभा में उपस्थापित किया गया था ।"

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय ।

"इस रूपभेद के अधीन रहते हुए कि प्रतिवेदन उक्त समिति को इस अनुदेश के साथ वापिस भेज दिया जाये कि वह श्री कमल कुमार बसु के संविधान (संशोधन) विधेयक के बारे में अपनी सिफारिश पर फिर विचार करें ।"

समिति ने बयालीसवें प्रतिवेदन की कण्डिका ४ में लिखा है कि उन्होंने अपने पहले प्रतिवेदन की कण्डिका ६ के अनुसार श्री के० के० बसु के विधेयक की जांच की है तथा इसी आधार पर उनकी सिफारिश है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित नहीं करने दिया जाना चाहिये । प्रथम प्रतिवेदन की कण्डिका ६ में लिखा है कि यदि किसी गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक में लोकहित तथा महत्वपूर्ण बातें हो तो उसको पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है जिससे जनता की सम्मति जानी जा सके और सभा में उस पर अग्रेतर विचार किया जा सके । इसी आधार पर हम इस प्रकार के विधेयक को पुरःस्थापित कर सकते हैं ।

निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा देश में पर्याप्त संघर्ष हुआ और इसी कारण यह मामला लोकहित का है । इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के कुछ उपबन्ध, संविधान के सिद्धांतों के सम्बन्ध में हैं । पहले भी श्री के० सी० सोधिया ने संविधान के कुछ निदेशक तत्वों के प्रवर्तन के लिये विधेयक प्रस्तुत किया था परन्तु उसकी पुरःस्थापना की भी अनुमति नहीं दी गई थी । इसीलिये हमारा मत है कि इस संशोधक विधेयक के उपबन्ध प्रथम प्रतिवेदन की कण्डिका ६ के प्रतिकूल नहीं है ।

कण्डिका ६ में यह भी कहा गया है कि संविधान के प्रवर्तन का उचित मूल्यांकन कुछ समय पश्चात् ही होना चाहिये ताकि अनुभव के आधार पर आवश्यक संशोधनों का सुझाव दिया जा सके । अब हम देखते हैं कि सरकार ने कुछ वर्ष में ही संविधान के कई संशोधन प्रस्तुत किये हैं जिससे ज्ञात होता है कि संविधान के संशोधन की आवश्यकता हुई । परन्तु यदि गैर-सरकारी सदस्य संशोधन प्रस्तुत करता है तो उसको अनुमति नहीं दी जाती है ।

जिस विधेयक के सम्बन्ध में श्री आलतेकर ने कहा, हम चाहते हैं कि सभा में उस पर विचार किया जाये । इस सम्बन्ध में वित्त का प्रश्न उठाया गया । परन्तु श्री डी० सी० शर्मा के संकल्प में भी वित्त का प्रश्न था क्योंकि वह वेतन आयोग नियुक्त करना चाहते थे । परन्तु उस संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई तथा उस पर चर्चा की गई ।

ऐसी दशा में हम समझते हैं कि किसी गैर-सरकारी सदस्य को इस प्रकार के किसी विधेयक के पुरःस्थापित करने की अनुमति न देने का अर्थ उसके अधिकारों पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाना है। परन्तु फिर भी श्री के० के० बसु के विधेयक के उपबन्धों के महत्व के कारण हमारा विचार है कि इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ :

कि प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"इस रूपभेद के अधीन रहते हुए कि प्रतिवेदन उक्त समिति को इस अनुदेश के साथ वापिस भेज दिया

जाये कि वह श्री कमल कुमार बसु के संविधान (संशोधन) विधेयक के बारे में अपनी सिफारिश पर फिर विचार करें।"

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : श्री आल्तेकर ने विधेयक की अस्वीकृति के दो अथवा तीन कारण बताये हैं। सब से पहला कारण यह है कि इसके द्वारा शत्रुओं या शत्रुओं के साथियों के साथ सहकारिता के आधार पर नजरबन्द नागरिकों को मिलाने वाले सब परिणाम समाप्त हो जाते हैं। मेरे विचार से यह कारण उचित नहीं है। अनुच्छेद २२ का संशोधन करने वाले खंड में दो उप-खंड हैं। एक के द्वारा उस अनुच्छेद के खण्ड ३ के संशोधन की अपेक्षा है तथा दूसरे उप-खंड में खंड ४ तथा ७ के हटाये जाने की अपेक्षा है। ऐसा हम विधेयक पर विचार करते समय एक संशोधन प्रस्तुत कर के भी कर सकते हैं।

मेर मित्र ने दूसरा कारण यह बताया कि हमें निवारक निरोध अधिनियम का पुनरावलोकन करना होगा। परन्तु पुनरावलोकन का क्या परिणाम होगा। उससे अनुच्छेद २२ का संशोधन तो हो नहीं सकता है। ज्यादा से ज्यादा अधिनियम का निरसन हो सकता है। परन्तु हम इस विधेयक से संविधान के उस उपबन्ध का निरसन चाहते हैं जिसके द्वारा सरकार को बहुत अधिकार मिले हुए हैं।

अनुच्छेद ३७ के संशोधन के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि संविधान के भाग ४ के उपबन्ध न्यायपूर्ण नहीं हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में भी मेरा यही कथन है कि हम इसके लिये भी संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं और उपयुक्त अधिकारों की व्यवस्था कर सकते हैं।

अनुच्छेद ३९ को ले लीजिये। इस अनुच्छेद के अधीन जीवन यापन के पर्याप्त साधन का अधिकार है। इसी प्रकार समान कार्य के लिये समान वेतन का अधिकार है। इन अधिकारों को हमें नागरिकों को देना चाहिये। इसीलिये मेरा मत है कि हमें विधेयक के लाभ आदि पर इस समय विचार नहीं करना चाहिये। केवल लोक मत को जानना ही महत्वपूर्ण है और लोक मत निवारक निरोध खण्ड के बहिष्कार के पक्ष में है। इसलिये प्रथम प्रतिवेदन की कण्डिका ६ (४) के अधीन इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति मिलनी चाहिये। इसलिये मैं श्री एन० बी० चौधरी के संशोधन का समर्थन करता हूं तथा सिफारिश करता हूं कि यह प्रतिवेदन पुनर्विचार के लिये समिति को वापस भेज दिया जाये।

श्री कामत (होशंगाबाद) : संविधान के अनुच्छेद २२ से भारतीय नागरिक को बिना मुकदमा चलाये, नजरबन्द किया जा सकता है। मेरे मित्र श्री आल्तेकर द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क सराहनीय हैं कि विधेयक का प्रारूप ठीक नहीं बनाया गया। सभा को मालूम है कि सरकारी बैंचों के एक सदस्य ने दो विधेयकों जिसमें लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक भी थे को पुरःस्थापित करके वापस ले लिया गया तथा पुनः पुरः-स्थापित किया गया तब मेरे विचार से यदि गैर सरकारी सदस्य को भी यह अधिकार प्राप्त हो जाये तो क्या हानि है। मेरा सुझाव है कि श्री के० के० बसु को विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये तत्पश्चात् वह इसको वापिस ले लें और अगले सत्र में ठीक कर के पुनः पुरःस्थापित करें।

श्री आल्तेकर ने निवारक निरोध अधिनियम की चर्चा की। जहां तक मैं समझता हूं, कार्य मंत्रणा समिति ने इसको ३ अथवा ५ घंटे दिये थे। यह समय बहुत कम था इसलिये प्रतिवेदन की कण्डिका ८ में बताया गया कारण उचित नहीं है। इसीलिये मेरा सुझाव है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये तत्पश्चात् माननीय सदस्य उसे वापस ले कर ठीक कर के अगले सत्र में पुरःस्थापित करें।

विधिकार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) : इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है। जैसा कि हम सब को ज्ञात है, एक नियुक्त की गई समिति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करती है। इस समिति ने पर्याप्त विचार करने के पश्चात् यह कहा कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति न दी जाये।

मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र श्री कामत ने यह किस प्रकार कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन करने वाला विधेयक, पुरःस्थापित किया गया तथा वापस लिया गया। यदि उन्हें विधेयक के इतिहास का ज्ञान होता तो संभवतयः वह यह आरोप नहीं लगाते। मेरी उनसे प्रार्थना है कि कृपया वह सम्पूर्ण कार्यवाही देखें कि किन परिस्थितियों में विधेयक वापस लिया गया था तथा आरोप को न दोहरायें कि सरकार व्यर्थ में विधेयकों को पुरःस्थापित करती है तथा वापस ले लेती है।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, सरकार को अधिकार होगा कि जब पुरःस्थापना का प्रश्न आये तो वह जो कुछ कहना चाहती है, विस्तार से कह सके। परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से समय बचाने के लिये, सरकार को पहले ही समय मिल गया है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, गैर-सरकारी सदस्यों को सीमित समय दिया जाता है। जिन सिद्धान्तों के अनुसार यह समिति समय का बंटवारा करती है, मेरे विचार से उसी आधार पर समिति ने यह सिफारिश की है कि इस विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति न दी जाये। जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का सम्बन्ध है, यदि उनमें संविधान के संशोधन के सम्बन्ध में विवादास्पद मामले प्रस्तुत नहीं किये जायें तो अधिक अच्छा होगा। यह बात नहीं है कि उनको इसका अधिकार नहीं है। उदाहरण के तौर पर, जहां तक विधेयक के उत्तरार्ध का सम्बन्ध है, मेरा यह निवेदन है कि सभा द्वारा पारित एक विधेयक के उपबन्धों द्वारा यह पूर्ण हो जाता है। इस समय हम अन्य कई मामलों के कारण विधेयक के उपबन्धों पर विचार नहीं कर सकते हैं। परन्तु समय पर इस पर विचार होगा। इसलिये इस समय उस विषय को किसी विधेयक को पुरःस्थापित करना उचित नहीं है।

दूसरा प्रश्न अनुच्छेद ३७ के सम्बन्ध में है। मेरे मित्र श्री कामत संविधान सभा के सदस्य थे तथा वह जानते हैं कि निदेशक-तत्व, मूल अधिकारों से भिन्न हैं। मेरे विचार से निदेशक-तत्व के सम्बन्ध में न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि यह नीति ही है। यदि हम एक बार, नीति को वाद योग्य बनाने की घोषणा करते हैं तो हम इस संसद् के समस्त अधिकारों को न्याया-लय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरा विचार है कि यह संविधान के आधार से भिन्न है और इस सभा के हितों के विरुद्ध है। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये नियत समय को ध्यान में रखते हुए, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि समिति ने इस सम्बन्ध में साव-धानी से विचार किया है तथा मेरा विचार है कि सदस्यों के विचार चाहे कुछ भी हों, सभा को यह प्रतिवेदन स्वीकार ही कर लेना चाहिये।

श्री आल्तेकर: इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन करने की अपेक्षा वाले किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति देने से पहले समिति उसकी आवश्यकता पर विचार करती है। मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि निवारक निरोध अधिनियम पर सभा में चर्चा होगी, इसलिये इन सब बातों पर, चर्चा करने का अवसर तब मिल जायेगा। श्री कामत ने बतलाया कि उस विधेयक के लिये केवल ४ अथवा ५ घंटे नियत किये गये हैं। परन्तु

वह यह भूल गये कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक को अधिकतम ४ घंटे दिये जा सकते हैं। इसलिये मेरा विचार है कि संविधान में संशोधन का प्रश्न अभी अपरिपक्व है।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन है ;

"कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का बयालीसवां प्रतिवेदन उक्त समिति को इस अनुदेश के साथ वापिस भेज दिया जाये कि वह श्री कमल कुमार बसु के संविधान (संशोधन) विधेयक के बारे में अपनी सिफारिश पर फिर विचार करे।"

मुख्य प्रश्न यह है कि केवल संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक होने के आधार पर ही समिति विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। समिति ने कदाचित इस बात पर अधिक जोर दिया कि मामले पर अगले सत्र में चर्चा होगी। और सभा निवारक निरोध की समस्त नीति को ही परिवर्तित कर सकती हैं।

इस विधेयक के तीन भाग हैं। प्रथम भाग का अभिप्राय यह है कि विदेशी शत्रु आदि के अधिकर्ताओं से भिन्न व्यक्तियों के सम्बन्ध में निवारक निरोध समाप्त कर दिया जाये। अन्य लोगों के सम्बन्ध में संशोधन का उद्देश्य यह है कि संविधान से इसके अधिकार बिल्कुल ही ले लिये जायें।

दूसरे भाग का अभिप्राय यह है कि निवारक निरोध एकदम हटा दिया जाये क्योंकि अब परिस्थितियों उस प्रकार की नहीं हैं तथा आवश्यकता होने पर हम निवारक निरोध विधेयक पारित कर सकते हैं। इसमें थोड़ा भेद है। यदि हम निवारक निरोध को परिस्थितियों वश ही रखना चाहते हैं तो उसके लिये संविधान के संशोधन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह तो केवल सरकार को सुझाव के द्वारा ही हो सकता है। परिवर्तित परिस्थितियों के सम्बन्ध में पर्याप्त चर्चा की जायेगी यदि सभा यह निर्णय करती है कि अधिनियम की आवश्यकता नहीं है तो वह इसका निरसन कर सकती है। परन्तु यह विधेयक तो संविधान में से ही इस उपबन्ध को हटा देना चाहता है।

जहां तक तीसरे भाग का सम्बन्ध है समिति का विचार था कि यह स्थगित किया जा सकता है। विधि कार्य मंत्री भी इस से सहमत हैं कि पुनः विचार किये जाने के लिये यह समिति को वापस भेजा जा सकता है।

अब मैं संशोधन मतदान के लिये रखूंगा माननीय मंत्री तैयार है।

श्री पाटस्कर : इस समय इस मामले का सम्बन्ध पूर्णतः सभा और समिति से है। सरकार के रूप में हमारा सम्बन्ध तो केवल उस समय होगा जब कि प्रश्न प्रस्तुत किया जायेगा। सभा के सदस्यों के रूप में हमें भी कुछ अधिकार प्राप्त है; परन्तु हम कहते हैं कि यदि यह समिति को वापस चला जाता है तो हमें इसमें कोई आपति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : कि प्रस्ताव में निम्न जोड़ा जाय :

"इस रुपभेद के अधीन रहते हुये कि प्रतिदिन उक्त समिति को इस अनुदेश के साथ वापिस भेज दिया जाय कि वह श्री कमल कुमार बसु के सविधान (संशोधन) विधेयक के बारे में अपनी सिफारिश पर फिर विचार करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस रुपभेद के अधीन रहते हुये कि प्रतिवेदन उक्त समिति को उस अनुदेश के साथ वापिस भेज दिया जाय कि वह श्री कमल कुमार बसु के संविधान (संशोधन) विधेयक के बारे में अपनी सिफारिश पर फिर विचार करें, यह सभा गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है, जो १५ दिसम्बर १९५५ को सभा में उपस्थापित किया गया था।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मध्यस्थ-निर्णय (संशोधन) विधेयक

(धारा २ और ३९ आदि का संशोधन)

श्री काज़मी (ज़िला सुलतानपुर –उत्तर व ज़िला फैज़ाबाद–दक्षिण-पश्चिम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यस्थ–निर्णय अधिनियम, १९४० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करन की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

श्री काज़मी : मैं विधेयक को पुर स्थापित करता हूं ।

बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक

(नवीन धारा २ क का रखा जाना)

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् (गुण्टूर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाल विवाह रोक अधिनियम १९२९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक

(धारा २८ का संशोधन)

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् (गुण्टूर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान क लिए रखा और स्वीकृत हुआ ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

बीमा (संशोधन) विधेयक

(नवीन धारा ४४४ का रखा जाना)

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् (गुण्टूर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीमा अधिनियम, १९३८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

कर्मकर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक

(नई धारा ३ क का निवेश)

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे "कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, १९२३ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये । श्री आबिद अली अपना भाषण जारी कर सकते हैं ।"

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिन जब इस बिल (विधेयक) पर चर्चा हो रही थी तो मैं यह कह रहा था कि इस किस्म के बिलों में अमेंडमेंट (संशोधन) आने में बहुत समय

लगता है और मैं यह बता रहा था कि किस तरह कई साल बीत जाते हैं। अमेंडमेंट्स का एक मस्विदा करने के बाद स्टेट्स गवर्नमेंट्स (राज्य सरकारों) की सलाह लेनी पड़ती है और उसके बाद त्रिदलीय विचार विमर्श होते हैं। वर्कर्स एंड एम्पलायर्स आरगेनाइजेन्स (मजदूर और मालिक संघ) इन सब से सूचनायें लेनी पड़ती हैं। इतना काम इसके सम्बन्ध में हो गया है। लेकिन उस दिन मेम्बर महोदय ने यह कहा था कि उनका बिल आने के बाद हमने यह कार्यवाही शुरू की है, तो मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि उनका ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है क्योंकि सन् १९५५ के मार्च के महीने में...

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : माननीय मंत्री का हिन्दी में उत्तर हमारी समझ में नहीं आता है। क्या वह अंग्रेजी में बोलने की कृपा करेंगे ताकि हम समझ सकें?

श्री आबिद अली : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस दिन माननीय सदस्यों ने विधेयक पर बोलते हुये कहा था कि सरकार ने संशोधन बनाये और उन्हें विधेयक पुरः स्थापित करने के बाद संबद्ध संघों में परिचालित किया। इसके बारे में मैं कह रहा था कि यह कहना ठीक नहीं है? यह संशोधन विधेयक पिछले दिनों ही सामने आया था जब कि हम इस विषय पर मार्च १९५३ से विचार कर रहे हैं। हमने अपने सुझाव मजदूर और मालिकों के संघों तथा राज्य सरकारों को भेजे थे। उनके विचार प्राप्त किये गये थे और फिर नवम्बर १९५४ में इस मामले पर श्रम मंत्री सम्मेलन में विचार किया गया था, और तब से विधेयक का मस्विदा तैयार हो रहा था।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : एक साल से।

श्री आबिद अली : मार्च १९५३ से, और अब भी मुझे संदेह है कि हम कुछ महीनों तक प्रस्तावित संशोधन विधेयक संसद् के सामने न रख सकें। कदाचित आगामी सत्र में भी न रख सकें। हो सकता है कि यह अगस्त में होने वाले सत्र में रखा जाये। कभी, मजदूरों के मुख्य संघ भी उन सुझावों पर अपने विचार न दे सके हैं जो हमने उन्हें भेजे हैं। बिलम्ब के बारे में हमारे ऊपर दोशारोपण करना उचित नहीं है। इस सभा में हम सदैव माननीय सदस्यों को यह कहते हुये सुनते हैं कि जब भी हम ऐसे सुझाव बनायें, वे कर्मचारियों के संघों को भी भेजे जायें और उनके विचार मांगे जाऐं। परन्तु वे उत्तर देने की अविधि बढ़ाने की प्रार्थना करते रहते हैं और हमें वह स्वीकार करनी पड़ती है।

श्री टी० बी० बिटठल राव (खम्भम) : कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के बारे में जारी की गई प्रश्नावली का उत्तर किस मजदूर संघ ने नहीं दिया है?

श्री आबिद अली : यदि माननीय सदस्य यह जानने के इच्छुक हैं कि उनके संघ ने उत्तर दिया है या नहीं, तो मेरा उत्तर है कि दे दिया है।

कभी, अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस ऐसे पूछताछ की अधिक परवाह नहीं करती। दुर्घटनाओं के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि उनमें वृद्धि हो रही है। हमारे प्रतिवेदनों के अनुसार घातक दुर्घटनाओं के आंकड़े १९३९ में .१३ थे, जो १९४३ में १५ हो गये और १९४७ में फिर .९ रह गये, तथा हमारे अन्तिम प्रतिवेदन में, जो १९५३ के लिये था, यह आंकड़े .१० थे। अतः यह आंकड़े १९३९ में .१३ से १९५३ में .१० हो गये हैं। खानों में भी, दुर्घटनाओं में कमी हो रही है। हमारे आंकड़ों से प्रकट होता है कि १९५२ में ३६१ दुर्घटनायें हुई थीं जब कि इनकी संख्या १९५४ में २८६ थी।

श्री टी० बी० विट्ठलराव : मैंने कहा था कि प्रति १००० मज़दूर की दर में बृद्धि हो गई है ।

श्री आबिद अली : मैंने पहिले जो आंकड़े बताये थे वे १,००० मजदूरों के बारे में हैं । जहां तक अन्य दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है, उनमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है । परन्तु कारण यह है कि निरीक्षण उत्तम है और मज़दूर अधिक सावधान हैं । पहिले बहुत सी दुर्घटनाओं की सूचना ही नहीं दी जाती थी परन्तु अब सूचना देने का कार्य अच्छा है । फिर काम देने के बारे में, काफ़ी काम हो चुका है । जो मज़दूर अपंग हो जाते हैं या अन्यथा काम करने के योग्य नहीं रहते उनके लिये हमने कोयला-खान कल्याण योजना के अधीन एक प्रोग्राम बनाया है, और हमें आशा है कि इस से मजदूरों को बहुत लाभ होगा ।

जहां तक इस विशिष्ट संशोधन का सम्बन्ध है, मैं इसे स्वीकार न कर सकूंगा क्योंकि स्वयं माननीय सदस्यों को विदित है और जैसा कि मैं यहां बता रहा हूं, हमने अनेकों संशोधनों के प्रस्ताव रखे हैं । विचाराधीन अधिनियम में लगभग ३५ धारायें और चार अनुसूचियां हैं, जिनमें से हम लगभग २२ धाराओं और सारी अनुसूचियों में संशोधन कर रहे हैं । इस संशोधन विधेयक में हमने साठ से अधिक संशोधनों के प्रस्ताव रखे हैं । विचाराधीन विधेयक में जो बातें कही गई हैं साधारणतया वे भी मजदूरों के हित में और अधिक उदार ढंग से सम्मिलित की जायेंगी ।

मैं जानता हूं कि मजदूरों को प्रतिकर का भुगतान होने में काफ़ी विलम्ब हो गया है और मैं यह भी जानता हूं कि इसके कारण मज़दूरों को कितनी कठिनाई होती है । संशोधन विधेयक में हमने विलम्ब से होने वाले भुगतानों पर ब्याज का ही उपबन्ध नहीं किया है अपितु ऐसे मामलों में जानबूझ कर की गई देरी के लिये भी मजदूर को प्रतिकर दिया जायेगा । अतः, यह संशोधन स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

जहां सात दिन की कालावधि का सम्बन्ध है, इसमें काफ़ी कमी कर दी जायेगी और जो मज़दूर निर्धारित अवधि से अधिक समय तक बेकार रहेंगे, उन्हें सारे काल के लिये प्रतिकर का अधिकार होगा ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : यदि प्रस्तावित संशोधन विधेयक इस विधेयक की अपेक्षा अधिक उदार है, तो इसे अभी स्वीकार क्यों नहीं करते ?

श्री आबिद अली : हम जिस संशोधन का प्रस्ताव रख रहे हैं वह अधिक व्यापक होगा ; उसमें साठ संशोधन होंगे और वे बीस से अधिक खंडों तथा चार अनुसूचियों में संशोधन करेंगे । अतः अब इस संशोधन को स्वीकार करना अनुचित होगा ।

जीविका विशेष के कारण उत्पन्न रोगों के बारे में संशोधन प्रस्तुत करने होंगे । हमने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है क्योंकि उस अनुसूची में कुछ बातों को जोड़ना आवश्यक है । हम विशेषज्ञों के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

अतः मैं इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता को—वह यहां उपस्थित नहीं हैं और मैं नहीं जानता कि क्या परिस्थिति है—यदि यहां इस प्रयोजन के लिये उन्होंने किसी अन्य सदस्य को अधिकार दिया है, तो उनको यह सुझाव देता हूं कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें । यदि यह विधेयक वापिस ले लिया जाता है, तो मैं इसके लिये अनुगृहीत हूंगा । यदि वह इसे वापिस न ले सकें, तो मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि मैंने जो उत्तर दिया है उसको और इस आश्वासन को ध्यान में

रखते हुये कि सरकार एक संशोधन विधेयक पुरःस्थापित करेगी, यह विधेयक अस्वीकृत कर दिया जाय। यह पहिले ही परिचालित किया जा चुका है और विरोधी सदस्यों को, जिनका सम्बन्ध मजदूर संघों से है, इसका पूर्ण ज्ञान होगा।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक

(धारा २ आदि का संशोधन)

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक): इस सभा में औपचारिक ढंग से प्रस्ताव पेश करने के पूर्व मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे इस विधेयक के रखे जाने के बारे में कुछ कहने की अनुमति दें। यह विधेयक १९४८ में पेश किया गया था पर उस समय कुछ वैधानिक कठिनाइयां थीं अतः मुझे अपना विधेयक वापस लेना पड़ा था। अब मैंने उसे नये रूप में पेश किया है।

विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर): मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस विधेयक को कार्यसूची में परिचालन प्रस्ताव के रूप में रखा गया है। आप को विदित है कि यही विधेयक कुछ समय पूर्व पुरःस्थापित किया गया था और उस पर चर्चा की गयी थी। उस समय, सरकार की ओर से मैंने भी कहा था कि इस विधेयक के खण्ड २ में प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में सरकार को शायद कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः यदि माननीय सदस्य इस बात के लिये राजी हैं कि वह विधेयक पर विचार करने के लिये प्रस्ताव करें तो यह ज्यादा अच्छा होगा। मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। पर खण्ड ३ को निकाल दिया जाये। खण्ड २ से वह प्रयोजन पूरा हो जायेगा जिसके लिये विधेयक को पेश किया जा रहा है।

सभापति महोदय: क्या माननीय सदस्य को माननीय मंत्री का सुझाव स्वीकार ?

श्री एस० सी० सामन्त: मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं।

सभापति महोदय: इसका अर्थ यह है कि विधेयक का खण्ड ३ निकाला जाता है शेष विधेयक वैसे ही रहेगा।

श्री पाटस्कर: और खण्ड २ में से भी "इसके बाद मुख्य अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट" निकाल दिया जाय क्योंकि वह आवश्यक नहीं है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर): मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री पाटस्कर: पहले उन्हें प्रस्ताव पेश कर लेने दीजिये।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री द्वारा सुझाये गये संशोधन के साथ विधेयक को विचार करने के लिये पेश किया जाय।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि भारतीय पंजीयन अधिनियम, १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

मुझे प्रसन्नता है कि गत सत्र में माननीय मंत्री ने जो आश्वासन दिया था उसके अनुसार उन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में राज्यों की राय जान ली है और सरकार इस विधेयक का विरोध नहीं करती। अतः मैं इस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव कर रहा हूं।

मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि पिछली बार मैं अपने विचार इस सम्बन्ध में प्रकट कर चुका हूं। जाति प्रथा ने ऐसा स्वरूप धारण कर लिया है कि उसकी निन्दा महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानन्द ने की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक हम इस पाप से छुटकारा नहीं पा लेते हमारा भविष्य कभी उज्ज्वल नहीं हो सकता। पंजीयन अधिनियम में यह कहा गया है

[त्री एम० सी० सामन्त]

कि पंजीयन के अधिलेख में जब तक सम्बन्धित व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं होगा उसका भारत में पंजीयन नहीं होगा। क्या इसे ऐसा रहना चाहिये? हमें इसे दूर करना है और छुआछूत हटानी है।

मेरी बात बिल्कुल सीधी सादी है। और मैं निवेदन करता हूं कि सभा को शीघ्र ही यह विधेयक स्वीकार कर लेना चाहिये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विधेयक का खण्ड ३ हटा दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : यदि खण्ड ३ को निकाल दिया जायेगा तो विधेयक में क्या प्रभाव शेष रह जायेगा?

सभापति महोदय : प्रभाव यह होगा कि जाति के नाम का उल्लेख नहीं किया जायेगा।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। देश के कुछ भागों में जब तक जाति का नाम नहीं दिया जायेगा ऐसे दो व्यक्तियों में जिनके नाम, गांव और पेशे भी एक ही होंगे अन्तर कैसे किया जायेगा।

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर) : बाप का नाम लिखा जायेगा।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : पर यदि एक बाप के दो बेटों का एक ही नाम हो तो? अतः अधिनियम में जो व्यवस्था इस समय है उसे रहने दिया जाना चाहिये। जब तक सरकार यह तय न करले कि वह कानून बनाकर जाति प्रथा को हटायेगी तब तक ऐसा संशोधन करना उचित नहीं है। इस को कार्यान्वित करने में बहुत सी व्यवाहरिक व प्रशासकीय कठिनाइयां आयेंगी।

अतः मैं समझता हूं कि इस अवस्था में इस सभा में यह विधेयक पारित करना उचित न होगा।

श्री एन० बी० चौधरी (धाटल) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक द्वारा यह मांग की गयी है कि जाति का नाम न लिखा जाय। श्री रामचन्द्र रेड्डी ने जो तर्क उपस्थित किये हैं वे महत्वहीन हैं। जाति प्रथा से हमारे समाज को बहुत हानि हो रही है अतः हमें चाहिये कि हम इसे शीघ्र ही दूर करें। विधेयक बहुत साधारण है। यह जाति या उपजाति का नाम लिखने की बात के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में तो स्वतंत्रता मिलने के बाद तुरन्त ही सुधार किया जाना चाहिये था। हमारी विधिओं मे बहुत सी चीजें बहत पुरानी हैं और नयी भावना तथा संविधान के अनुच्छेदों के भी विपरीत हैं।

यह कहा गया है कि जाति का नाम देने भर से ही कोई हानि नहीं होती, पर जाति का नाम देने की आवश्यकता ही क्या है जाति का नाम देने की प्रथा समाज के ब्राह्मण या कायस्थ लोगों ने अपना बढ़प्पन दिखाने के लिये जारी की थी। पर अब वह समय आ गया है जब हमें ऐसी बातों को हटा देना चाहिए। मैं माननीय मंत्री के रवैये की भी प्रशंसा करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहने के पूर्व मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि विधेयक का खण्ड ३, जैसा कि यह संशोधन विधेयक में है, निकाल दिया जायेगा, तो प्रस्तावित संशोधन का प्रभाव क्या होगा।

सभापति महोदय : सभा उस खण्ड को अस्वीकार करेगी।

श्री डाभी : मेरा कहना है कि उसके निकाल दिये जाने से विधेयक का प्रभाव समाप्त हो जायेगा। इस समय यदि अभि-

लेख में जाति का नाम न होगा तो उप पंजीयक पंजीयन नहीं करेगा। पर इस विधेयक के पारित होने के बाद जाति का नाम न देने पर भी पंजीयन हो जायेगा पर यदि कोई व्यक्ति जाति का नाम देगा तो पंजीयक उसे अस्वीकार नहीं कर सकेगा। हम जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं, अतः सरकार ने जो स्वीकार किया है उससे विधेयक का सारा प्रभाव ही समाप्त हो जाता है।

श्री पाटस्कर : हो सकता है सभा इस विधेयक को स्वीकार न करे।

श्री डाभी : यह विधेयक स्वीकार हो या न हो, यह दूसरी बात है पर हम जाति के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहते। बम्बई उच्च न्यायालय ने एक परिपत्र जारी कर दिया है कि यदि किसी व्यक्ति ने जाति का नाम बताया हो तो साक्ष्य में उसको लिखते समय उस का उल्लेख न किया जाय। यह ठीक कदम है। मैं विधेयक का विरोध नहीं कर सकता पर इससे हमारा प्रयोजन बहुत कम पूरा होता है।

मेरे मित्र श्री रामचन्द्र रेड्डी ने कहा कि जाति का नाम दिये बिना व्यक्ति को पहचानने में कठिनाई होगी। पर मैं समझता हूं कि कोई कठिनाई नहीं होगी जब कि उसका पता, पेशा और उसके अन्य विवरण का उल्लेख किया जायेगा।

मैं तो चाहता हूं कि किसी भी सरकारी अभिलेख में जाति के नाम का उल्लेख न किया जाय। इस सम्बन्ध में मैंने एक विधेयक पेश किया था पर श्री एन० बी० चौधरी तथा उनके दल ने मेरे विधेयक का विरोध किया था।

मैं इस विधेयक का विरोध नहीं करता पर मैं समझता हूं कि इससे प्रयोजन पूरा नहीं होता।

श्री बाल्मीकी (ज़िला बुलन्दशहर, रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं श्री सामन्त जी के इंडियन रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल के पीछे जो भावना है उसका आदर करता हूं। उन्होंने जातिगत भावना की और जाति-पांति के बन्धनों की बात कही। आज भी देश में इन जाति-पांति के बन्धनों की जंजीरें बहुत कड़ी हैं। मैं यह जानता हूं कि महर्षि दयानन्द सरस्वती, महत्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द जी, सन्त कबीर और नानक आदि के प्रयत्नों से ये बन्धन कुछ ढीले हुये हैं, लेकिन अभी भी ये बन्धन बहुत कड़े हैं। इसी विचारधारा को लिये हुये श्री डाभी जी का भी एक बिल था, लेकिन उसका दूसरा रूप था। यह बिल जो इस समय सदन के सामने है यह भी एक छोटा सा बिल है और इसमें यह बात रखी गयी है कि सरकारी काग़ज़ात और डॉकूमेंट्स में जाति का नाम मेंशन न किया जाये। यह बात सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन किसी बिल के द्वारा सरकारी काग़ज़ों में जाति का नाम घटाने या बढ़ाने से केवल एक कानूनी ढंग की कार्रवाई होती है और वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आज भी अगर हम देखें और ध्यान से देखें तो हम पायेंगे कि हमारी बुद्धि में, समाज में, हमारे समाज की अस्थियों में, मज्जा में और कण-कण में यह जाति-पांति की भावना मौजूद है। हमारे बापू जी ने अपने प्रयत्नों से इस भावना हटाने का प्रयत्न किया था और हमारे नेता श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी ओजमयी वाणी से इस जाति-पांति पर कुठाराघात किया है और उसको तोड़ने का प्रयत्न किया है और ये बन्धन टूट रहे हैं। लेकिन अभी आवश्यकता इस बात की है कि समाज में इस तरह की भावना पैदा हो जाये कि कोई जाति-पांत का विचार ही न करे और यही भावना हो जायें "कि हर को भजे सो हरि का होई, जाति पांत पूछे नही कोई। लेकिन आज अभी यह भावना मौजूद है कि चाहे कोई अछूत कितना भी पढ़ जाये, चाहे एक चमार का लड़का डिप्टी कलक्टर भी हो जाये फिर भी कहा यही जाता है कि यह तो

[श्री बाल्मीकी]

चमार का लड़का है। अभी समाज में ऐसा विचार है। श्री सामन्त जी की जो भावना इस बिल के पीछे है वह बहुत ऊंची है। लेकिन जब तक यह रिजर्वेशन का प्रश्न है तब तक मैं समझता हूं कि जाति का नाम देना ही पड़ेगा। वजीफ़ों के लिये, स्कूलों में बच्चों की फीस माफ होने आदि के लिये भी अभी जाति का नाम देना पड़ता है। यह बात नहीं है कि यह बात केवल हरिजनों और परिगणित जाति वालों तक ही सीमित है, दूसरी जाति के लोगों को भी अपनी जाति का नाम देना पड़ता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अभी वह समय नहीं आया है कि इन बातों को हटाया जाये। मैं जानता हूं कि पिता के नाम के द्वारा और उसकी रहने की जगह के द्वारा भी एक आदमी की पहचान की जा सकती है। लेकिन मौजूदा व्यवस्था में जैसा कि मैंने पहले कहा, जाति का नाम रखना आवश्यक है। यद्यपि समाज में धीरे धीरे इन जाति-सूचक शब्द, नाम व चिह्नों को हटाना है।

यह मैं जानता हूं कि जो चारों वर्ण पैदा हुये उनके पीछे एक सच्ची समानता की भावना थी लेकिन आज समाज बहुत टूट फूट चुका है और वह भावना जीवित नहीं रही है। लेकिन फिर भी मेरा विचार है कि अभी समय इतना परिपक्व नहीं है कि जातिगत नाम को हटा दिया जाये। मैं जानता हूं कि हमें एक ऐसा वातावरण पैदा करना है जहां भेद-प्रभेद न हों, क्योंकि हमारा देश एक सिक्यूलर स्टेट है और सारे संसार में उन्नति कर रहा है। इसलिये इस तरह के जातिगत नाम अच्छे नहीं लगते। लेकिन फिर भी जैसी परिस्थितियां अभी इस देश के अन्दर हैं उनके रहते हुये जाति का नाम जाहिर करना पड़ता है। मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो कि यह चाहते हैं कि सदा के लिये रिजर्वेशन चलता रहे। लेकिन हम लोग जो कि पिछड़े हुये हैं यह चाहते हैं कि हमको उन्नति करने का पूरा मौका मिले और हम सब के बराबर तक आ जायें और समाज में यह भावना पैदा हो जाये कि कोई यह न सोचे कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन चमार है, कौन भंगी है, तब यह रिजवशन खत्म कर दिया जाये।

आज इस काम को पूरा करने के लिये बलशाली प्रचार की आवश्यकता है। जन-जन के हृदयों में अस्पृश्यता की छाया को दूर करने की आवश्यकता है। मैं कानून में विशेष विश्वास नहीं करता। कानून तो एक आधार मात्र है। उससे किसी विचारधारा को खड़ा होने में कुछ सहारा मिल सकता है, लेकिन इस काम के लिये तो एक जनमत बनाने की जरूरत है। आज भी जनता में गांवों के अन्दर जाति-पांति की भावना बहुत दृढ़ है। चाहे कानून द्वारा आप काग़ज़ों से इस नाम को भले ही हटा दें लेकिन यह भावना बराबर बनी हुई है। आज गांवों में यह हाल है कि अगर कभी गवाही देने का मौका आता है तो लोग सोचते हैं कि यह लोधा है, या ब्राह्मण है, या चमार है। इसलिये सभापति जी मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि आज देश में ऐसी भावना की आवश्यकता है कि कोई यह सोचे भी नहीं कि किसी की क्या जाति है। लेकिन अभी समाज में जाति-पांति के बन्धन काफी दृढ़ता से मौजूद हैं और इन को हटाने के लिये काफी प्रयत्न की जरूरत है। इस छोटे से बिल से यह उद्देश्य सफलीभूत नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता कि इस बिल के अनुसार जाति के नाम हटा देने से कहां तक इस भावना को बदलने में सहायता मिलेगी। मैं जानता हूं कि जाति-पांति के बन्धन देश के लिये हानिकारक हैं क्योंकि हमारा देश एक सिक्यूलर स्टेट है और धर्म-निरपेक्ष राज्य है। मैं जानता हूं कि यह अच्छा नहीं लगता कि

ऐसे देश में भी जाति के नाम लिखे जायें। इन जातियों के पीछे जो जाति-जाति में मानव समानता की वैदिक भावना थी वह मैं अनेक बार यहां बतला चुका हूं। यदि वह भावना देशवासियों में पैदा हो जाये तो बहुत अच्छा हो। यह मैं जानता हूं कि हमारे यहां बहुत से लोग इस विषय में बहुत उदार विचार रखते हैं जैसे कि हमारे मिश्रा जी बैठे हैं। ये मेरे जिले के ऊंचे दरजे के ब्राह्मण हैं और मैं नीचे दरजे का हूं। लेकिन १९५२ में चनाव के समय अखबारों में यह खबर निकली कि कन्हैया लाल मिश्र और रघुबर दयाल बाल्मीकी सफल घोषित किये गये और इसी प्रकार इन्हीं नाम से ब्राडकास्ट हुआ। यदि लोगों में ऐसी भावना हो जाये तो यह समस्या हल हो सकती है।

अभी काका कालेलकर जी ने लोदी हरिजन कॉलोनी में भाषण देते हुये कहा था कि मैं सारे ब्राह्मणों को भंगी बनाऊंगा, तो मैंने कहा था कि मैं भी सब भंगियों को ब्राह्मण बनाऊंगा। लेकिन मुझे इन बातों की कोई खुशी नहीं होती। यह जातिगत भावना हमको ऊंचा नहीं ले जा सकती। इससे हम संसार के सामने छोटे बन जाते हैं। हमें अपने देश के लोगों की इस भावना को बदलना होगा और इसके लिये बहुत प्रयत्न करना होगा। तभी हम इस सदियों की लानत से मुक्ति पा कर समाज को ऊंचा उठा सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं अपने मित्र श्री सामन्त को बधाई देता हूं कि उनका विधेयक वैधानिक कार्य मंत्री ने अंशतः स्वीकार कर लिया है। मेरा विचार है कि श्री सामन्त का यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लाखों व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं जातीयता के गुणों और दोषों के ब्योरे में नहीं जाना चाहता पर अनेक सुधारकों जैसे स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द, महात्मा गांधी और गुरु गोविन्द सिंह ने इसका विरोध किया है। मेरे कुछ सिख दोस्त जैसे सरदार तेजा सिंह अपने नाम के साथ जाति नहीं लिखते। सिक्खों में जातीयता की यह भावना काफी हद तक दूर हो गयी है। मैं श्री रामचन्द्र रेड्डी को बताना चाहता हूं कि हम कोई अनोखी या आश्चर्यजनक बात नहीं करने जा रहे हैं। हमारे प्रदेशों में मतदाता सूची में मेरा नाम दीवानचन्द लिखा है जाति नहीं लिखी है। मैं चाहता हूं अन्य प्रदेशों में भी ऐसा ही हो कि नाम के साथ जाति न लिखी जाय।

मैं आप को बताना चाहता हूं कि कुछ विश्वविद्यालयों में भी यह नियम है कि विद्यार्थी अपनी जाति न लिखें।

धारा २(१) में व्यवस्था है कि अभारतीय को उसके निवासस्थान या व्यवसाय के नाम से जाना जाये पर भारतीय को जाति देनी चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि अब इसे हटाया जा रहा है।

मैं बता रहा था कि यह बात अच्छी है कि हम अपनी जाति न लिखें क्योंकि कुछ जातियों को बुरी और नीची निगाह से देखा जाता है। उदाहरण के लिये, ऐसा कहा जाता है कि चूंकि अमुक व्यक्ति अमुक जाति का है अतः उसका कोई महत्व नहीं है और उसके शब्दों पर विश्वास नहीं करना चाहिये। केवल मेरे राज्य में ही यह बात नहीं है मैं समझता हूं सभी राज्यों में यह बात है।

पहले विभिन्न जाति और विभिन्न जाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास होते थे। पंजाब विश्वविद्यालय चन्डीगढ़ में खुलने जा रहा है। एक जातीय संगठन ने विश्वविद्यालय के उपकुलपति को लिखा कि उनको कुछ स्थान दिया जाय जिसमें वह अपनी

[श्री डी० सी० शर्मा]

जाति के विद्यार्थियों के लिये एक छात्रावास बना सकें। छात्रावास का नाम उस जाति के नाम से होना था, पर विश्वविद्यालय ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि किसी जाति के नाम पर कोई छात्रावास बनाया जाये। हम इस प्रकार प्रगति कर रहे हैं। श्री सामन्त का यह विधेयक एक बहुत अच्छा विधेयक है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमारे विधिकार्य मंत्री खण्ड ३ को क्यों निकाल देना चाहते हैं। यदि खण्ड ३ को सम्मिलित रखा जाये तो विधेयक अधिक प्रभावशाली रहेगा।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन मावेलिक्करा) : माननीय मंत्री तो एक पत्र देख रहे हैं।

श्री पाटस्कर : मैं एक हवाला ढूंढ रहा हूं। परन्तु उन की बात भी सुन रहा हूं।

श्री डी० सी० शर्मा : मुझे ऐसे लोगों के सामने भाषण देने की आदत है जिन्होंने मेरी बातें अनसुनी कर दीं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या खण्ड ३ को सम्मिलित रखने से विधेयक अधिक प्रभावशाली नहीं रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है यह विधेयक पारित हो जायगा और इससे हिन्दू समाज का बहुत सुधार होगा।

श्री पाटस्कर : मैं एक बात जानना चाहता हूं। जब माननीय सदस्य श्री डी० सी० शर्मा बोल रहे थे मैं अखबार में कुछ खबर देख रहा था। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मैं माननीय सदस्य की बात सुनना नहीं चाहता था। मुझे स्मरण है कि कल मैंने इस सम्बन्ध में श्री डी० कुन्हा का एक वक्तव्य पढ़ा था जिसमें उन्होंने हमारे देश में प्रचलित जाति प्रणाली के कारण हमारा मज़ाक उड़ाया था। मैं इस विधेयक के लिये उस समाचार को ढूंढ रहा था। अन्यथा, मैं अपने मित्र की बात ध्यानपूर्वक सुन रहा था।

डा० सुरेशचन्द्र (औरंगाबाद) : मैं श्री एस० सी० सामन्त द्वारा रखे गये विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक का उद्देश्य बहुत प्रशंसनीय है और इसमें संदेह नहीं कि इस सभा के सभी सदस्य उसका समर्थन करेंगे।

पूर्ववक्ता पहले ही बता चुके हैं कि इस देश के लिये जाति एक अभिशाप बन गयी है। हम सभी जाति-प्रथा की बुराइयों से भली भांति परिचित हैं। हमारे शास्त्रों के व्याख्याकारों ने जाति-प्रथा का समर्थन करने का प्रयत्न किया है किन्तु जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, वे भली भांति जानते हैं कि जाति प्रथा का उद्देश्य जाति या समुदाय का प्रचार करना नहीं था जो आज किया जा रहा है। हमारे शास्त्रों के अनुसार, किसी व्यक्ति को केवल उसके पेशे या गुणों के कारण, और न कि जन्म के कारण, किसी विशिष्ट जाति का सदस्य समझा जाता था, किन्तु आज ऐसी स्थिति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी परिवार में उत्पन्न हुआ हो, तो उसे उस परिवार की जाति का माना जाता है चाहे उसमें वे गुण हों या न हों जिनका शास्त्रों में उल्लेख किया गया है।

माननीय सदस्य श्री डाभी ने कहा है कि हमें खण्ड ३ के अधीन अपराध को दंडित बनाना चाहिये। मेरी राय यह है कि यह ऐसा विषय नहीं है जहां हम दांडिक कानून बनायें। यह केवल सामाजिक सुधारों से ही किया जा सकता है। जाति प्रथा की

जड़ें हमारे देश में बहुत गहरी जमी हुई हैं। न केवल सामाजिक व्यवहार में वरन् राजनैतिक व्यवहार में भी जाति प्रथा अब भी जारी है। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है। अतः मेरी धारणा है कि केवल विधान बनाने से जाति विषयक धारणायें नहीं मिट सकतीं; वह केवल सामाजिक सुधारों से ही हो सकता है।

वर्तमान विधेयक द्वारा हम पंजीयन के अभिलेखों में जाति के नामों का उल्लेख हटा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार उसी तरह एक ऐसा भी विधान बनाये जिससे हमारे पारपत्रों और सरकारी अभिलेखों में जाति का निर्देश हटा दिया जाय। जाति प्रथा मिटाने की दिशा में किसी हद तक यह एक अच्छा प्रारम्भिक कदम होगा। जाति हीन और वर्गहीन समाज तथा समाज के समाजवादी ढांचे के लिये जातिवाद का उन्मूलन नितान्त आवश्यक है। हमारे प्रधान मंत्री ने भी यही बात कई बार कही है।

मैं माननीय मित्र श्री रामचन्द्र रेड्डी की यह आपत्ति नहीं समझ पाया कि यदि जाति-प्रथा मिटा दी जाय, तो दक्षिण भारत में प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं और भ्रष्टाचार भी हो सकता है। माननीय मंत्री इस विषय पर सावधानी से विचार करें और इस ओर ध्यान दें कि ऐसी कठिनाइयां पैदा न हों। मैं अधिक कुछ न कह कर केवल इस बात पर जोर दूंगा कि सरकार एक दूसरा विधान प्रस्तुत करे जिससे पारपत्रों और सरकारी अभिलेखों में जाति का उल्लेख न किया जाय। माननीय मित्र श्री डी० सी० शर्मा के कथनानुसार, मतदाताओं की सूचियों और विश्वविद्यालयों में भी जाति लिखना आवश्यक नहीं है क्योंकि सम्बन्धित व्यक्ति पहचाने जा सकते हैं।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर-रक्षण) : यदि किसी हरिजन को अपना नाम निर्देशन पत्र देना हो तो उसे घोषणा करनी होती है कि वह अनुसूचित जाति का हरिजन उम्मीदवार है।

डा० सुरेश चन्द्र : किन्तु हमारा ध्येय यह है कि उन्हें उसका उल्लेख न करना पड़े। बिना उसके निर्देश के भी वह पहचाना जा सकता है और हम जान सकते हैं कि वह हरिजन है या नहीं और यदि है तो किस जाति का है।

श्री सिंहासन सिंह : परन्तु संविधात में इस की व्यवस्था है।

डा० सुरेश चन्द्र : कुछ विश्व-विद्यालयों और अन्य स्थानों पर हमने जातीय छात्रावास चालू किये हैं जैसे गौड़ छात्रावास, रेड्डी छात्रावास, ब्राह्मण छात्रावास इत्यादि। मेरी राय है कि इस प्रकार के छात्रावास रखना उचित नहीं है।

जैसा कि प्रस्तावक ने स्वयं बताया है, इस विधेयक का उद्देश्य देशों में से जातीयता दूर करना है। इसी कारण मैं संपूर्ण विषय की चर्चा करना चाहता था। मुझे इस विधेयक के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है और इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राघवैया (ओंगोल) : क्या मैं मूल अधिनियम में 'जाति' की परिभाषा के सम्बन्ध में पूछ सकता हूं कि उसकी ठीक ठीक परिभाषा क्या है ?

श्री पाटस्कर : मैं संक्षेप में इस विधेयक को स्पष्ट करूंगा। स्थिति यह है कि भारतीय पंजीयन अधिनियम के मूल रूप में "addition" (जोड़) शब्द की परिभाषा दी हुई है। उसके अनुसार उस शब्द का अर्थ है : "वर्णित व्यक्ति का निवास-स्थान और उसका पेशा, व्यापार, पद और उपाधि और एक भारतीय के मामले में उसकी जाति और उसके पिता का नाम अथवा जहां साधारणतया अपनी मां के

[श्री पाटस्कर]

लड़के के तौर पर बयान किया होता है वहां उसकी माता का नाम"

संभवतः यह इस कारण से है कि उन दिनों जब कि शासन विदेशियों के हाथ में था, भारतीयों को किसी न किसी एक जाति का सदस्य समझा जाता था और इसलिये उन्होंने यह नियम बनाया कि उनके पहचान के लिये प्रत्येक अभिलेख में जाति का उल्लेख किया जाना चाहिये। स्वाभाविक ही है कि जहां तक अभिलेख में व्यक्ति की जानकारी का सम्बन्ध है वह उपबन्ध अब भी है। मैंने पिछली बार बताया था कि कुछ राज्यों ने जैसे उत्तर प्रदेश ने परिपत्र द्वारा या अन्य प्रकार से यह बताने का प्रयत्न किया है कि सभी प्रलेखों में जाति का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। परिणाम यह है कि यदि "addition" (जोड़) शब्द की परिभाषा उसी प्रकार रहने दी जाय, तो उप-पंजीयक इस आधार पर कोई अभिलेख अस्वीकार कर सकता है कि विभिन्न उपबन्धों के अधीन सभी आवश्यक शर्तें उसमें पूरी नहीं की गयी हैं। पिछली बार उस पर चर्चा की गयी थी और तब भी मैंने सुझाव दिया था कि सरकार को इस प्रश्न पर विचार करने के लिये तैयार रहना चाहिये कि वर्ष १९५५ में ऐसा कानून का रहना ठीक नहीं जिसके अनुसार प्रत्येक अभिलेख के पंजीयन के लिये उसमें जाति का उल्लेख करना आवश्यक हो। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि जातीयता मिटाई जानी चाहिये और यह भेदभाव मिटाने के लिये हम सभी संभव प्रयत्न कर रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से विवाह विषयक कानून सरल किये गये थे। यह जाति भाव केवल हिन्दुओं में ही नहीं है वरन् इसाइयों में भी है। मुझे याद है कि २० वर्ष पूर्व इसाई होते हुए भी गोआ के लोगों में जाति भेद था। एलूदान नाम के एक सज्जन अपने बारे में कहा करते थे धर्म--कैथोलिक जाति--ब्राह्मण तो यह बात केवल हिन्दुओं में ही नहीं है। इसका उदाहरण गोआ में मिलता है। मैंने इसका उल्लेख इसलिये किया कि अभी हाल में केवल दो दिन पूर्व पुर्तगाल के डा० कुन्हा ने कहा है कि यदि गोआ भारत में मिलाया गया तो वह केवल जाति-पीड़ित हो जायेगा। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि गोआ के कैथोलिक इसाइयों की अनेक जातियां हैं। अतः हम जो कुछ चाहते हैं वह यह है कि जाति प्रथा के सभी चिन्ह मिटा दिये जायें। हमारे देश में जाति प्रथा की जड़ बहुत गहरी जमी हुई हैं और वे किसी एक विशिष्ट समुदाय तक ही सीमित नहीं हैं। पिछली बार यहां चर्चा के समय मैंने कहा था कि वह एक समवर्ती विषय है और हमें उस पर विचार करने में कुछ समय लगेगा। उस समय यह आश्वासन दिया गया था और माननीय सदस्यों ने विधेयक वापस ले लिया था। अब मेरी यह धारणा है कि हमारी संविधि पुस्तक में वह उपबन्ध हटा दिया जाना चाहिये जिसके अनुसार जाति का उल्लेख अनिवार्य है। जाति का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होना चाहिये। माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र रेड्डी ने बताया था कि गांवों में लोग अब भी जातियों में बंटे हुये हैं और इसलिये अनेक मामलों में जाति नाम और कुल नाम में उलझन होती है। बात यह है कि हम किसी को अपने को किसी नाम से बुलवाने के लिये रोक नहीं सकते किन्तु संविधि पुस्तक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं होना चाहिये जिसके कारण जाति का उल्लेख अनिवार्य बताया जाये।

श्री एन० राचैय्या (मैसूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : यद्यपि संविधान में एक उपबन्ध है कि भेदभाव नहीं होना चाहिये, फिर भी हम होटलों छात्रावासों आदि में जातिभेद पाते हैं।

श्री पाटस्कर : उसके बाद हमने अस्पृश्यता अपराध विधेयक पारित किया है। अब जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है उस कारण उत्तेजित होने की आवश्यकता

नहीं है। मेरा केवल यही कहना है कि जहां तक इस विशिष्ट अधिनियम का सम्बन्ध है, ऐसा उपबन्ध बिलकुल असंगत है जिसके अनुसार किसी को अनिवार्यतः अभिलेखों में अपनी जाति का उल्लेख करना होगा और इसलिये उसे हटा दिया जाना चाहिये। यही कारण है कि हम संशोधन स्वीकार करते हैं।

आगे एक खंड ३ है जिसमें कहा गया है :

"यदि पंजीयन के लिये प्रस्तुत किसी दस्तावेज में वर्णित व्यक्तियों की जाति का उल्लेख किया गया हो, तो पंजीयन-पदाधिकारी उस दस्तावेज को पंजीकृत करने से इन्कार कर देगा जब तक कि दस्तावेज को निष्पादित करने वाला व्यक्ति उसमें उल्लिखित जाति के सभी निर्देश वहां से न हटा दे।"

मैं इसे स्वीकार नहीं करता। गांवों में जाति नाम और कुल नाम के सम्बन्ध में काफी उलझन होती है। यदि किसी अशिक्षित व्यक्ति ने उसका उपयोग किया हो, तो केवल इस आधार पर कि पंजीयक ने उसे जाति नाम का उल्लेख समझा, वह दस्तावेज़ अस्वीकार नहीं की जानी चाहिये। इसीलिये मेरा यह कहना है कि इस प्रकार का कोई उपबन्ध बनाना कि यदि किसी प्रलेख में जाति का उल्लेख किया गया हो तो वह अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये, सार्वजनिक दृष्टि से लाभदायक न होगा। उससे अनेक लोगों को कठिनाई होगी। यही कारण है कि मैं उसको स्वीकार नहीं करता।

आशा है कि सभी प्रलेखों में जाति के अनिवार्य उल्लेख सम्बन्धी उपबन्ध हटा दिये जाने के कारण कुछ समय बाद कोई प्रलेख-लेखक जाति का उल्लेख नहीं करेंगे। अभी तो यह स्थिति है कि उन्हें जाति का उल्लख करना होता है अन्यथा वह प्रलेख उपपंजीयक द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। अतः पहला खंड आवश्यक है किन्तु दूसरा दड देने वाला है। जैसे कि मेरे एक मित्र श्री डाभी ने कहा ह मैं भी उसे आवश्यक नहीं समझता। हमारी आपत्ति इस बात पर है कि किसी प्रलेख में अनिवार्यतः जाति का उल्लेख करने के लिये किसी को बाध्य किया जाये।

मुझे विश्वास है कि इस विधेयक से इस बात का संकेत मिलेगा कि हम अपने समाज में जातीयता को कोई स्थान न देने के लिये कटिबद्ध हैं और इसी दृष्टिकोण से मैं उसे स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। अतः वह विधेयक अविलम्ब पारित किया जा सकता है।

कुछ लोगों का यह ख्याल है कि सरकार गैर-सरकारी सदस्यों का कोई विधेयक पारित नहीं करना चाहती, बिलकुल गलत है। १९५४ में श्री काजमी द्वारा पुरःस्थापित एक विधेयक पारित किया गया था। जब कभी संभव होता है, सरकार विधेयक स्वीकार करने के लिये तैयार होती है चाहे वह गैर-सरकारी हो अथवा सरकारी हो। जहां तक सरकार का संबंध है उसके पास ऐसी व्यवस्था है और वह अधिक बड़ी बड़ी समस्याओं पर विचार कर सकती है। फिर भी समाज के लिये लाभदायक विधान पुरःस्थापित करने के विषय में गैर-सरकारी सदस्यों के प्रयत्नों का हम स्वागत करते हैं। इसी भावना से मैं इस विधेयक को और कुछ संशोधनों सहित खंड २ को स्वीकार करता हूं और खंड ३ को निकाल देना चाहता हूं। मेरे विचार से यह विधेयक आज ही सभा द्वारा पारित किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय पंजीयन अधिनियम, १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २—१९०८ के अधिनियम की १ की धारा २ का संशोधन

श्री पाटस्कर: खंड २ में ये शब्द "(hereinafter referred to as the principal act)"

[श्री पाटस्कर]

"(जिसे इस में आगे मूल अधिनियम कहा गया है)" अनावश्यक हैं । अतः उन शब्दों को हटाने के लिये मैं एक संशोधन प्रस्तुत करूंगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि खंड २ में "(hereinafter referred to as the principal act)" ("जिसे इस में आगे मूल अधिनियम कहा गया है)" शब्द हटा दिये जायें ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं मूल धारा २ के खण्ड २ में यह संशोधन करना चाहता हूं कि उसमें से भारतीय और अभारतीय का विभेद हटाने के लिये जाति का उल्लेख निकाल दिया जाये । पंजीयन अधिनियम स्वीकृत होने के समय पहले भारतीयों और अभारतीयों में अन्तर था । पर, अब तो वह अन्तर नहीं रह गया है और भारतीय नागरिकता विधेयक भी स्वीकृत किया जा चुका है । इसलिये, पंजीयन अधिनियम में भी अब वह अन्तर नहीं रहने देना चाहिये । इस पूरे अधिनियम में भारतीयों और अभारतीयों के बीच के विभेद की कोई गंध तक नहीं रहनी चाहिये ।

श्री पाटस्कर : जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इसमें भारतीयों और अभारतीयों का उल्लेख हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा प्रलेख भी हो सकता है जिसका निष्पादन किसी अभारतीय व्यक्ति के पक्ष में हो । इसीलिये, हमें यहां और अधिक उलझनें पैदा नहीं करनी चाहियें ।

श्री सिंहासन सिंह : अभारतीय के लिये पिता का नाम भी उल्लिखित करना क्यों आवश्यक नहीं समझा गया है ?

श्री पाटस्कर : माननीय सदस्य केवल सैद्धान्तिक रूप में कुछ सुझाव देना चाहते हैं । जैसा भी हो, मैं नहीं जानता कि अभारतीय लोग अपना परिचय किस तरह देते हैं । लेकिन, मुझे उससे सरोकार भी नहीं । मैं केवल यही चाहता था कि एक भारतीय के मामले में उसके पिता के नाम, और जहां उसकी माता का नाम साथ ही हो, वहां माता के नाम का उल्लेख होना चाहिये, क्योंकि कुछ स्थान हैं, जहां नाम इसी प्रकार रखे जाते हैं । विदेशियों के मामले में, निवास स्थान, पेशे, श्रेणी और व्यवसाय, आदि का उल्लेख ही हमारे मतलब के लिये पर्याप्त होगा । मेरा विचार है कि यह एक छोटी सी बात है और इसके लिय हमें पूरे विधेयक को फिर से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राघवैया : मैं उन तीनों पंक्तियों को हटाने के संशोधन से तो सहमत हूं, पर मैं चाहता हूं कि पिता के नाम का उल्लेख अनिवार्य रखा जाये । हम भारतीयों और अभारतीयों के बीच भेद क्यों रखें ? भारतीयों के लिये जब वह अनिवार्य है, तो अभारतीयों के लिये क्यों नहीं ? दो विभिन्न लोगों के एक ही नाम के दो पुत्र हो सकते हैं और पिता का नाम न होने से गड़बड़ी फैलेगी ही । इसीलिये, पिता के नाम का उल्लेख आवश्यक है ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : देश की प्रतिष्ठा इसी में है कि इस विधेयक से भारतीयों और अभारतीयों के किसी भी विभेद को हटा दिया जाये । इसे हटा देने से विधेयक को बल ही मिलेगा, वह अधिक प्रभावशाली बन जायेगा इसलिये, "एक भारतीय के मामले में" इन शब्दों को हटा देना चाहिये । मैं श्री सामन्त से अनुरोध करूंगा कि वे इस भाग को भी हटाने पर सहमत हो जायें ।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर) : मैं श्री राघवाचारी से सहमत हूं यह धारा १८८७ में बनाई गई थी । लेकिन उसके बाद तमाम भारतीयों ने भी अपने नाम के साथ उपनाम जोड़ने शुरू कर दिये हैं और पिता तथा पुत्र के उपनामों में कोई अन्तर नहीं होता । इसलिये, यदि अभारतीयों के लिये

पिता के नाम का उल्लेख आवश्यक नहीं रखा गया है तो भारतीयों के लिये भी वह आवश्यक नहीं रहना चाहिये । भारतीयों के उपनामों में भी इससे कोई भारी अन्तर नहीं पड़ेगा । इसलिये, पिता क नाम के उल्लेख को हटा देना चाहिये ।

सभापति महोदय : अभी तक ऐसा सुझाव नहीं आया था । अब प्रस्ताव यह है कि "एक भारतीय के मामले में" इन शब्दों को भी हटा देना चाहिये, क्योंकि भारतीयों और अभारतीयों में कोई ऐसा विभेद नहीं रहना चाहिये जिससे किसी तरह कुछ भेद हों । शायद माननीय मंत्री ने इस बात पर अभी अधिक ध्यान नहीं दिया है ।

श्री पाटस्कर : ऐसे किसी विभेद का प्रश्न ही नहीं है । हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है, और इसमें कोई ईर्षा की बात ही नहीं है ।

इसके बाद, यदि इस विधेयक का उद्देश्य अनियमितता को दूर करना होता तो मैं इसे मान लेता । लेकिन यदि आप उचित शब्दों के प्रयोग के लिये और पिता का नाम आवश्यक है या नहीं इसके लिये समूची धारा ही का संशोधन करने पर जुट जायं, तो मेरे विचार से, वह वास्तव में अपने पथ से भटकना होगा । मैं नहीं समझता कि इससे अधिनियम में क्या-क्या उलझनें पैदा हो जायेंगी; मैंने अभी उस स्थिति की पूरी तौर से जांच नहीं की है ।

सभापति महोदय : उन्होंने मान लिया है कि इस विधेयक को, कुछ प्रस्तावित काट-छांट के साथ, विचार के लिये रखा जाये । चूंकि सरकार ने कोई भी संशोधन नहीं माना है इसलिये हम उसे मूल रूप में ही लें । मैं खण्ड २ को, हटाये जाने वाले शब्दों को बिना प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

खण्ड २ में "(hereinafter referred to as the principal Act)" "(जिसे इसम बाद म मूल, अधि नियम कहा गया ह)" शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३—(१९०८ के अधिनियम १६ में नयी धारा १९क का जोड़ा जाना)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : इसलिये खण्ड ३ को विधेयक से हटा दिया जाता है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री एस० सी० सामान्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

श्री एन० वी० चौधरी : श्री शर्मा ने सही कहा है कि जाति भेद हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को विषैला बना रहा है। इसलिये यह अच्छा ही हुआ कि हमने जाति का उल्लेख आवश्यक बनाने वाले उपबन्ध को हटा दिया है। पर एक ऐसा समाज बनाने के लिये, जिसमें प्रगति की रफ्तार अधिक तेज हो और किसी को भी सामाजिक अन्याय की शिकायत न रहे, सरकार को आज के पीड़ित लोगों को उन का उचित स्थान दिलाने के लिये और भी उपाय करने चाहिये। मैं जोर दे कर कहना चाहता हूं कि अस्पृश्यता मिटाने के लिये केवल इतने से काम नहीं चलेगा।

श्री एन० राचय्या : मैं विधेयक के उद्देश्य का स्वागत करता हूं। पर मैं कहना चाहता हूं कि शास्त्रों में तो केवल चार ही वर्ण बताये गये हैं लेकिन हमारे समाज में कई वर्ण मौजूद हैं। जब तक हम ऐसी भावनाओं को यथार्थ में नहीं मिटाते, तब तक ऐसे विधेयक स्वीकृत करने या उसमें कुछ संशोधन भर करने से हम वर्ण भेद को नहीं मिटा सकेंगे। हम सभी को अपने भारतीय होने पर गर्व है। पर, हमारा व्यवहार क्या है ? हमारे समाज में ब्राह्मण भी हैं और शूद्र भी। इसे कागज पर और विधेयकों में मिटा देने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। देश में हर मनुष्य को यह निश्चय कर लेना चाहिये, शपथ ले लेनी चाहिये कि वह व्यक्तिगत रूप में पक्षपातरहित रहेगा और जातिभेद नहीं करेगा। तभी कुछ होगा। आज कितने ऐसा व्यवहार करते हैं ? एक सवर्ण हिन्दू को दूसरी जाति के हिन्दुओं के वोट नहीं मिल सकते। हर नगर और गांव में ऐसे होटल और स्थान हैं, जहां सिर्फ ब्राह्मणों या सिर्फ लिंगायत लोगों का ही प्रवेश हो सकता है। माननीय मंत्री को चाहिये कि ऐसे स्थानों को हटाने के लिये शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाये। यही हमारे देश के हित में है हम अपनी स्वतंत्रता के नवें वर्ष में हैं, पर हमने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाये हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पाटस्कर : एक प्रकार से यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे मित्र श्री सामन्त ने एक ऐसा उपबन्ध निकलवा दिया है जो वास्तव में बड़ा ही गलत था।

जहां तक मेरे मित्र श्री राचय्या के कथन का संबंध है, मैं बड़ी अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूं कि वर्ण व्यवस्था के कारण गत शताब्दियों से एक असहनीय स्थिति में पीड़ित लोगों की भावनायें कैसी होंगी। मेरा विचार है कि हमें श्री राचय्या जैसे अपने मित्रों के प्रति कुछ अधिक सहनशीलता दिखानी चाहिये। मुझे उन पर किंचित भी क्रोध नहीं है। मैं उन्हें केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रही है। यदि कोई पिछले कुछ वर्षों की गतिविधि को देखे तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि सरकार हमारी समाज व्यवस्था के इस कलंक को धोने की भरसक कोशिश कर रही है। इस वर्ण विभेद ने अन्तहीन विवादों और गुटों को जन्म दिया है। मैं तो इतना तक कहूंगा कि शायद इसी सम्मान के कारण हमने अपनी स्वतंत्रता खोयी थी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने उसे संविधान से तो निकाल दिया है। अभी अभी हमने अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक स्वीकृत किया है। वह केवल अछूतों के संबंध में नहीं है। अन्य वर्णों में भी जातियां और उप जातियां भी मौजूद हैं। इसका उपचार क्या है ? हमें जनमत को अपने साथ ले कर चलना है। आप हर घर में विधान लागू नहीं कर सकते। यदि कोई पक्षपात रहित हो कर देखे तो हिन्दू विवाह कानून क्या है ? वह तो इतना ही कहता है कि दो हिन्दुओं में, वे किसी भी जाति के हों, विवाह वैध है। कुछ ही वर्ष पूर्व, ऐसे सभी विवाह अवैध समझे जाते थे। हम अपने सभी प्राप्य साधनों द्वारा अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे समाज का यह कलंक धुल जाये।

जसा कि मैं कह चुका, । इस विधेयक का महवपूर्ण भाग वही है जिसमें इस ओर

इंगित किया गया है कि हम किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं और हम किस तरह से जनमत को शिक्षित करना चाहते हैं । इसका दस्तावेजों पर तो जो प्रभाव पड़ेगा वह पड़ेगा ही, पर इस छोटे विधेयक पर इस सभा में होने वाली चर्चा से जनता को भी इसका आभास मिल जायेगा कि हम सब एक होकर किस तरह इस त्रुटि को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं । इस प्रकार के उपायों का यही महत्व है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे मित्र श्री सामन्त ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मुझे आशा है कि भविष्य में सरकार एक और व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेगी, जिससे यह कलंक पूरी तौर पर धोया जा सकेगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक

(धारा ६५ आदि के स्थान पर) नयी धारा का रखा जाना

श्री टी० वी० बिट्ठल राव (खम्मम्): **मैं प्रस्ताव करता हूं :**

"मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक के द्वारा मैं परिवहन उद्योग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिये कुछ उपबन्ध जोड़ना चाहता हूं । मुझे इस विधयक के लिये श्री आर० आर० शास्त्री का पूरा समर्थन प्राप्त है, जो अखिल भारतीय मोटर कर्मचारी संघ के सभापति हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अगले दिन अपना भाषण जारी रखें । अब छः बज चुके हैं ।

इसके पश्चात लोक-सभा शनिवार १७ दिसम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

[शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५]

राज्य-सभा से सन्देश—७६२५

सचिव ने सूचित किया कि राज्य-सभा से निम्न संदेश प्राप्त हुए हैं :

(१) कि राज्य-सभा अपनी १४ दिसम्बर, १९५५ की बैठक में लोक-सभा द्वारा ६ दिसम्बर, १९५५ को पारित किये गये नागरिकता विधेयक, १९५५ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(२) कि राज्य-सभा अपनी १५ दिसम्बर, १९५५ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १३ दिसम्बर, १९५५ को पारित किये गये संविधान (पांचवां संशोधन)* विधेयक, १९५५ को बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र :—७६२६

जून, १९५४ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन के सैंतीसवें अधिवेशन में स्वीकृत सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ७६२६

बारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७६२७—४१

राज्य पुनर्गठन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ७६७३—८२

बयालीसवां प्रतिवेदन इस परिवर्तन के साथ स्वीकृत कर लिया गया कि श्री कमल कुमार बसु के संविधान (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में अपनी सिफारिश पर फिर से विचार करने के अनुदेश के साथ वह प्रतिवेदन उक्त समिति को फिर से सौंप दिया जाये ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित ७६८३—८४

(१) श्री काजमी का मध्यस्थ निर्णय (संशोधन) विधेयक ।

(२) श्री एस०वी० एल० नरसिंहम् का बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक ।

(३) श्री एस०वी०एल० नरसिंहम् का हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक ।

(४) श्री एस०वी०एल० नरसिंहम् का बीमा (संशोधन) विधेयक ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक अस्वीकृत ७६८४—८९

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर विचार किया गया । विचार करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया ।

---

*राज्य-सभा को भेजे जाने से पहले अध्यक्ष महोदय ने प्रक्रिया नियमों के नियम १३० के अधीन संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक, १९५५ का संक्षिप्त नाम बदल कर संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक, १९५५ रखा ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पारित ७६८९—७७१३

श्री एस० सी० सामन्त द्वारा भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के सम्बन्ध में, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर चर्चा हुई एवं स्वीकृत किया गया। खंड २ संशोधित रूप में स्वीकृत किया गया। खंड ३ छोड़ दिया गया। विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक विचाराधीन ७७१३—१४

मोटर-गाड़ी (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के संबंध में श्री टी० बी० विट्ठल राव का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा उनका भाषण समाप्त नहीं हुआ।